राजस्थान विधान सभा

३८वीं बैठक, सोमवार, दिनांक—३० अप्रेल, सन् १९५६ ई०

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में मध्यान्हपूर्व ११—१० बजे प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या ६८३

वर्नाक्युलर मिडिल हैन्डीक्राफ्ट ट्रेन्ड अध्यापकों व वी. टी. सी. (दो वर्ष) ट्रेन्ड अध्यापकों के ग्रेड्स

श्री चांदमल मेहता—क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) वर्नाक्युलर मिडिल हेन्डीक्राफ्ट टेन्ड अध्यापकों व वी० टी० सी० ट्रेन्ड (दो वर्ष) अध्यापकों के क्या ग्रेड हैं ?

(ख) उक्त ग्रेडों में फर्क होने के क्या कारण हैं ?

(ग) किशनगढ़ सब डिविज़न में सन् १९५१ से पूर्व के ऐसे कितने वी० टी० सी० ट्रेन्ड अध्यापक हैं जिनको सन् १९५४-५५ के हैंडीक्राफ्ट ट्रेन्ड अध्यापकों से कम वेतन मिलता है ?

(घ) ऐसे कितने अध्यापक हैं जिन्होंने इस सम्बन्ध में रिप्रेजेन्टेशन किये हैं ?

(ङ) उक्त रिप्रेजेन्टेशन पर क्या कार्यवाही चल रही है ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल (उपमंत्राणी शिक्षा विभाग)— (क) एक ही है ४५।२ ५५।२ ६५।२ ७५ के ग्रेड हैं।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(ग) ऐसा कोई अध्यापक नहीं है।

(घ) कुल अध्यापकों ने दिये थे।

Page No 2

[श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल]

(ङ.) उन्हें बी. टी. सी. के ग्रेड देने के आदेश जारी कर दिये गये हैं।

श्री चांदमल मेहता—यह जो नम्बर (क) में कहा गया कि ग्रेड में फर्क नहीं है, पर वास्तव में क्या यह सही है कि फर्क था इसलिये पांच अध्यापकों ने अपनी ओर से रिप्रेजेन्टेशन किया था ?

श्रीमती कमला बेनीवाल—मैंने बताया कि कोई फर्क नहीं है। इन पांच के वेतन में फर्क था सो उनके लिये आदेश जारी कर दिये गये हैं।

श्री चांदमल मेहता—तो फिर इन पांच आदमियों को कम वेतन किस वजह से मिल रहा था, जब कि ग्रेड में आप कोई फर्क नहीं बता रही हैं तो ?

श्रीमती कमला बेनीवाल—यह कारण तो मेरे पास नहीं है। उनको कम मिलता था तो उनके रिप्रेजेन्टेशन के आधार पर उन्हें भी उसी ग्रेड के मिलने के आदेश जारी कर दिये गये हैं।

श्री चांदमल मेहता—वह ग्रेड उनको किस तारीख से दिये गये ?

श्रीमती कमला बेनीवाल—तारीख तो मेरे पास अभी नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—जो आज्ञा जारी की गई उसमें जिस दिन से उन्होंने रिप्रेजेन्टेशन पेश किया उस दिन से ग्रेड दिया गया या उनकी नियुक्ति की तारीख से ?

श्रीमती कमला बेनीवाल—यह तो मैं नहीं कह सकती अभी पर जैसा होता है उसी तरह से उन्हें दिया होगा। मेरे पास इसके पारटीक्यूलर्स नहीं हैं।

श्री चांदमल मेहता—जब दोनों के ग्रेड एक थे तो उन पांच अध्यापकों के वेतन में फर्क रक्खा जाने का आदेश किस अधिकारी द्वारा दिया गया ?

श्री मती कमला बेनीवाल—डिप्टी डाइरेक्टर आफ एजूकेशन, जयपुर की तरफ से।

श्री चांदमल मेहता— उन का वेतन कम रखने का या वही वेतन दिया जाने का ?

श्रीमती कमला बेनीवाल—बी० टी० सी० का ग्रेड दिया जाने का और १।७।५५ से दिये जाने का आर्डर हुआ है।

Page No 3

श्री चांदमल मेहता—जब कि दूसरे अध्यापकों को उनकी नियुक्ति की तारीख से यह ग्रेड दिया जा रहा है तब इनको नियुक्ति की तारीख से नहीं दिया जाकर इस तारीख से दिये जाने का क्या कारण है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल—अभी यह तो मेरे पास सारी डिटेल नहीं है। जो हुक्म हुआ वह मैंने आपको बता दिया।

श्री चांदमल मेहता—क्या इस मामले में फिर से जांच की जावेगी कि किन अधिकारियों ने इन पांच के साथ ज्यादती की है ?

श्री मती कमला बेनीवाल—ज्यादती की कोई बात तो नहीं होनी चाहिये। हुई होगी वो जांच कर के देखा जावेगा।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ६८४

किशनगढ़ सब डिविजन में बी० टी० सी० (२ वर्ष) ट्रेन्ड अध्यापकों को ग्रेड देना

श्री चांदमल मेहता—क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

(क) किशनगढ़ सब डिविजन में बी० टी० सी० (२ वर्ष) ट्रेन्ड कितने कुल अध्यापक हैं

(ख) ऐसे कौन२ से अध्यापक हैं जिनकों बी०टी०सी० ट्रेन्ड की ग्रेड नही दी गई है और क्यों ?

श्रीमती कमला बेनीवाल— (क) १३ अध्यापक।

(ख) कोई नहीं।

श्री चांदमल मेहता—क्या इस प्रश्न के आने के बाद किन्ही का फिक्सेशन हुआ है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल—यह सूचना मेरे पास नही है ?

(हंसी)

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट

Page No 4

प्रश्न संख्या ६८५

सन् १९५४ से १९५६ तक अवकाश प्राप्त अधिकारियों की पुनः नियुक्ति

श्री भैंरूसिंह—Will the Chief Minister be pleased to state–

(a) How many retired officers have been re-employed during the year 1954-55, 1955-56 and what were the reasons to re-employ them ?

(b) Is the Government aware that re-employment of the retired officers has made the problem of unemployment more acute ?

(c) Will the Government consider to replace these officers immediately ?

श्री दामोदरलाल व्यास—(a) Sixty. Such persons are re-employed in the public interest for a limited period in the case of posts where trained and experienced personal are not available.

(b) No.

(c) Question does not arise.

श्री भैंरूसिंह—क्या सरकार ने चेष्टा की है कि इनकी क्वालिफिकेशन का और कोई आदमी नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—तलाश करके, जांच करके हमने देखा और उस एक्सपीरियेन्स के आदमी नहीं मिलते तभी तो इनको रक्खा है।

श्री भैंरूसिंह—उस तलाशी के लिए क्या नियम अपनाये गए थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास—अनुभव देखा गया।

श्री भैंरूसिंह—क्या सरकार ने ऐसे एक्सपीरियेन्सड लोगों के लिये पत्रों में या गजट में एडवर्टाइज़मेन्ट भी कराया था ?

श्री दामोदरलाल व्यास—इसकी कोई आवश्यकता नहीं। सर्विस का एक्सपीरियन्स देखने में डिपार्टमेन्ट की कार्यवाही ही काफी होती है।

श्री भैंरूसिंह—क्या सर्विसेज में भी यह ज्ञानकारी चाही गई थी कि इस एक्सपीरियेन्स का कर्मचारी कोई है और वह सप्लाई कर सकता है ?

Page No 5

श्री दामोदरलाल व्यास—सरकार की अपनी कार्यावही यह सारी विभाग के जरिये से होती है और उस बारे में जो ज़रूरी कार्यवाही होती है वह की गई।

श्री भैंरूसिंह—ये कुल कितने हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—६० ।

श्री भैंरूसिंह—इन ६० आदमियों में से प्रत्येक को रिएम्प्लोय करते समय कितना कितना समय दिया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह अलग से सवाल पूछियेगा तो उत्तर दे सकूंगा।

श्री भैंरूसिंह—क्या यह सही है कि इनमें से कइयों को एक्सटेन्शन भी मिल चुकी थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह सवाल चूंकि डिटेल का है इसलिए अलग से इसके लिये पछ लें तो जानकारी हासिल करके उत्तर दे सकूंगा।

श्री अध्यक्ष—इट इज ए मैटर आफ डिटेल

श्री भैंरूसिंह—जिनको रिएम्लोय किया गया क्या उनकी फिटनैस की जांच भी डाक्टरों से कराई गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास—किस काम के लिये ?

श्री भैंरूसिंह—इसलिये कि वे काम के लायक हैं या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—वे लायक थे इसीलिए रक्खे गए ?

प्रश्न संख्या ६८६

परबतसर तहसील के ग्रामों में गश्त गिरदावरी की स्लिपें देने के जनता के आरोप पत्र

श्री चांदमल मेहता—क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) परबतसर तहसील में किन किन गांवों में गश्त गिरदावरी की स्लिपें नहीं देने की शिकायतें सरकार के समक्ष पेश हुई है ?

(ख) किन किन अधिकारियों ने स्लिपें देने में ढिलाई की है ?

(ग) उन अधिकारियों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या एक्शन लिया गया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—परबतसर तहसील के ग्राम गागवां से, एक व्यक्ति, बरनेल ग्राम से दो व्यक्ति, एवं लाखीवास ग्राम से दो व्यक्तियों की प्रार्थना पत्र स्लिपें नहीं मिलने के संबंध में प्रस्तुत हुए थे।

(ख) स्लिपें देर से मिलने का कारण खाली स्लिपों का समय पर नहीं पहुंचना है। माह अक्टूबर में स्लिपें किसानों को मिल जानी चाहिये थीं, उनके बजाय माह नवम्बर में दी गई।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जावरा ग्राम के किसानों को तीन साल से स्लिपें नहीं दी जा रही हैं और माननीय मन्त्री के पास आवेदन पत्र भी पेश किये गये थे?

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने अर्ज किया कि कुछ गांवों में स्लिपें नहीं दी गई थीं उनको अब दे दी गई हैं।

श्री चांदमल मेहता—मैं जावरा की पूछ रहा हूँ।

श्री दामोदरलाल व्यास—इसके लिये फिर आप अलग से पूछें तो जानकारी लेकर आपको उत्तर दे सकता हूँ।

श्री चांदमल मेहता—अध्यक्ष महोदय, अलग से पूछने का सवाल नहीं है। मेरे सवाल के अन्तर्गत ही यह आ जाता है। तो क्या यह सही है कि जावरा ग्राम के किसानों ने शिकायत की और मन्त्री महोदय के पास भी आये इसके लिये कि तीन साल से उन्हें स्लिपें नहीं दी जा रही हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास—अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के जनरल क्वेश्चन माननीय सदस्य पूछते हैं जिसके बारे में उत्तर देना आसान नहीं है। सारी एक तहसील से इस तरह की सैंकडों दरख्वास्तें आती है। उन सब की विगत देना सम्भव नहीं है। वे जिस में दिलचस्पी रखते हों उसके बारे में स्पेसिफिक्ली पूछ लें, मैं उत्तर दे दूंगा।

That is the proper way of asking question.

श्री अध्यक्ष—आप कोई स्पेसिफिक पूछें।

श्री चांदमल मेहता—यह इसलिये पूछा था कि माननीय मन्त्री महोदय के पास डेपूटेशन भी इस बारे में इस गांव का आया था और खास तोर से इसी बात के लिये आया और तब भी अभी तक स्लिपें नहीं दी गई हैं?

श्री अध्यक्ष—डेपूटेशन तो बहुत से आते रहते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास—जी, सैंकड़ों डेपूटेशन और दरख्वास्तें आती रहती हैं। आप स्पेसिफिक्ली पूछ लें।

श्री चांदमल मेहता—तो फिर गिवाना, नैनवां आदि गांवों का रेकार्ड मिल गया इसी जावरा ग्राम का रेकार्ड नहीं मिला?

श्री दामोदरलाल व्यास—जितनों का मिला उतनों का जवाब दे दिया अगर और आपको पूछना है तो स्पेसिफिक्ली पूछ लें।

श्री गुरूदयालसिंह सन्धु—जिनको तीन साल तक गश्त गिरदावरी के पर्चे नहीं मिले और तीन साल से नहीं मिले इसमें जो अधिकारी जिम्मेदार पाये गये क्या सरकार ने उनको कोई सजा दी?

श्री दामोदरलाल व्यास—ऐसी कोई बात नहीं थी, सिर्फ अक्टूबर के बजाय नवम्बर में दे दी गई। तीन साल की बात नहीं है।

श्री गुरूदयालसिंह सन्धु—क्या इस जानकारी के आधार पर आप यह नहीं मानते कि तीन साल तक नहीं दी गई?

श्री दामोदर लाल व्यास—उन्होंने तो अपनी जानकारी दी है।

श्री गुरूदयालसिंह सन्धु—क्या तो फिर उस जानकारी के आधार पर आप जांच कराने को तैयार हैं और अगर बात सही हो तो सम्बन्धित अधिकारियों को सजा देंगे?

श्री दामोदरलाल व्यास—अगर जान बूझ कर गलती की गई और देरी से दी गई और जांच करने पर साबित हुई तो अवश्य सजा दी जावेगी।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ६८७

जागीरदारों के खुद काश्त की भूमि अलाट करते समय २ दिसम्बर १६५३ में अलाट सम्बन्धी नियमों का पालन करना।

श्री सोहनलाल भटनागर—क्या मुख्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे?

[श्री सोहनलाल भटनागर]

(क) क्या जागीरदारों को जो खुद काश्त की भूमि अलाट की जाती है उसमें भूमि अलाट संबन्धी जो जनरल नियम दो दिसम्बर सन् १६५३ को निकले हैं उनकी पाबन्दी की जाती है ?

(ख) क्या जागीरदारों को दूसरे ग्राम में भूमि अलाट करते समय उस ग्राम के रहने वाले भूमि हीन किसानों की अपेक्षा तरजीह दी जाती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास (क)—खुदाकाश्त की भूमि अलाट करने सम्बन्धी नियम २ दिसम्बर सन् १६५३ जनरल है जब कि इस सरकार द्वारा खुदकाश्त के लिये राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण एक्ट १६५२ के तहत बने हुए विशिष्ट नियमों के अनुसार भूमि का वितरण किया जाता है। अतएव उक्त नियमों द्वारा २ दिसम्बर, ५३ के बने जनरल नियम खुदाकाश्त के विषय में पाबन्दी के योग्य नहीं रहते।

(ख) भूमि हीन किसानों को अपने गांव की भूमि प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र पेश करने की स्वतन्त्रता है और यहां ऐसे आवेदन पत्र पेश हो जाते हैं उनका भी ध्यान रखकर तहसीलों से खुदकाश्त के आवेदन पत्रों पर रिपोर्ट पेश की जाती है। परन्तु भूमिहीन व्यक्ति किसी खाली भूमि के लिये भविष्य में आवेदन पत्र पेश करेंगे इस बात की प्रतीक्षा अनिश्चित काल के लिए नहीं की जा सकती।

श्री सोहनलाल भटनागर—क्या यह जनरल आर्डर पास हुआ था कि चरणोट वगैरह पेश न हो तब तक भूमि अलाट न की जावे।

श्री दामोदरलाल व्यास—जी नहीं।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ६८८

मेवाड़ में अभ्रक का एकाधिकार, रॉयल्टी व निर्यात

श्री चांदमल मेहता—क्या उद्योग मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) भूतपूर्व मेवाड़ राज्य के वक्त में मेसर्स दूदू वाला एण्ड कम्पनी की कितनी भूमि में अभ्रक का एकाधिकार था ?

(ख) राजस्थान के निर्माण के बाद उक्त भूमि किस किस को कितनी कितनी व किन किन शर्तों पर दी गई और उनमें से किन किन व्यक्तियों या फर्मों ने कितना कितना रुपया अभी तक सरकार में जमा कराया है ?

[श्री चांदमल मेहता]

(ग) किस किस फार्म या व्यक्ति से अलावा रॉयल्टी कितनी कितनी लम्पसम लेना निश्चित किया गया है ?

(घ) किस किस फर्म या व्यक्ति ने किस किस वर्ष में कितने कितने अभ्रक का निर्यात किया है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(क) एकाधिकार नहीं था, परन्तु भूत पूर्व मेवाड़ राज्य के समय में मेसर्स दूदूवाला एण्ड कंपनी को २७०० वर्ग मील भूमि में अभ्रक का माइनिंग लीज था।

(ख) राजस्थान के निर्माण के बाद उक्त भूमि में अभ्रक के लिये माइनिंग लीज व प्रोस्पेक्टिंग लाइसेन्स मिनरल कन्सेशन रूल्स १६४६ के अनुसार दिये गये, जिसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ग) उक्त व्यक्तियों या फर्मों ने जो रकम जमा कराई है उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूचीयें अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखीं गईं)

(घ) किस किस फर्म या व्यक्ति ने किस किस वर्ष ने कितना कितना अभ्रक का निर्यात किया, जिस की सूची सदन की मेज पर है।

श्री चांदमल मेहता—नम्बर दो जो है इसमें यह भी पूछा गया है कि किन किन व्यतियों ने कितना कितना रूपया सरकार में जमा कराया है। इसमें यह जिक्र नहीं है, क्या यह बताने का कष्ट करेंगे ?

श्री भोगीलाल पंड्या—यह सूची में है, आप देख लें।

श्री चांदमल मेहता—यह सूची में ही नहीं है तो मैं देखूं कहां से ?

श्री भोगीलाल पंड्या—आप पहले देख लीजिये।

श्री अध्यक्ष—अगर है तो आप देख लीजिये। we can go ahead

श्री चांदमल मेहता—और पूरक प्रश्न पूछना है साहब।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि मेसर्स दूदू वाला एन्ड कम्पनी की भूमि जो कि उनके पास लीज़ पर थी और जो दूसरों को दी गई वह माइनिंग लीज़ के कायदे के मुताबिक नहीं दी गई है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—वह आपके खयाल से हो सकता है। लेकिन जो जमीन माइनिंग लीज़ पर दी जाती है वह कायदे के मुताबिक ही दी जाती है। जब लीज़ खत्म होता है तो दूसरों को सेन्टर की मन्जूरी करके दी जाती है।

श्री चांदमल मेहता—माइनिंग लीज़ के कायदे के मुताबिक अधिकतम कितनी भूमि दी जा सकती है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—माइनिंग लीज़ के कायदे के मुताबिक १० वर्गमील तक की भूमि दी जा सकती है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जो सूची दी गई है, उसमें १० वर्गमील से ज्यादा जमीन दी हुई है।

श्री भोगीलाल पंड्या—वह पी. एल. हो सकती है। माइनिंग लीज़ पर १० वर्गमील से ज्यादा किसी को नहीं दी जा सकती है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जो भूमि दी गई है उसके लम्पसम सरकार ने निर्धारित किया था ?

श्री भोगीलाल पंड्या—इसका समझ में नहीं आया कि लम्पसम क्या होता है।

श्री चांदमल मेहता—दूदू वाला एन्ड कम्पनी की जो भूमि दी गई क्या यह सही है कि दूसरे व्यक्तियों को देते वक्त एक निश्चित रकम मुकर्रर करके दी गई थी।

श्री भोगीलाल पंड्या—नहीं, वह तो एक नियम बनाकर सब को दी गई थी किसी व्यक्ति से लम्प सम तय करके नहीं दी गई थी। सेन्टर की मन्जूरी से सब कुछ किया गया था।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जितनी रकम में भूमि दी गई है उसका अधिकांश हिस्सा अभी तक वसूल नहीं हुआ है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मेरे ध्यान में नहीं है। यदि किसी विशेष व्यक्ति को बतायेंगे तो जानकारी प्राप्त करके बता सकता हूं। मेरे ख्याल से रकम वसूल हो रही है।

श्री चांदमल मेहता—आपके ध्यान में होना चाहिये। इसमें सवाल है कि किन किन व्यक्तियों द्वारा जमा कराया गया है।

श्री भोगीलाल पंड्या—सूची में दिया है। यदि आपके पास में कहीं कोई इधर उधर हो गया हो तो आप अलग से पूछ लीजिएगा तो बता दूंगा। आपको किस से मतलब है?

प्रश्न संख्या ६८६

श्री अध्यक्ष—श्री भैंरूसिंह।

(अनुपस्थित, कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ६६०

लोअर डिवीजन क्लर्क से कम वेतनी भोगी टोंक जिले के क्लार्क्स

श्री चान्दमल मेहता—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) टोंक जिले में ऐसे कितने क्लार्क हैं जिनको लोअर डिवीजन क्लार्क से भी काम वेतन दिया जाता है?

(ख) उनके नाम क्या हैं और उन्हें क्या क्या वेतन मिलता है?

(ग) ऐसे कौन कौन क्लार्क हैं जिनके वेतन से प्रति माह कटौती की जाती है?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री)—(क) कुल १३ क्लार्क हैं।

(ख) उनके नाम इस प्रकार हैं :—

१. श्री रामस्वरूप, २. श्री शौराजसिंह, ३. श्री अब्दुलअली, ४. श्री भगवती प्रसाद, ५. श्री सत्यनारायण, ६. श्री वनबिहारी सहाय, ७. श्री किशनलाल, ८. श्री भगीरथसिंह, ९. श्री मन्नालाल, १०. श्री हनुमन्तसिंह, ११. श्री विजयशंकर, १२. श्री राधेश्याम, १३. श्री नाथूलाल।

(ग) उनके नाम इस प्रकार हैं :—

१. श्री अब्दुल अली	६ रु. प्रतिमा माह अक्तूबर, १९५५ से।
२. श्री वनबिहारी सहाय	१० रु. प्रतिमाह
३. श्री किशनलाल	११ रु. ११ आना प्रतिमाह
४. श्री मजीदुल्ला	२२ रु. प्रतिमाह
५. श्री नसीर मोहम्मद	२२ रु. प्रतिमाह माह अक्तूबर १९५५।

श्री चांदमल मेहता—मुझे (ख) का जवाब नहीं मिला कि किस किस को कितना वेतन मिलता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—

१. श्री रामस्वरूप	५० रु. वेतन
२. श्री शेराजसिंह	५० रु.
३. श्री अब्दुलअली	२० रु.
४. श्री भगवती प्रसाद	५० रु.
५. श्री सत्यनारायण	३५ रु.
६. श्री वनबिहारी सहाय	३१ रु. १४ आने
७. श्री किशनलाल	३५ रु.
८. श्री भगीरथसिंह	४० रु.
९. श्री मन्नालाल	३० रु.
१०. श्री हनुमन्तसिंह	३५ रु.
११. श्री विजयशंकर	३० रु.
१२. श्री राधेश्याम	४१ रु.
१३. श्री नाथूलाल	३५ रु.

श्री चांदमल मेहता—यह क्लार्क क्यों भिन्न ग्रेड में रखे गये हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह वे कर्मचारी हैं कि जो या तो जागीरों के कर्मचारी हैं या कोर्ट ऑफ वार्ड्स से आये हैं और इनका अभी फिक्सेशन नहीं हुआ है। एक कमेटी बनाई इनके एब्सारपशन के लिए उसने अभी फाइनल तय नहीं किया है। फाइनली तय हो जायगा। तो इनको भी वही तनख्वाह मिलेगी जो लोअर डिवीजन क्लार्क्स की तनख्वाह है।

श्री चांदमल मेहता—इनके वेतन में जो कटौती की जा रही है वह किस कारण से की जा रही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—वह इसलिए कट रही है कि फिक्सेशन इनका नहीं किया गया था और गलती से तनख्वाह इन्होंने ले ली थी। इस पर ए. जी. ने एतराज किया इसलिए वापिस वसूली की जा रही है।

श्री चांदमल मेहता—एल. डी. सी. में फिक्स किये जाने वाले हैं फिर यह कटौती क्यों की जा रही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—अभी तक फिक्स नहीं हुई हैं और गलती से उन्होंने तनख्वाह ले ली थी इसलिए वापिस वसूल की जा रही है कायदे के मुताबिक।

रावराजा श्री सरदारसिंह—क्या माननीय मन्त्रीजी बतायेंगे कि यह जो जागीर के कर्मचारी थे, मन्नालाल और हनुमन्तसिंह वगैरह। इनको लोअर ग्रेड में शुमार किया गया है और खजान्ची और एकाउन्टेन्ट वगैरह का काम लिया जा रहा है, यह क्यों ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जो तनख्वाह उनको उनके वहां मिलती थी वही दी जा रही है।

रावराजा श्री सरदारसिंह—इनका वर्गीकरण कब तक हो जायगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जल्दी।

प्रश्न संख्या ६९१

तहसील आसींद (जिला भीलवाड़ा) में खड़ी फसल पर ओले गिरने से क्षति एवं क्षति ग्रस्त कृषकों को शासकीय छूट

श्री जयसिंह—क्या अकाल सहायता मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या तहसील आसींद जिला भीलवाड़ा में गत पखवाड़े में खड़ी फसल पर ओले गिरे !

(ख) यदि हां, तो किन, गांवों में और उन गांवों में खड़ी फसल का नुकसान कूंत लिया गया या नहीं ?

(ग) अगर नुकसान कूंत लिया गया तो सरकार क्षति ग्रस्त किसानों को क्या छूट दे रही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री)—(क) जी हां। तहसील आसींद में गत पखवाड़े में खड़ी फसल पर ओले गिरे।

[श्री दामोदरलाल व्यास]

(ख) निम्न गांवों में ओले गिरे—

१. दांतड़ा, २. देवरिया, ३. माइसिंह जी का खेड़ा, ४. सुलवाना, ५. चराना, ६. मेपलियास, ७. वारटपुरा, ८. नेराड़िया, ९. भटीखेड़ा आदि इस प्रकार से ३१ गांव हैं।

(ग) नुकसान कुंतवाने की कार्यवाही मुताबिक प्रोसीजर की जारही है। अभी विस्तृत रिपोर्ट नहीं आई, मुताबिक नियमों के छूट देने की कार्यवाही की जावेगी।

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—यह क्या कूंता किया जायगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जी नहीं। जब काश्त गिरदावरी करने जारहे हैं तो कितना २ नुकसान फसलों का कहां २ हुआ है, उसकी रिपोर्ट आने पर कार्यवाही की जायगी।

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—क्या फसल अभी खड़ी हुई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—मगर गिरदावरी बन रही है।

श्री शम्भूसिंह—जिन किसानों से लगान वसूल किया जारहा है उनका क्या होगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास—इनकी अगर आप जानकारी देंगे तो जांच करायेंगे।

प्रश्न संख्या ६१२

हिन्दी का ज्ञान न रखने वाले अधिकारियों को हिन्दी सिखाने की प्रशासकीय कार्यवाही

श्री महाराज केसरीसिंह—क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) ऐसे कितने सरकारी अधिकारी हैं जिन्हें हिन्दी का ज्ञान बिल्कुल नहीं है ?

(ख) उपरोक्त अधिकारियों को सरकार हिन्दी सिखाने की क्या व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

(ग) सरकार के सब अधिकारीगण कब तक हिन्दी का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे ?

(घ) क्या यह अधिकारी लोन सर्विस पर हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या (श्री मुख्य मन्त्री की अनुपस्थिति में)—(क) कोई नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) उत्तर की आवश्यकता नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न संख्या ६६३

मेसर्स पूसालाल मानसिंहका को मेवाड़ राज्य में अभ्रक निकालने का एकाधिकार

श्री चांदमल मेहता—क्या उद्योग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) मेसर्स पूसालाल मानसिंहका को भूतपूर्व मेवाड़ राज्य में कितनी भूमि पर अभ्रक निकालने का एकाधिकार कितने समय के लिए दिया गया था ?

(२) उक्त एकाधिकार के समय को राजस्थान के निर्माण के बाद कितने समय के लिये बढ़ाया गया ?

(३) इस समय उक्त फर्म के पास कितनी भूमि में अभ्रक निकालने का एकाधिकार है ?

श्री भोगीलाल पंड्या (उद्योग मन्त्री)—(१) अभ्रक निकालने का एकाधिकार भूतपूर्व मेवाड़ राज्य में नहीं दिया गया था।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) वर्तमान समय में भी उनके पास कहीं एकाधिकार नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह माइनिंगलीज में दिया हुआ है।

श्री भोगीलाल पंड्या—जी हां, माइनिंगलीज में दिया हुआ है।

श्री चांदमल मेहता—कितनी भूमि दी हुई है माइनिंग लीज में।

श्री भोगीलाल पंड्या—वैसे तो ४३०० वर्ग मील का माइनिंग लीज दिया था भूतपूर्व मेवाड़ गवर्नमेंट ने।

श्री चांदमल मेहता—क्या उस माइनिंग लीज के कार्यकाल को राजस्थान सरकार ने एक्सटेन्ड किया है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—नहीं।

श्री चांदमल मेहता—यह कब खत्म हुआ, मेवाड़ राज्य का दिया हुआ माइनिंग लीज।

श्री भोगीलाल पंड्या—वह ३१. १०. ५२ को समाप्त हुआ और उसके बाद में उनको १० मील का टुकड़ा २० साल के लिए दिया गया है। वह कन्सेशन देना पड़ता है हमको माइनिंग कन्सेशन रूल्स के मुताबिक वह उनके मुताबिक दिया गया है।

श्री चांदमल मेहता—कितनी भूमि पर एक्स्टेन्शन दिया गया? क्या जितनी भूमि पहले मेवाड़ स्टेट के समय में थी उतनी ही भमि के लिए यह एक्स्टेन्शन दिया गया है।

श्री भोगीलाल पंड्या—नहीं दिया था। अभी उनके पास ३८९९ एकड़ दिया गया।

श्री चांदमल मेहता—इतनी भूमि पर एक्स्टेन्शन दिये जाने के क्या कारण हैं?

श्री भोगीलाल पंड्या—वह देनी पड़ती है। १० मील के अन्दर २ उनको देनी पड़ती हैं जो कि लेते हैं माइनिंग लीज का एरिया।

श्री चांदमल मेहता—जब माइनिंग लीज रूल्स के अन्दर १० मील से अधिक नहीं दिये जाने का कायदा है तो उनको ३८९९ एकड़ भूमि का एक्स्टेन्शन किये जाने के क्या कारण हैं?

श्री भोगीलाल पंड्या—१० मील तक एक्स्टेन्शन दिया जा सकता है। उन्होंने ३८९९ एकड़ मांगा तो उतना ही दिया गया। वह ६४०० एकड़ तक मांग सकते थे। नहीं मांगा तो नहीं दिया गया।

प्रश्न संख्या ६९४

श्री अध्यक्ष—श्री श्रीदास गोयल।

(अनुपस्थित)

(यह प्रश्न आगे लिया गया)

प्रश्न संख्या ६९५

भूतपूर्व ठिकानाजात से पटेलान को अपने खाते पर मिली हुई छूट को जारी नहीं रखने सम्बन्धी

रावराजा श्री सरदारसिंह—क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

[रावराजा श्री सरदारसिंह]

(१) क्या पटेलान को छूट जो अपने खाते पर भूतपूर्व ठिकाने जात से मिलती रही है वो अब भी बदस्तूर जागीर रिजम्प्शन होने के बाद भी दी जारही हैं ?

(२) यदि नहीं, तो क्यों ।

(३) क्या यह सही है कि भूतपूर्व ठिकानों के पटेलान के पास सनद पटेलाई होते हुए भी उन्हें छूट नहीं दीं जा रही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—जहां मलवा वसूल नहीं हो रहा है वहां मलवे में से दी जाने वाली छूट नहीं दी जा रहीं है। बाकी जगह यथावत्‌दी जा रही है।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) जो पटेल अपनी पटेलाई का सन्तोषप्रद सबूत देते हैं उन्हें नियमानुसार छूट दी जाती है।

रावराजा श्री सरदारसिंह—यह माननीय मंत्रीजी ने अभी फरमाया कि सबूत दे देते हैं तो इसका क्या मतलब ?

श्री दामोदरलाल व्यास—उन्हें यह सबूत करना पड़ता है कि वे जागीरदारों के यहां पटेल थे।

रावराजा श्री सरदारसिंह—माननीय मंत्री जी की जानकारी में होगा कि सीकर, खेतड़ी और उनियारा में सेटिलमेंट होने के बाद बाद में जब ४५ के अन्दर आफ्टर दी एप्रूवल ऑफ दी गवर्नमेंट एन्क्वायरी ऑफिसर मुकर्रर होकर निर्णय हुआ था और सेटिलमेंट के स्पेशल ऑफिसर द्वारा पट्टे दिये जा चुके थे और उनको कबूलिया भी दिया जा चुका है।

श्री दामोदरलाल व्यास—लेकिन इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है। कि उनियारा और बहुत सी जगह आखीर वक्त में कइयों को पटेल बना दिया गया था और पट्टे दिये गये हैं। जिनका कि सबूत लेना बहुत जरूरी है।

रावराजा श्री सरदारसिंह—क्या इसके लिए माननीय मंत्री जी एन्क्वायरी करायेंगें कि यह जो आपने कहा कि बहुत से पटेल बना दिये हैं तो आजकल जो आपके यहां एडिशनल कमिश्नर हैं वह उनियारा में सीनियर आफिसर थे तो वह उनके सदस्लतों से बनाये गये थे। तो उसकी एन्क्वायरी करा लीं जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास—एन्क्वायरी होने की आवश्यकता नहीं है। जो पहले से हैं उनको मान्यता दी जा सकती है।

रावराजा श्री सरदारसिंह—एन्क्वायरी की आवश्यकता क्यों नहीं है ?

एक माननीय सदस्य—क्या ये सब पढ़े हुए हैं या इनमें अनपढ़ भी हैं ?

प्रश्न संख्या ६६६

श्री अध्यक्ष—श्री जयचन्द्र मोहिल।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६६७

श्री भगवानसिंह तरंगी।

(अनुपस्थित)

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री धूलजी भाई।

प्रश्न संख्या ६६८

बांसवाड़ा रियासत के भूतपूर्व महारावल द्वारा अपने एवं माजी साहिबा के नाम की खुदकाश्त भूमि का पड़त रहने वाला भाग

श्री धूलजीभाई भावसार—क्या राजस्व मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(१) बांसवाड़ा रियासत के भूतपूर्व महारावल श्री चन्द्रवीरसिंह द्वारा अपने एवं माजी साहिबा के नाम जो भूमि काश्त के नाम से छः साल से पड़त रखी हुई थी उसमें से कितने एकड़ भूमि अब तक पड़त है ?

(२) उक्त पड़त भूमि में से पिछले चार माह में कितने एकड़ भूमि, कितनी रकम लेकर किस पार्टी को बेची गई ?

(३) क्या उक्त भूमि की रजिस्ट्री राज्य सरकार द्वारा हो चुकी है ? यदि हां, तो कब और किस अधिकार से ?

[श्री धूलजीभाई भावसार]

(४) क्या यह सच है कि उक्त भूमि स्थानीय गरीब भील किसानों से जबरान पट्टे छीन कर अपने नाम खुदकाश्त के नाम से दर्ज कराई गई थी और अब गुजरात के धनी लोगों को बेची जा रही है ?

(५) क्या यह सच है कि उन गरीब किसानों की उजरदारियों पर राज्य सरकार के अब तक ध्यान नहीं देने से गरीब किसान भूमि से वंचित हो रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—(१) हिज हाईनेस महारावल श्री चन्द्रवीर सिंहजी की खुदकाश्त की भूमि में से २७५२॥ बीघा भूमि अभी तक पड़त पड़ी हुई है तथा माजीसाहब के नाम की भूमि में से ४०२ बीघा भूमि पड़त है।

(२) उक्त भूमि में से रकबा १००६। ४ बीघा भूमि वायड़ी व एक कच्चा टापरे को कुल व्यय ३७४६६ रु० में जिन जिन व्यक्तियों को दी गई है उसकी सूची इस प्रकार है :

१६ व्यक्ति हैं :

१. शाह भोगीलाल पुत्र मन्सुखदास आॅफ गबद ताल्लुका वयद।
२. शाह अमरतलाल पुत्र भोगीलाल
३. ,, वाडीलाल पुत्र कोदारदास
४. ,, केशवलाल पुत्र दलसुखदास
५. ,, चिमनलाल पुत्र समलदास
६. ,, रतिलाल पुत्र भोगीलाल
७. ,, विट्ठलदार पुत्र अमीचन्ददास
८. सोनी चिमनलाल पुत्र चुनीलाल
९. शाह परसोत्तम दास पुत्र सकलचंद्र
१०. शाह गोकुलदास पुत्र चुन्नीलाल
११. इच्छाबेन पत्नि अमृतलाल
१२. केशवलाल पुत्र पीताम्बरदास
१३. पटेल पुंजा भाई पुत्र छगनभाई
१४. पटेल केशाभाई पुत्र पुंजाभाई

[श्री दामोदरलाल व्यास]

१५. जेठाभाई पुत्र पूंजाभाई
१६. सेमाभाई पुत्र छगनभाई
१७. पातीदार नरसिंह पुत्र देवकरनभाई
१८. पातीदार नारायनभाई पुत्र पूंजाभाई
१६. पातीदार गोविन्दभाई पुत्र गोतम भाई ।

(३) उक्त बेची हुई भूमि की रजिस्ट्री सब डिवीज़नल ऑफिसर बांसवाड़ा के दफ्तर में दिनांक १५. ३. ४६ को रजिस्ट्रेशन एक्ट के मातहत हुई है ।

(४) जहां तक मालूम हुआ है पड़त भूमि खुदकाश्त में लेने की कार्यवाही स्वयम् महारावल ने अपने शासनकाल में ही की है और इस भूमि का काश्तकारों से जबरन लिया जाना नहीं पाया जाता । जिन जिन व्यक्तियों को भूमि बेची है वह सामूहिक रूप में बेची है जिससे यह पता नहीं लगता कि वे लोग धनी हैं या गरीब ।

(५) इस बारे में किसी भी काश्तकार की तरफ से उज्रदारी या प्रोटेक्शन ऑफ टिनेन्सी आर्डिनेन्स के अन्तर्गत दावे पेश नहीं होने से यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री धूलजीभाई भावसार—क्या सरकार इस बात की जांच कराएगी कि यह जमीन दी गई है, वह किन किसानों से लेकर बेची गई है और किन लोगों को बेची गई है, पार्टी कहां की है ?

श्री दामोदरलाल व्यास— सरकारी रेकर्ड से यह पता चलता है कि यह जमीन महारावल ने अपने शासनकाल में ही अपने नाम दर्ज कराली है । प्रोटेक्शन ऑर्डिनेन्स के अन्तर्गत किसी काश्तकार को हटाया हो तो इस सम्बन्ध में कोई दावा दायर नहीं किया गया है ।

श्री धूलजीभाई भावसार—क्या सरकार इस बात की जांच करायेगी कि किसानों ने इस पर उज्रदारियां पेश की हैं और सुनवाई नहीं हुई है और राजस्थान के परिवर्तन होने के समय ये जमीनें उनसे ले ली थीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—अगर माननीय सदस्य ऐसी कोई सूचना देंगे कि जिसका पता चल सके तो अवश्य ही जांच कराई जायगी ।

श्री धूलजीभाई भावसार—क्या पूंजी-पतियों के हाथ में जमीन बेचने का सरकार ने आदेश दिया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—टिनेन्सी एक्ट में कार्यवाही होती है, आप देख लें।

प्रश्न संख्या ६६६

श्री अध्यक्ष—श्री कस्तूरचन्द ।

(प्रश्न कर्त्ता अनुपस्थित-प्रश्नोत्तर कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ७००

श्री रामदयाल उपाध्याय ।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री हंसराज जटिया ।

प्रश्न संख्या ७०१

वर्तमान वर्ष में बजट में तकावी हेतु धन राशि एवं उसका वितरण

श्री हंसराज जटिया—क्या राजस्व मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

१. इस वर्ष में बजट में तकावी के लिए कितनी राशि रक्खी गई है ?

२. क्या उपरोक्त निर्धारित राशि सरकार किसानों को अप्रेल तक वितरित करने का विचार रखती है ताकि माह मई, जून में वे कूए आदि बनवा सकें ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—१. नूतन वर्ष ५६-५७ के लिए रेवेन्यू में दस लाख रुपये रक्खे गये हैं।

२. जी हां। माह अप्रेल तक नये साल का बजट पास होता है। तदुपरान्त बजट में स्वीकृत रकम को हर डिविज़न में बांट दिया जाता है। हर कमीश्नर उसके डिविज़न के लिए दी हुई राशि को अपने आधीनस्थ जिलों में बांट देता है। माह मई तक स्वीकृति इस प्रकार से तहसीलों में पहुंच जाती है और आशा है कि मई और जून में तकावी तकसीम कर दी जायगी।

श्री हिम्मतसिंह—कुल राजस्थान के लिए तकावी है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जी हां, आपने बजट पास किया, आपको मालूम होना चाहिए :

प्रश्न संख्या ७०२

श्री अध्यक्ष—श्री भगवानसिंह तरंगी।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ७०३

धौलपुर डिविज़न में पत्थर के ठेकेदार एवं ग्राहकों को पत्थर देने की दर अत्यधिक

श्री हंसराज जटिया—क्या उद्योग मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे:—

१. धौलपुर सब-डिविजन में पत्थर के कितने ठेकेदार हैं और कौन कौन सी जगह के हैं ?

२. क्या सरकार ने पत्थर ग्राहकों के लिए रेट नियुक्त कर दी हैं ? यदि हां, तो हर किस्म के पत्थर के लिए क्या रेट रखी है ?

३. क्या यह सत्य है कि ठेकेदारों ने रेट पहले से दुगनी तिगनी कर दी है ? यदि हां, तो क्यों ?

४. क्या सरकार ने किसानों को, उनके काम के लिए पत्थर निकालने की रियायत दी है ? यदि हां, तो क्या वह रियायत हर प्रकार के पत्थर के लिए है ?

५. क्या किसानों को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी पत्थर निकलवाने की रियायत है ?

श्री भोगीलाल पंड्या (उद्योग मंत्री)—१. नहीं।

२. हां, धोलपुर स्टोन कम्पनी, बरोली ने अपनी ओर से पन्द्रह आना व १ रु० १ आना प्रति घनफुट स्थानीय उपयोग के लिए कर रखा है।

३. नहीं।

४. हां, खनिज विभाग की स्वीकृति सिर्फ चेजा पत्थर उन स्थानों से जो किसी के ठेके में नहीं है, निकाल सकते हैं।

५. नहीं।

श्री हंसराज जटिया—नम्बर १ का क्या जवाब दिया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—'नहीं'। आपको क्या नामों की सूची नहीं मिली। सूची भेज तो दी गई थी।

श्री अध्यक्ष—नोटिस ओफिस में तो नहीं पहुंची है, न उनके पास ही पहुंची है।

श्री भोगीलाल पंड्या—तीन नाम हैं।

(विराम)

फिर बता दूंगा।

श्री अध्यक्ष—बता दीजिये।

नेक्स्ट, श्री घासीराम।

प्रश्न संख्या ७०४

हाई स्कूलों में दलित वर्ग एवं अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के शुल्क में १० प्रतिशत कमी करना

श्री घासीराम—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि हाई स्कूलों में गरीब बच्चों की फीस स्कूल के समस्त विद्यार्थियों में से १० प्रतिशत की माफ होती है ?

(२) क्या यह भी सही है कि बेकवर्ड क्लासेज् और शिड्यूल्ड कास्ट के विद्यार्थी भी इस ही १० प्रतिशत में शामिल हैं ?

(३) यदि हां, तो जिन स्कूलों में १० प्रतिशत शिड्यूल्ड कास्ट और बेकवर्ड क्लासेज् के छात्र मौजूद हैं, अन्य गरीब छात्रों के लिए क्या कोई कन्सेशन होता है, यदि नहीं, तो उन गरीब बच्चों के लिये क्या व्यवस्था है ?

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल—(उप शिक्षा मंत्राणी)

(१) जी हां।

(२) जी नहीं।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

श्री घासीराम—गरीब बच्चे हैं, माफ कर दिया क्या।

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल—दस प्रतिशित होते हैं।

श्री घासीराम—जिस स्कूल में १० प्रतिशत हो गये हरिजन बच्चे तो फिर दूसरे गरीब बच्चों को क्या सहूलियत मिलेगी ?

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल—हरिजन बच्चों के लिए अलग है।

श्री घासीराम—हरिजन बच्चे इसमें हैं।

श्री मती कमला कमारी बेनीवाल—जी नहीं।

प्रश्न संख्या ७०५

श्री अध्यक्ष—श्री तेजमल बापना।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ७०६

जिला जेसलमेर के व्योपारियों की रसद विभाग की सिक्योरिटीज़ की बकाया रकम एवं व्योपारियों के दावे

श्री जवानसिंह (श्री हनवन्तसिंह की ओर से पूछा गया)—क्या उद्योग व रसद मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) जिला जेसलमेर में व्योपारियों की रसद विभाग की सिक्योरिटीज़ की रकम आज दिन तक कितनी बकाया है ?

(ख) सरकार ने किन किन व्योपारियों को यह रकम वापिस दे दी है, यदि नहीं दी है, तो क्यों ?

(ग) किन किन व्योपारियों ने सरकार पर दावे कर रखे हैं ?

(घ) क्या सरकार आपसी समझौते पर उपरोक्त रकम देने का विचार रखती है ?

(ङ) सरकार का इस विषय में क्या कदम लेने का विचार है ?

श्री भोगीलाल पंड्या (उद्योग मंत्री)—(क) जैसलमेर जिला में व्योपारियों की रसद विभाग की सिक्योरिटी की कुल रकम रु० १६६०० अमानत जमा हुई थी, जिसमें रु० ६८००) रु० वापिस व्योपारियों को दिये जा चुके हैं और इस वक्त १२८००) रु० बकाया देना है।

(ख) उपरोक्त बकाया रकम में से आज दिन तक कुछ भी रकम वापिस नहीं दी गई है। यहां लेखापाल, जयपुर से सिक्योरिटी वापिस करने के बारे में खतो-किताबत हो रही है और तीन माह के अन्दर चुकारा कराने का प्रयत्न किया जायगा।

(ग) सिक्योरिटी की रकम वापिस लेने के संबंध में किसी भी व्योपारी ने आज तक इस जिले में दावा सरकार पर नहीं किया है।

(घ) चूंकि रकम अमानत तौर पर व्योपारियों की जमा है अतः डिग्री होने का कोई सवाल नहीं उत्पन्न होता है और ज्योंही सप्लाई अकाउंट्स आफिस, जोधपुर रिफंड केसेज स्वीकृत करेंगे उसके बाद फौरन रकम व्योपारियों को वापिस दे दी जायेगी।

(ङ) आर्डर आक्षेपों की पूर्ती होते ही रकम वापिस दे दी जावेगी।

श्री जवानसिंह—तीन माह की अवधि किस आधार पर बताई गई?

श्री भोगीलाल पंड्या—आज की तारीख से...।

श्री जवानसिंह—किस आधार पर बताया?

श्री भोगीलाल पंड्या—बार बार याददाहनियां आती हैं, उन्होंने बताया कि तीन महिने का समय काफी रहेगा।

श्री जवानसिंह—इन लोगों के पास कितने समय से यह प्रश्न विचाराधीन है?

श्री भोगीलाल पंड्या—इसका एक लम्बा इतिहास है। अब उन्होंने कहा है कि जल्दी ही निपटा देंगे और मैं समझता हूँ कि तीन महीने की अवधी में निपटा दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष—श्री सोहनलाल।

प्रश्न संख्या ७०७

प्राथमिक पाठशाला, सलूम्बर के भवन प्रबन्ध संम्बन्धी शासकीय कार्यवाही

श्री सोहनलाल भटनागर—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उतर देने की कृपा करेंगे:

(१) प्राथमिक पाठशाला, सलूम्बर में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है ?

(२) क्या इस पाठशाला की कक्षाएं हर मंदिर के बरामदे में लगाई जाती हैं ?

(३) यदि हां, तो इसका क्षेत्रफल कितना है ?

(४) क्या यह सही है कि अलग अलग कक्षाओं के लिये अलग अलग कमरे नहीं होने से काफी शोरगुल होता है और पढ़ाई नहीं हो पाती है ?

(५) सरकार पाठशाला के भवन के लिये क्या कर रही है ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल (उप शिक्षा मंत्राणी)—(१) ४८५ हैं।

(२) केवल तीन मंदिरों के बरामदों में लगाई जा रही हैं।

(३) पहले का २००० वर्ग० फी०

दूसरे का २००० ,, ,,

तीसरे का ८०० ,, ,,

(४) जी हां।

(५) उपयुक्त भवन प्राप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है। प्राप्त होने पर शीघ्र ही इस पाठशाला को वहां बदल दिया जायगा।

श्री सोहनलाल भटनागर—उपयुक्त भवन के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है ?

Page No 27

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल--कुछ जनता से सहयोग का प्रयत्न आवश्यक है, कुछ सरकार करेगी।

श्री सोहनलाल भटनागर--सरकार कब तक करदेगी ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल--जब जनता कर देगी।

श्री कंवरलाल जेलिया--मंदिरों में स्कूल चलाना क्या सरकार उचित समझती है ?

श्री अध्यक्ष--Any other suppltmentary.

(विराम)

महाराज श्री केसरीसिंह

प्रश्न संख्या ७०८

बूंदी के इन्स्पेक्टर रामचन्द्र के स्थानान्तर व नये इन्स्पेक्टर आने के बीच के काल में स्थानापन्न इन्स्पेक्टर द्वारा बेजाब्तगियां

महाराज श्री केसरीसिंह--क्या देव स्थान मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(अ) बूंदी के इन्सपेक्टर श्री रामचन्द्र विकल का तबादला किस तारिख को हुआ था और दूसरे इन्स्पेक्टर ने चार्ज किस तारीख को लिया और किससे ?

(ब) इस दरमियान में इन्चार्ज इन्सपेक्टर कौन रहा ?

(स) क्या यह सही है कि इन्चार्ज इन्सपेक्टर के वक्त में। बेजाब्तगियां हुई थीं ?

(ड) क्या इस मामले कि जांच सरकार ने किसी अधिकारी द्वारा करवाई थी ?

(य) यदि हां, तो क्या इस जांच के परिणाम स्वरूप ही इन्चार्ज इन्स्पेक्टर का तबादला किया गया था ?

(फ) उपरोक्त इन्स्पेक्टर अभी कहां काम कर रहा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास (देव स्थान मंत्री)—(अ) बून्दी के इन्स्पेक्टर श्री राम चन्द्र विकल का स्थानान्तर बुंदी से भरतपुर दिनांक१६।१२।५४ को हुआ था और श्री नन्दलाल ने इन्सपेक्टर देवस्थान, बून्दी का चार्ज कर्मचारी श्री कपूर चन्द एल.डी.सी से दिनांक ७।१।५५ को लिया था।

(ब) इस दरमियान में कर्मचारी श्री कपूरचन्द ने इन्चार्ज कार्य किया था।

(स) जी हां, श्री कपूरचन्द के विरुध शिकायती पत्र प्राप्त हुआ।

(द) जी हां।

(म) जांच जारी है किन्तु श्री कपूर चन्द का इस दरमियान में तबादला कोटा किया गया था।

(फ) श्री कपूरचन्द की स्त्री का देहावसान हो जाने व वृद्ध माता की सेवा करने वाला कोई नहीं होने से दि० २४।२।५६ को कोटा से बूंदी स्थानान्तर किया है।

श्री केसरीसिंह—क्या उनको हमेशा के लिये वहीं पर रखने का इरादा हैं या कहीं ट्रान्सफर भी की जायगी?

श्री दामोदरलाल व्यास—वह छोटी तनख्वा पानेवाला कर्मचारी है और उसकी स्त्री का देहान्त हो गया है। उसकी बुड्ढी माता की देखभाल करने वाला कोई नहीं हैं इसलिये उसको वहीं रखने का इरादा हैं।

प्रश्न संख्या ७०६

जिला विकास बोर्ड तथा समिति में सरकारी व गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के आधार व उनकी संख्या

रावत श्री शंभूसिंह—क्या विकास मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) जिला विकास बोर्ड तथा समिति में सरकारी तथा गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति किस आधार पर की जाती हैं और सदस्यों की कम से कम और अधिकाधिक कितनी संख्या रखी जाती है?

(ख) जिला भीलवाड़ा की विकास समिति में कितने और कौन कौन सदस्य हैं?

[श्री शंभुसिंह]

(ग) इस समिति का गठन किस वर्ष हुआ और गठन के बाद अब तक प्रत्येक वर्ष में कितनी बैठकें हुई ?

(घ) क्या विधान सभा के सदस्य भी विकास समिति में सदस्य रखे जाते हैं ? यदि हां, तो भीलवाडा जिला विकास समिति में विधान सभा के किन किन सदस्यों को वहां की जिला विकास समिति में सम्मिलित होने का अवसर दिया गया और किस किस को किस आधार पर वंचित रखा गय ?

(ङ) क्या सदस्यों को समिति की बैठक में सम्मिलत होने वास्ते नियत तिथि से समय पूर्व सूचना देदी जाती है ?

(च) क्या समिति की सदस्यता से अब तक वंचित रहे एम. एल. ए. को भविष्य में विकास समिति में आने का अवसर दिया जावेगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—(क) सरकारी व गैर सरकारी सदस्य सरकार की आज्ञानुसार नियुक्त किये जाते हैं सूचि व नियम सदन की मेज पर रख दिये गये हैं।

(ख) जिला भीलवाड़ा में विकास समिति के निम्न सदस्य हैं:—

सदस्य लोकसभा (२) समस्त सदस्य विधान सभा (३) समस्त सरपंच तहसील पंचायत कमेटी (४) जिला अधिकारी, समस्त सरकारी विभाग, सहकारी एग्रीकल्चर ईरीगेशन, निर्माण विभाग सहकारी समाज कल्याण, पंचायत, शिक्षा व मेडिकल के जिला अधिकारी (५) श्री भंवरलाल भदावा, रिप्रेजेन्टेटिव भारत सेवक समाज, राजस्थान। (६) दो सामाजिक कार्यकर्ता जिनमें एक स्त्री हो। (७) दो सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य।

(ग) ५३–५४ में। अब तक ६ बैठकें हो चुकी हैं।

(ख) हां। सबको सूचना दी जाती है। रावत श्री शंभूसिंह को सूचना भूल से नहीं दी गई थी, ऐसा कागजात से जाहिर होता है। उनका पत्र आने पर वे गत मिटिंग में आमंत्रित किये गये थे, पर उपस्थित नहीं हुए।

[श्री दामोदरलाल व्यास]

(ङ) जानबूझ कर किसी को वंचित नहीं रखा गया।

(च) हां, अब तक किसी भी एम. एल. ए. सदस्य को समिति की सदस्यता से वंचित नहीं रखा गया और भविष्य में सभी एम. एल. ए. सदस्यों को समिति में शरीक होने की सूचना बराबर दी जाती रहेगी।

रावत श्री शंभूसिंह—यह सूचना दी गई उसका दफ्तर में रेकार्ड है या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—पहली सूचना तो गलती से नहीं दी गई। दो मीटिंग्ज की सूचना दी गई थी लेकिन आप नहीं पहुँचे।

रावत श्री शंभूसिंह—क्या यह गलती भविष्य में दोहराई जाती रहेगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास—बिल्कुल नहीं। –

श्री श्रीदास गोयल—जिला विकास बोर्ड की सूचना देने से पहले कितनी बैठकें हुई ?

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने अर्ज किया था कि ६ बैठकें हुई।

श्री श्रीदास गोयल—कितने वर्ष में !

श्री दामोदरलाल व्यास—सवाल का जवाब दिया उस समय तो माननीय सदस्य उपस्थित थे नहीं।

श्री श्रीदास गोयल—क्या ये मीटिंग्ज तीन तीन या छः छः महीनों के इन्टरवल से होती रहती हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने अर्ज किया न कि ६ मीटिंग्ज हुई।

रावराजा श्री सरदारसिंह—माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अभी........

श्री हिम्मतसिंह—मुख्य मंत्रीजी नहीं, राजस्व मंत्रीजी।

रावराजा श्री सरदारसिंह—हम इतनी खुशामद करते हैं तो भी रावत शंभूसिंहजी का नाम इन्क्लयूड कर लिया गया था, चिट्ठी नहीं दी तो भी।

Page No 31

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने यह नहीं कहा कि नाम इन्क्ल्यूड नहीं किया गया था। गलती से इत्तला नहीं दी गई यह कहा था।

श्री श्रीदास गोयल—क्या यह जिम्मेदारी कलेक्टर की थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जी हां; कलेक्टर के दफ्तर की।

श्री श्रीदास गोयल—जब सूचना देने की जिम्मेदारी उनकी थी और ६ मीटिंग्ज तक उन्होंने सूचना नहीं दी तो उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास—आपने यह कहां से पता लगाया कि ६ मीटिंग्स में सूचना नहीं दी गई ?

श्री श्रीदास गोयल—अभी मंत्रीजी ने बताया था कि ६ मीटिंग्स के बाद में सूचना भेजी गई।

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने कभी यह नहीं कहा। माननीय मित्र सदन में मौजूद नहीं थे।

श्री श्रीदास गोयल—अभी अभी लास्ट में जवाब दिया था कि ६ मीटिंग्स हुई थी।

श्री अध्यक्ष—(रावत श्री शम्भूसिंह से) आपके पास एक की भी सूचना नहीं पहुंची क्या ?

रावत श्री शंभूसिंह—जी हां, एक की भी नहीं पहुंची।

श्री दामोदरलाल व्यास—मेरे पास दफ्तर से जो सूचना आई है उसके आधार पर यह कहा है।

श्री अध्यक्ष—His question is well-founded.

श्री श्रीदास गोयल—So I wanted a reply.

श्री अध्यक्ष—The reply has come from the member.

श्री श्रीदास गोयल—I want to know when the Collector was in charge and somebody was not informed, who is responsible for this negligence ?

श्री दामोदरलाल व्यास—I had only said that it was due to some mistake in the office and that information was not given. It is being investigated as to on whose mistake it was done.

श्री श्रीदास गोयल—जिन्होंने ऐसा किया है क्या सरकार उनके विरूद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास—There are service rules and action will be take according to that.

रावत श्री शंभूसिंह—मेरे सम्मिलित नहीं होने से काम में जो सफर पहुंचा उसका जिम्मेदार कौन होगा ?

श्री अध्यक्ष—आप होंगे और कौन होगा।

रावत श्री शंभूसिंह—नोमिनेट कब किया गया था ?

श्री दामोदरलाल व्यास—नोमिनेट नहीं किया गया। स्टेट के रूल्स हैं कि हरेक एम. एल. ए. इसका सदस्य है, इसलिये नोमिनेट करने का प्रश्न नहीं है, आपको अधिकार था, आप खुद पता लगाते तो पता लग सकता था।

प्रश्न संख्या ७१०

सन् १९५५-५६ में नायब तहसीलदार व सदर कानूनगो बनाये गये कानूनगो विशेषत: अलवर जिले में

श्री घासीराम—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) सन् १९५५-५६ में कितने कानूनगोओं को नायब तहसीलदार और सदर कानूनगो बनाया गया, उनके नाम और जिला बतावें ?

(ख) अलवर जिले के किन किन कानूनगोओं को नायब तहसीलदार और सदर कानूनगो बनाया गया ?

(ग) क्या यह सही है कि उपरोक्त नायब तहसीलदारों को वापिस कानूनगो बना दिया गया है ? अगर हां, तो किस किस नायब तहसीलदार को वापिस कानूनगो बनाया गया और किस किस को नहीं और क्यों।

[श्री घासीराम]

(घ) उपरोक्त कानूनगोओं की क्या योग्यतायें हैं और सिनियोरिटी में इनके कौन से नंबर हैं ?

(ङ) क्या यह सही है कि सिनियर्स को रिवर्ट किया गया और जूनियर्स को नहीं किया गया, इसके क्या कारण हैं ?

(च) क्या यह भी सही है कि इन रिवर्ट किये गये नायब तहसीलदारों में से एक का स्टे आर्डर सरकार से हुआ है ? यदि ऐसा हुआ है तो किस कारण से ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—(क) सन् १९५५-५६ में जिसने कानूनगोओं को अस्थाई नायब तहसीलदार व अस्थाई सदर कानूनगो बनाये गये उनकी सूची निम्न प्रकार है:—

सूची जिनको नायब तहसीलदार बनाया गया

सं०	नाम	नाम जिला
१	श्री राजबहादुर	कोटा
२	श्री बैजनाथ	,,
३	श्री कल्याण प्रसाद	,,
४	श्री मथुरालाल	,,
५	श्री नन्दलाल	,,
६	श्री जगन्नाथ प्रसाद	,,
७	श्री धीरजसिंह	उदयपुर
८	श्री लक्ष्मणसिंह	,,
९	श्री गुलजारीलाल	,,
१०	श्री सुन्दरलाल	,,
११	श्री अजीमुद्दीन	,,
१२	श्री केशवलाल वैद	,,
१३	श्री मगनलाल कोठारी	,,
१४	श्री अजेराय	जोधपुर

[श्रीदामोदरलाल व्यास]

१५	श्री अमरलाल	जोधपुर
१६	श्री विजयरूपराय	,,
१७	श्री गणपतराय	,,
१८	श्री मोहनलाल	,,
१६	श्री उदयसिंह	जयपुर
२०	श्री नवलकिशोर	झुंझुनू
२१	श्री सोभागमल	भरतपुर
२२	श्री मन्नूलाल	,,
२३	श्री मूलचन्द	,,
२३	श्री घीसासिंह	,,
२४	श्री सत्येन्द्र नाथ	,,
२५	श्री नन्द किशोर	सवाई माधोपुर
२६	श्री मदनमोहनलाल	,,
२७	श्री नरेन्द्रसिंह	,,
२८	श्री चिरन्जीलाल	अलवर
२६	श्री बदरी प्रसाद (१)	,,
३०	श्री शम्भूनाथ	,,
३१	श्री रामस्वरूप	,,
३२	श्री बदरी प्रसाद (२)	,,
३३	श्री रामजीलाल	,,
३४	श्री श्री चंद	टोंक

सूची जिनको सदर कानूनगो को बनाया गया

क. स.	नाम	नाम जिला
१	श्री करणसिंह	जालौर
२	श्री मोहनलाल	जैसलमेर
३	श्री आसूलाल	पाली
४	श्री राजबहादुर	कोटा

तारांकित प्रश्नोत्तर

[श्री दामोदरलाल व्यास]

५	श्री श्री लाल	कोटा
६	श्री जगन्नाथ प्रसाद	बूंदी
७	श्री रामनारायण	,,
८	श्री परमेश्वरी प्रसाद	,,
९	श्री रूपनारायण	झालावाड़
१०	श्री श्रीराम	अलवर
११	श्री खैराती राम	अलवर (राजगढ़) झुंझुनू लगाया गया।
१२	श्री हर दयाल	अलवर (राजगढ़)

नोट:—इसमें उदयपुर और बीकानेर डिवीज़नों की तथा जयपुर डिवीज़न के अलवर जिले को छोड़ कर अन्य जिलों की सूचना सम्मलित नहीं है।

(ख) अलवर जिले के निम्नलिखित कानूनगोओं को अस्थाई नायब तहसीलदार और अस्थाई सदर कानूनगो को बनाया गया:—

नायब तहसीलदार	सदर कानूनगो
श्री बदरी प्रसाद (१)	श्री श्रीराम
श्री रामस्वरुप	श्री खैरातीराम
श्री बदरी प्रसाद (२)	श्री हरदयाल
श्री रामजीलाल	
श्री शम्भूनाथ	

(ग) खण्ड (ख) में अंकित एक और तीन पर अंकित नायब तहसीलदारों को वापिस कानूनगौ बना दिया गया है। और शेष दो चार और पांच संख्या पर अंकित नायब तहसीलदार ही हैं।

(घ) उपरोक्त कानूनगोओं की योग्यता और सीनियोरटी निम्न प्रकार है:—

[श्री दामोदरलाल व्यास]

क्र. सं.	नाम	योग्यता	डिवीजन में सीनियोरिटी	जिले में सीनियोरिटी
१	श्री बद्रीप्रसाद (१)	मैट्रिक पटवार पास	१३३	१६
२	श्री रामस्वरूप	,,	१४२	२२
३	श्री बद्रीप्रसाद (२)	इन्टर पटवार पास	१३६	२०
४	श्री रामजीलाल	मैट्रिक पटवार पास	११७	१३
५	श्री शम्भूनाथ	,,	१४५	२३
६	श्री श्रीराम	,,	११८	१४
७	श्री खैरातीराम	,,	२१३	३८
८	श्री हरदयाल	इन्टर पटवार पास	२००	४१

(ड) जी हां, यह सही है। कारण यह है कि प्रोमोशन एवं रिवर्शन सीनियोरटी और योग्यता एवं अयोग्यता के साथ साथ कार्य कुशलता पर आधारित होते हैं।

(च) जी नहीं।

श्री **घासीराम**—जूनियर्स को रिवर्ट नहीं किया जाकर सीनियर्स को रिवर्ट कैसे किया गया ?

श्री **दामोदरलाल व्यास**—ये प्रमोशन्स मेरिट-कम=सीनियोरिटी के आधार पर होते हैं उसी आधार पर बनाये गये थे और उसी आधार पर कुछ लोगों को रिवर्ट करना पड़ा।

श्री **घासीराम**—दूसरे लोग जो ज्यादा सिनियर थे वे अधिकांश नायब तहसीलदारी से रिवर्ट कर दिये गये और जूनियर रख लिये गये। जिन को नायब तहसीलदार बनाया गया है उनकी क्या सिनियोरिटी थी ?

[redacted]

श्री दामोदरलाल व्यास— यह प्रोविज़िनल अपोइन्टमेंट है। अलग से प्रश्न पूछेंगे तो बता सकूंगा।

श्री घासीराम—सीनियोरिटी हरेक कलेक्टर के ओफिस में अलग अलग रहती है क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह प्रोविज़िनल है।

प्रश्न संख्या ७११

चूरू जिले के तहसील सवारों में हरिजन

श्री प्रभूदयाल—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-

(१) चूरू जिले में कुल कितने हरिजन तहसील सवार के पद पर हैं ?

(२) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दामोदर लाल व्यास— (१) एक भी नहीं।

(२) जी नहीं। पोस्ट कायम हुई थी उस पर भूतपूर्व जागीरों के कर्मचारियों को नियुक्ति किया गया।

श्री प्रभूदयाल—क्या किसी हरिजन ने मांग की थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास— जब जगह खाली ही नहीं थी तो मांग का कोई प्रश्न ही नहीं है।

श्री प्रभूदयाल—क्या सरकार अब जगह खाली होगी तो हरिजनों को लगाने को तैयार है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—ऐसा नियम है कि हरिजनों को प्राथमिकता दी जाय।

श्री प्रभूदयाल—क्या इस नियम का पालन किया जाता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—अवश्य।

श्री प्रभूदयाल—क्या आगे भी पालन किया जायगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास— जी हां।

प्रश्न संख्या ७१२

सरतगढ़ व नौहर में वर्षा के अभाव से अकाल एवं अकाल ग्रस्त घोषित करने की कार्यवाही

श्री मनफूलसिंह—क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) क्या इस वर्ष सूरतगढ़ और नौहर में वर्षा के अभाव से काफी गांवों में अकाल रहा है ? यदि हां, तो सरकार ने इन तहसीलों में कौन कौन से गांव अकाल ग्रसित घोषित किये हैं, और क्या कारण है कि इन गांवों में अकाल सहायता के कार्य चालू नहीं किये गये हैं तथा अब कब तक चालू कर दिये जायेंगे ?

(ख) उपरोक्त तहसीलें कितने वर्षों से अकाल ग्रसित हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास—(क) इस वर्ष तहसील नौहर में ५४ और सूरतगढ़ में ५० गांवों को अभाव ग्रसित घोषित करने की कार्यवाही चल रही है, जिसकी सूची मेज पर रखदी गई है। इन गांवों के संबंध में जिलाधीश, गंगानगर द्वारा कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया। लगान छूट के लिये कार्यवाही की जा रही है। (कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

(ख) लगभग गत पांच वर्षों से।

श्री हंसराज—अकाल घोषित करने की कार्यवाही कब तक चलती रहेगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास—१५ मार्च को सूचना आई है उसके बाद कार्यवाही प्रारम्भ की गई। आज ३० अप्रेल है। इतने दिन बीते हैं।

श्री प्रभूदयाल—फैसला कब तक किया जायगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास—फैसला कर दिया गया है कि अकाल घोषित कर दिया जाय।

श्री हंसराज—क्या इस बारे में कोई कार्यवाही की गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास—फिर क्या कार्यवाही कराना चाहते हैं ?

श्री हंसराज—क्या जिलाधीश द्वारा कोई कार्यवाही करने की जरूरत नहीं ?

श्री श्रीदास गोयल—क्या रिलीफ कार्य करना शुरू किया गया है।

श्री दामोदरलाल व्यास — आप मेरा जवाब सुनते तो प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं रहती।

श्री श्रीदास गोयल— क्या सरकार और किसी मशीनरी से जांच कराना आवश्यक समझती है या नहीं ?

[श्री श्रीदास गोयल]

क्या सरकार इसकी जांच कराने को तैयार है ?

श्री दामोदरलाल व्यास — जांच की आवश्यकता नहीं, अगर रिलीफ वर्कस को आवश्यकता हो तो सुझाव दीजिये, जांच कराई जायगी।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट। श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न समय अभी समाप्त नहीं हुआ है अतः प्रश्न वापिस दोहराये जाते हैं

(रिमव)

श्री श्रीदास गोयल ।

प्रश्न संख्या ६६४

शिवगंज से नेशनल एक्स्टेन्शन ट्रेनिंग सेंटर हटाने के कारण

श्री श्रीदास गोयल—क्या योजना मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या शिवगंज से नेशनल एक्स्टेन्शन ट्रेनिंग सेंटर हटाया जा रहा है ?

(ख) यदि हां, तो कब तक और किस स्थान के लिये ?

(ग) शिवगंज से उक्त केन्द्र हटाने का क्या कारण है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—(क) अभी इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्रीदास गोयल—कब तक निर्णय लिया जायगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास—विचाराधीन है, शीघ्र ही लिया जायगा।

श्री श्रीदास गोयल—क्या इस सेंटर को हटाने के लिये सरकार कुछ टेक्निकलमेन को दूसरी जगह भी भेज रही है यह जांच करने के लिये कि किस जगह उपयुक्त होगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास—हो सकता है।

श्री श्रीदास गोयल—मैं डेफिनेट सवाल पूछ रहा हूं, वेग रिप्लाई नहीं चाहता।

श्री दामोदरलाल व्यास—किस जगह उपयुक्त रहेगा, इसकी जांच कराई जाती है और कराई गई है।

श्री श्रीदास गोयल—क्या कृपया यह फरमा सकेंगे कि किस किस जगह टेक्निकल हैंड्स और पार्टियों ने इस सेंटर के लिये मौका देखा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने कहा कि इस खास सेंटर के लिये किसी को कहीं नहीं भेजा गया, पर सरकार के इन्स्टीट्यूशन्स कहां उपयुक्त होंगे, उसकी जांच कराई गई है।

श्री श्रीदास गोयल—वे कौन कौन सी जगहे हैं जहां जांच कराई गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास—इसके लिये दूसरा प्रश्न पूछिये।

श्री श्रीदास गोयल—माननीय अध्यक्ष, यह तो इस प्रश्न की रिलेवेन्ट चीज है। आपने कहा कि दूसरी जगह जांच कराई गई, तो कहां कहां भेजा गया, यह तो मालूम होना चाहिये, ताकि हम गवर्नमेंट एप्रेशियेट कर सके।

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय अध्यक्ष, मैं फिर अर्ज करूंगा कि किसी पर्टिक्यूलर बात का प्रश्न पूछा जाय तो जवाब दिया जा सकता है He should put a specific question एक जनरल बात पूछी गई उस जनरल बात का जवाब दे दिया गया।

श्री श्रीदास गोयल—शिवगंज से इसे हटाने का क्या कारण है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने अर्ज किया न कि अभी विचाराधीन है, निर्णय नहीं किया गया है।

श्री श्रीदासगोयल—क्या यह सही है कि भारत सरकार ने राजस्थान सरकार को कहा है कि शिवगंज से इसे तत्काल हटाना चाहिये ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जी हां कहा है।

श्री श्रीदास गोयल—क्या राजस्थान सरकार ने भारत सरकार की इस एडवाइस को मान लिया है ?

Page No 41

श्री दामोदरलाल व्यास—अभी विचार कर रही है ।

श्री अध्यक्ष—श्री जयचन्द्र मोहिल ।

(अनुपस्थित)

श्री भगवान सिंह तरंगी

(अनुपस्थित)

श्री कस्तूर चन्द ।

प्रश्न संख्या ९१६

ग्राम लोडामुहा (तहसील बनेडा) के हरिजन बागरिया लछमणराम को अग्निकांड से क्षति के कारण शासकीय अर्थ सहायता

श्री कस्तूर चन्द—क्या मन्त्री समाज कल्याण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सच है कि राजस्थान सरकार अग्नि पीड़ित हरिजनों को अधिक सहायता देती है ?

(२) क्या जिला भीलवाडा तहसील बनेडा के गांव लोडामूहा के एक हरिजन बागरिया लछमणराम का मकान सन् ५४–५५ में अग्नि से जल गया था ?

(३) यदि हां, तो उसको सहायता नहीं देने का क्या कारण है ?

श्री भोगीलाल पंड्या— (१) हां ।

(२) सहायता की रकम दी जा चुकी है ।

(३) हां ।

श्री कस्तुरचन्द—इन हरिजनों को रकम कब दी जा चुकी है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—तारीख से क्या मतलब, उनको रूपया जरूर मिल गया हैं ?

श्री हिम्मत सिंह (अटरू)—कितना रूपया मिला ?

Page No 42

श्री भोगीलाल पंड्या—१५० ।

श्री अध्यक्ष—श्री राम दयाल ।

(अनुपस्थित)

श्री भगवान सिंह तरंगी

(अनुपस्थित)

श्री हंस राज जाटिया । आप जवाब देंगे क्या इसका ?

प्रश्न संख्या ७०३

(प्रश्नोत्तर पुनः दोहराया गया)

धौलपुर डिविज़न में पत्थर के ठेकेदार एवं ग्राहकों को पत्थर देने की दर अत्यधिक

श्री **हंसराज जटिया**—क्या उद्योग मंत्री निम्नलिखित प्रश्न उत्तर देने की कृपा करेंगे ।

(१) धौलपुर सब डिविजन में पत्थर के कितने ठेकेदार हैं और कौन कौन सी जगह के हैं ?

(२) क्या सरकार ने पत्थर ग्राहकों के लिये रेट नियुक्त कर दी है ? यदि हां, तो हर किस्म के पत्थर के लिये क्या रेट रक्खी है ?

(३) क्या यह सत्य है कि ठेकेदारों ने रेट पहले से दुगुनी तिगनी कर दी है ? यदि हां, तो क्यों ?

(४) क्या सरकार ने किसानों को उनके काम के लिये पत्थर निकालने की रियायत दी है ? यदि हां, तो क्या यह रियायत हर प्रकार के पत्थर के लिये है ?

(५) क्या किसानों को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी पत्थर निकलवाने की रियायत है ?

श्री **भोगीलाल पंड्या**—धौलपुर सब डिविज़न में निम्नलिखित ठेके पत्थर के दिये हुए हैं जिनका विवरण इस प्रकार है—

नाम ठेकेदार	नाम एरिया
धौलपुर स्टोन कम्पनी, बरोली	बरोली
श्री किंगपाल सिंह जाबरा स्टोन कम्पनी, तांतपुर	बसेड़ी। धौलपुर कम्पनी के एरिया को छोड़कर । बाड़ी तहसील

[श्री भोगीलाल पंड्या]

श्री हरीशंकर राजेन्द्रपाल, धौलपुर गिर्द तहसील

श्री पूरन ठेकेदार, नरपुर लाड़खेड़ा तहसील

श्री रमेशचन्द्र ठेकेदार, धौलपुर राजाखेड़ा तहसील

(२) नहीं।

(३) नहीं।

(४) हां।

(५) नहीं।

श्री हंसराज जटिया—न० ५ का जवाब नहीं दिया।

श्री भोगीलाल पंड्या—नहीं में है।

श्री हंसराज जटिया—किसान खेती का काम करें या पत्थर निकालने जायं?

श्री भोगीलाल पंड्या—हां खेती का काम करें और फुर्सत के समय अपने काम के लिये पत्थर निकालें।

श्री हंसराज जटिया—क्या रेट वगैरह नहीं बढ़ाई है?

श्री भोगी लाल पंड्या—सरकार ने कोई रेट नहीं बढ़ाई है।

श्री हंसराज जटिया—ठेकेदारों ने तो अपनी मर्जी से बढ़ा रखी है?

श्री भोगीलाल पंड्या—जिस को भाव पोसाता है, वह उस भाव से बेचता है और जिसको पोसाता है, वह खरीदता है, सरकार ने कोई रेट मुकर्रर नहीं की है।

श्री हंसराज जटिया—सरकार की तरफ से कोई रेट मुकर्रर क्यों नहीं की गई?

श्री भोगीलाल पंड्या—सरकार कर नहीं सकती, सब की एक रेट नहीं होती है, पर ठेकेदारों ने कहा था कि १५ आना व एक रुपया घन फुट पत्थर देंगे।

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष—सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं सदस्यों को सूचित करता हूँ कि श्री लक्ष्मणसिंह वि. सं. ८६ ने २६ मार्च, सन् १९५६ से १८ मई, सन् १९५६ तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिये प्रार्थना की है।

क्या सदन की यह अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

राजस्थान नगरपालिका विधेयक १९५४ (अग्रेतर खण्डशः विचारविमर्श)

म्युनिसिपेलिटीज़ बिल, खंड ८७ पर अग्रेतर वादविवाद।

राज श्री हिम्मत सिंह (अटरू)—अध्यक्ष महोदय, क्लॉज ५७ के ऊपर बहस चल रही है और उसमें अमेंडमेंट्स पेश हुए हैं। पहला अमेंडमेंट श्री सोहनलाल भटनागर का है और श्री भैरूसिंहजी का उसके अन्दर दूसरा अमेंडमेंट है। इस तरह ये दो अमेंडमेंट्स धारा में पेश हुए। श्री सोहनलालजी भटनागर का अमेंडमेंट है उसके देखते हुए तो इस सदन को बड़ी हैरानी भी हुई है और बड़ा आश्चर्य भी हुआ है कि इस तरह का अमेंडमेंट इस कार्य के लिये इस सभा के अन्दर किस तरीके से आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष—शोभा कार्य के लिए।

राज श्री हिम्मतसिंह—जब कि हम प्रजा को सेल्फ गवर्निंग पॉवर दे रहे हैं वहां सेल्फ गवर्निंग पॉवर के अन्दर इस तरह का हस्तक्षेप होना यह एक बड़ी विचारणीय बात है। शहरों की आबादी में प्रायः राजस्थान में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति रहते हैं अगर ऐसी दशा में भी उन लोगों पर विश्वास न किया जाय और सरकार इस तरह अपने हाथ में टेक्सेशन इम्पोज़ करने के पॉवर रखे तो क्या समझा जाना चाहिये कि वहां की प्रजा की बुद्धिमता में क्या सरकार को संशय है? इस अमेंडमेंट से तो यही मालूम होता है कि शहरों की प्रजा जो कि चाहती है कि म्युनिसिपेलिटियां, म्युनिसिपल कारपोरेशनस, म्युनिसिपल कौंसिल्स बनें उनको क्या इस योग्य भी नहीं समझा जाता कि लोगों की भावनाओं को देखते हुए किस तरह के टेक्सेज़ लगावें? वाकई यह कोई डेमोक्रेटिक स्टेप गवर्नमेंट ने नहीं लिया है, यह तो बिल्कुल ओटोक्रेटिक स्टेप लिया है और मैं कहूँगा कि कोम्युनिज़्म से कम नहीं है।

फिर ओब्लीगेटरी टेक्सेज़ के अन्दर भी ऐसे प्रोविज़न्स रखे हैं, जैसे कि कुत्तों के ऊपर टेक्स लगाने का प्रोविज़न रखा है। समझ में नहीं आता कि क्यों ऐसा समझा जाता है कि कुत्तों

[राज श्री हिम्मतसिंह]

पर ओब्लीगेटरी टेक्स लगाया जावे। क्या कुत्ते ही ऐसे जानवर हैं जिन पर टेक्स लगाना जरूरी समझा गया है ? मैं समझता हूँ कि कुत्तों से ज्यादा न्युसेन्स तो आपके भंगियों के सूअरों की है जिनको आप कतई छोड़ रहे हैं। अगर आप सूअरों पर टेक्स लगते तो कुत्तों से ज्यादा उचित बात मालूम होती। फिर टेक्स लगाये जावेंगे...

"A tax on vehicles and other conveyances entering the Municipality."

अगर कोई इलाक से बाहर से कोई जानवर या कन्वेयेन्स आये तो उसको पकड़ लिया जाता है और उस पर टेक्स लगाया जाता है। इसके लिए काश्तकारों ने काफी आवाज उठाई और अभी तक उठाते जा रहे हैं, लेकिन दुःख की बात यह है कि उनकी कोई सुनता नहीं। उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। कोई काश्तकार अपना सामान बेचने के लिये म्युनिसिपेल्टी में आता है तो उसको ऑक्ट्राय तो देनी होती है वह तो उससे ले ली जाती है और इसके अलावा उसकी गाड़ी पकड़ ली जाती है और उस पर भी बिल्ला लगाया जाता हैं। इस हद तक ज्यादती होती है। मैं यह निवेदन करूंगा कि इस तरह की जबरदस्ती काश्तकारों के साथ क्यों ? जब उनसे ऑक्ट्राय आप ले लेते हैं तो फिर उनको छोड़ दिया जाना चाहिए।

एक टेक्स आप लगाते है :

"A tax on boats moored within the municipality."

राजस्थान में तो कोई ऐसे स्थान नहीं हैं जहां बोट ज्यादा हो सकते हैं। सिर्फ एक कोटा ही ऐसा स्थान है जिसमें बोट्स जरूर होते हैं। वहां पर भी १०, २० बोट होंगे। इन पर टेक्स लगा कर क्या म्युनिसिपेल्टी धनवान बन जावेगी ? अगर एक बोट पर ८ या १० रुपये सालाना लगाएगी तो भी साल में २०० रुपये सरकार को इनसे आमदनी के मिलेंगे। क्या इससे काफी धन संग्रह हो जावेगा ? मैं नहीं समझता कि इस तरह के ओब्लीगेटरी टेक्स इसमें क्यों लगाए जाते हैं।

फिर जब एक प्रोविजन ८८ क्लाज में मौजूद है :

"Power of State Government to require Board to impose taxes."

जब पहले ही गवर्नमेंट के पास ऐसे अधिकार हैं कि जिस पर चाहे टैक्स लगा सकती है तो उसके माफिक हर म्यूनिसिपल बोर्ड को लाजमी होगा कि वह टैक्स चाहे लगा सकता है तो फिर यह मेरी समझ में नहीं आता कि नया टैक्स ओब्लीगेटरी लगाने की क्या जरूरत है ? समझ में नहीं आता कि इस तरह का नया टैक्स लगा कर और एमेन्डमेंट लाकर झगड़ा मोल क्यों लिया गया है ?

Page No 46

[राज श्री हिम्मतसिंह]

इस तरह का एमेन्डमेंट लाना शोभा नहीं देता। मैं समझता हूं कि मिनिस्टर महोदय इस पर पुनः विचार करेंगे और इसके लिये आपस में कोई समझौते से हल निकाल कर कोई अच्छा क्लॉज़ बनायेंगे जिससे यह ओब्लीगेटरी टैक्स नहीं लगे और म्यूनिसिपेल्टी के अधिकारों में हस्ताक्षेप नहीं हो। अगर इस तरह की बात होगी तो बड़ी प्रसन्नता होगी। इस पर मैं ज्यादा कहना मुनासिब नहीं समझता। बस इतना ही कहूंगा कि माननीय मन्त्री इस पर विचार करेंगे और ऐसा कदम उठावेंगे जिससे सदन की आवाज के माफिक यह नया क्लॉज़ बने।

श्री श्रीदास गोयल—माननीय अध्यक्ष, म्यूनिसिपल बिल में क्लॉज़ ८७ है। इसके स्थान पर हमारे माननीय सदस्य श्री सोहनलाल जी भटनागर ने अपना एमेन्डमेंट रखा है और उससे उन्होंने 'मे' शब्द के स्थान पर 'कम्पलसरी टैक्स' लगाने का सुझाव दिया है। इसका नतीजा यह निकलता है कि यदि परिस्थितिवश वातावरण को देखते हुए म्यूनिसिपेल्टी के सदस्य यह चाहें कि इस प्रकार का टैक्स हमें नहीं लगाना चाहिये या यह समझें कि इस प्रकार का टैक्स जनता के हित की दृष्टि से उचित नहीं है, नगरपालिका की दृष्टि से हितकर नहीं है और टैक्स से जो फाइनेन्स होने वाली है वह उसके टैक्स को वसूल करने के लिये स्टाफ रखा जावेगा उसके खर्च को भी पूरा नहीं कर सकती, है तो भी कम्पलसरी होने के नाते रखनी पड़ेगी, इस लिये मैं यह कहूंगा कि जो बात ओरिजनल बिल के क्लॉज़ में थी वह ज्यादा सुन्दर और व्यवहारिक थी। उसमें लोकल म्यूनिसिपेल्टीज़ को यह अधिकार था कि अपने ढंग से जहां पर जिस ओर का टैक्स उपयोगी समझें लगादें। वह वाजिब था।

मुझे ऐसा मालूम होता है कि संभवतः सदस्य लोग चुने हुए आते हैं और जब कभी किसी प्रकार का टैक्स लागने को कहा जाता है तो सदस्यों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है और इस वजह से म्यूनिसिपेलिटी के सदस्य उन टैक्सों को नहीं लगाते और इसका नतीजा यह होता है कि सरकार को म्यूनिसिपेल्टीज को कर्जा देना पड़ता है, एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करना पड़ता है और म्यूनिसिपल्टीज़ का काम चलवाना पड़ता है। मैं समझता हूं कि यह स्थिति कहीं पैदा नहीं हो जाय इसलिये माननीय सदस्य ने यह सुझाव रखा है कि ये टैक्स कम्पलसरी रखे जावें। अगर ऐसा किया गया है तो मैं यह निवेदन करूंगा कि यह सुझाव जल्दबाजी में पेश किया हुआ है और यह डेमोक्रेसी के फन्डामेंटल सिद्धान्तों के बिल्कुल विपरीत पड़ेगा। क्योंकि डेमोक्रेसी में जो लोग चुन कर आवेंगे वे अपनी खुद की भावनाएं वहां की नगरपालिकाओं के लिये रखते हैं। और इस प्रकार कम्पलसरी टैक्स लगाने का आदेश दे कर आप उनके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। अगर डेमोक्रेसी में इस प्रकार का आप गाइडेन्स देते हैं तो यह आपका गाइडेन्स म्यूनिसिपेल्टीज़ पर एक प्रकार का व्हिप हो जाता है और आपके व्हिप के विपरीत म्यूनिसिपेल्टीज़ चल नहीं सकती! इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर आप उन चुने हुए सदस्यों के लिये यह मार्ग दर्शन करेंगे कि इन रास्तों पर तुम को चलना ही पड़ेगा तो जो डेमोक्रेसी के सिद्धान्त हैं उनको काफी नुकसान पहुँच सकता है। ऐसी हालत में मैं यह निवेदन करूंगा कि 'मे' शब्द रहे तो ज्यादा अच्छा होगा।

[श्री श्रीदास गोयल]

इसके साथ में मैं यह निवेदन करूंगा कि क्लॉज ८७ के सब ७ क्लॉज को पढ़ते हैं तो यह मालूम होता है कि किसानों के साथ जानवर जो म्युनिसीपल एरिया में एन्टर होंगे उन पर भी टैक्स होगा। क्लॉज ८७ का सब क्लाज ७ इस प्रकार है।

"a tax on animals used for riding, burden and draught when kept within the municipality." मैं यह निवेदन करूंगा कि इसमें आपने किसी को एग्जेम्प्ट नहीं किया है। इसमें बहुत से ऐसे जानवर हैं जिनको सारे गरीब लोग इस्तेमाल करते हैं। किसान लोग भी इनका उपयोग करते हैं। वे लोग भी खच्चर, घोडा रखते हैं और जिनका वे सवारियों में उपयोग करते हैं। बहुत से टाउन ऐसे हैं जैसे आप हिन्डोन को ले लीजिये, सवाई माधोपुर को ले लीजिये, गंगापुर को ले लें, जहां सैकड़ों काश्तकार ऐसे हैं जो म्युनिसिपिल एरिया में काश्त करते हैं और जानवरों द्वारा साग सब्जी बाजार में लाकर बेचते हैं। वे लोग बैलगाड़ियों को भी इस्तेमाल करते हैं। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि इस धारा के द्वारा सवारी के काम आनेवाली, ड्राइविंग के काम आने वाले या माल ढोने के काम में आने वाले जानवरों को सबको म्युनिसिपेलटी का टैक्स देना पड़ेगा जो उसके एरिया में एन्टर करेगा। जब हम एक तरफ समाजवादी व्यवस्था कायम करने जा रहे हैं और दूसरी तरफ हम इस प्रकार के साधारण टैक्स लगाकर, इस प्रकार की सुविधा से लोगों को महरूम रखना चाहते हैं तो क्या यह उचित एमेन्डमेंट होगा आया इसमें हम समाजवादी व्यवस्था की ओर अग्रसर हो सकते हैं।

इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस क्लॉज के संबन्ध में जो एमेंन्ड-मेंट रखा गया है वह उचित नहीं है चाहे यह कहीं से प्रेरणा आने पर रखा गया हो। मैं यह कहूंगा कि सिलेक्ट कमेटी ने काफी विचार करने के बाद में इसको रखा है और इस पर काफी छानबीन की है। इस-लिये यहां पर इस प्रकार का एटरेन्डम एमेन्डमेंट रखना कितना हितकर होगा यह मैं नहीं समझ सका। गरीब लोगों की शिकायत को देखते हुए इस पर माननीय मंत्री विचार करेंगे। इस म्युनिसिपल बिल में अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण क्लॉज हो सकता है तो वह है टैक्सों के बारे में। डेमोक्रेसी में टैक्स लगाने का अधिकार म्युनिसिपेल्टी के चुने हुए सदस्यों को नही दे कर सरकार कम्पलसरी टैक्स का प्रोविज़न करेगी तो वह श्रेयकर नहीं होगा, ऐसी स्थिति में टेक्सेशन का जो क्लॉज है वह आज की परिस्थिति में न हो और जो सिलेक्ट कमेटी ने निर्णय लिया था उसको परिवर्तन कर देना उचित नहीं होगा इसलिये मेरा माननीय मंत्री महोदय से यह दुबारा निवेदन है कि वे इस पर पुनः विचार करें और म्युनिसिपेलिटीज़ को वे ही अधिकार दें जिससे आने वाले मेम्बर्स जो हों उनका रास्ता स्वच्छ, सुन्दर और साफ रहे और रास्ते पर चल कर वे जनता का अधिक से अधिक हित कर सकेंगे।

श्री **चन्दनमल वैद**--माननीय अध्यक्ष महोदय, दो दिन से हम बहुत ही महत्वपूर्ण धारा पर विचार कर रहे हैं। वह धारा अपने आप में उतनी महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन इसमें जो सिद्धान्त

[श्री चन्दनमल वैद]

इनवोल्व्ड हैं उसके कारण वह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। जब म्युनिसिपल बिल पर साधारण वाद-विवाद हो रहा था तब भी कई सदस्यों ने इस बात का विचार प्रगट किया था कि हमें म्युनिसिपल बिल में ऐसे प्रोवीजन कर देने चाहिये जिससे हर म्युनिसिपेलिटी को वे टेक्स कम्पलसरी लगाने पड़ें। उस समय माननीय मंत्री ने आश्वासन दिया था कि जब क्लॉज डिसक्शन होगा वे इस बात का ध्यान रखेंगे। मुझे खुशी है कि उस आश्वासन का ध्यान रखते हुए ऐसे प्रोविजन रखने की कोशिश की जा रही है।

माननीय अध्यक्ष, यह मानते हैं कि हमें म्युनिसिपेलिटीज़ को इतने फाइनेन्सेज दे देने चाहिये ताकि उसको रोजमर्रा के काम में दिक्कत न आ सके और म्युनिसिपैलिटी को हर वक्त इस बात का अन्देशा न रहे कि हमने कोई टैक्स लगाया तो हडताल हो जायगी, जलूस निकलेंगे और रोजमर्रा के काम में बाधा आयगी। इस बात का भी डर न रहे कि हरिजन और दूसरे कर्मचारी कहीं हडताल न करदें। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें यह अनिवार्य रूप से सोचना होगा कि हम म्युनिसिपेलिटीज़ को इतने फाइनेन्सेज के साधन दे दें ताकि वह अपने रोजमर्रा के काम बिना किसी बाधा के चलाते रहे। इसके अलावा बहुत से ऐसे सोगे भी है जिनकी आमदनी म्युनिसिपैलिटी को जानी चाहिये किन्तु उनकी आमदनी सरकार के पास जाती है मेरा सरकार से निवेदन है कि वे सोगे भी म्युनीसिपैलिटी को दे दें। मैं जो संशोधन श्री सोहनलाल जी भटनागर ने रखा है उसका समर्थन करता हूं, मूल क्लॉज में यह है कि म्युनिसिपेलिटीअमुक अमुक टेक्स लगायेगी। और संशोधन प्रस्तुत किया गया है कि उसमें यह बात आयी है कि कुछ टेक्सेज़ ऐसे होंगे जो म्युनिसिपेलटीज़ को कम्पलसरी लगाने पडेंगे, उनकी रेट, उनका तरीका राजस्थान सरकार तय करेगी और राजस्थान गजट में शाया करेगीं उसके बाद वे टेक्स कम्पलसरी लगे हुए माने जायेगें।

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह कदम है वह बहुत आवश्यक और जरुरी है। कुछ माननीय सदस्यों ने इस बात का विरोध भी किया है लेकिन हो सकता कि इसमें कुछ टेक्स ऐसे हों जिनको नहीं लगाया जाना चाहिए, ऐसे टेक्सेज़ के बारे में आपस में बैठकर सोचा जा सकता है और उसको सुलझाया जा सकता हैं, लेकिन इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि हमें कुछ फाइनेन्सेज़ म्युनिसिपैलिटी को देने होंगे ताकि रोजमर्रा का झंझट न रहे। पहले इसके लिये रूल्स बनाये जायेंगे फिर राजपत्र में शाया किये जायेंगे उसके बाद लीगल फोर्मेलिटीज़ पूरी की जायेगी उसके बाद भी यह तय है कि इन टेक्सेज़ के विरोध में सत्याग्रह होगा, जूलूस निकलेगे उसके बाद भी यह तय शुदा है कि टेक्स तो म्युनिसिपैलिटीज को लागू करने ही होंगे। जब कि हरेक म्युनिसिपैलिटीज़ को अपने टेक्स लगाने पडते हैं उसके लिये कई फोर्मेलिटीज़ ओबजर्व करनी पडती हैं पहले जो टेक्स वह लगाना चाहती है उसके लिये राजस्थान सरकार से आज्ञा लेनी पडती है फिर उसके बाद वे राज पत्र में शाया होते हैं उसके बाद भी कई तरह की समस्या रह जाती है। ऐसी हालत में हम जो बिल में यह प्रोवीजन रख देते हैं तो बहुत ही श्रेयकर है। यह तो मानी हुई बात है कि किसी भी

[श्री चन्दनमल वैद्य]

म्युनिसिपेलिटी का टैक्स लगाये बिना काम नहीं चल सकता, वे दो टैक्स एक साथ लगा देने से यह होगा कि सारी दिक्कतें दूर हो जायगी। इसके अलावा और कोई उन्नति के कार्य करने हों, नगर सुधार के और कोई कार्य हों तो उसके लिये अलग से टैक्सेज़ लगाये जा सकते हैं, लेकिन इससे यह जरूर हो जायगा कि इतने टैक्स तो लगाने लाजमी होंगे ताकि उनका रोजमर्रा का काम चलता रहे।

थोड़े दिन पहले सारी म्युनिसिपेलिटीज़ के चेयरमेन का सम्मेलन यहां हुआ था, उसमें सर्व सम्मति से यह सिफारिश की गई कि राजस्थान सरकार की तरफ से सभी म्युनिसिपेलिटियों पर कुछ टैक्स होने चाहिये जो कम्पलसरी लोग कर सकें ताकि रोजमर्रा की झन्झट न रहे। क्योंकि किसी भी प्रकार के टैक्स को लागू करने में पहले सरकार की मन्जूरी लेनी पड़ती है उसके बाद राजपत्र में शाया होता है इस तरह से इस प्रोसीज़र में दो तीन साल का समय लग जाता है, इसलिए मैं तो यह समझता हूं कि जो संशोधन श्री भटनागर जी ने रखा है वह प्रशंसनीय है। इससे बहुत सी म्युनिसिपेलिटीज़ का समय बरबाद होने से बच जायगा और जो समय ऐसे कामों में करने में लग जाता है उसकी बचत होगी। इसमें भी दो एक बातें ऐसी हैं जिनको आपस में बैठकर सुलटा सकते हैं जैसे अभी एक माननीय मित्र ने कहा टैक्स फोर एनीमल "tax on animals used for riding, driv:ng, draught or burden,"

यह ठीक है यदि इससे ऐसा मालूम पड़ता है कि इससे गरीब आदमियों को परेशानी हो सकती है तो इस संबंध में आपस में बैठकर सुलझा सकते हैं। इसके अलावा टोल टैक्स के बारे में भी यह है कि इसका बोझ गरीब आदमियों पर पड़ने वाला है तो इस पर भी विचार किया जा सकता है।

एक चीज और है जिसे भी निकाल दिया जाना चाहिये वह है रूलर्स की फेमिलीज़ को इन टैक्सेज़ से एक्जेम्प्ट किया गया उन पर टैक्स नहीं लगेगा इस संबंध में मुझे एतराज है। रूलर्स की हालत है वह हर आदमी से अच्छी है ऐसी हालत में उनको टैक्स से बरी रखना ठीक नहीं है। यदि इसमें हम उन पर दुगुने टैक्स लगाते हैं तो फिर भी कोई बात होती, जब हम एक गरीब आदमी पर टैक्स लगा रहे हैं तो वैसी हालत में उन्हीं टैक्सेज़ से रूलर्स व रूलर्स की फैमिली को वंचित रखना मैं समझता हूँ यह कोई न्यायोचित चीज नहीं है। मैं श्री भटनागर से यह निवेदन करूंगा कि उनके संशोधन में जो यह बात है वे निकाल दें।

एक माननीय सदस्य ने कुत्तों के बारे में भी कहा मैं नहीं समझता कि वे कुत्तों का किस हद तक प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर उनका प्रतिनिधित्व का अधिकार मान भी लिया जाय तो श्री भटनागर जी शायद उनकी बात को मान लेंगे।

[श्री चन्दनमल वैद]

अन्त में मैं यह समझता हूँ कि जो संशोधन आया है, वह काफी अच्छा है कुल मिलाकर अच्छा है इसलिए माननीय मंत्री महोदय को इसे स्वीकार कर लेना चाहिये, इससे म्युनिसिपेलिटीज़ की बहुत सी दिक्कतें दूर हो जायेंगी और जो बहुत समय टैक्सेज़ के लगाने में चला जाता है वह बच जायगा, उस समय में सफाई और अन्य उन्नति के काम की ओर वे ज्यादा ध्यान दे सकेंगे तो जनता का हित होगा।

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता के बोलने के लिए खड़े होते ही द्वारकादास पुरोहित भी बोलने के लिए खड़े हो गये।)

श्री अध्यक्ष—(श्री पुरोहित से) अब तक तो आप गैर हाजिर थे ?

(श्री गुप्ता के बैठ जाने पर)

The Hon'ble Minister gives way in favour of the member.

श्री चन्दनमल वैद—The Hon'ble Member also takes care of the feelings of the Hon'ble Minister.

श्री द्वारकादास पुरोहित—अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन इस क्लॉज में माननीय श्री सोहनलाल भटनागर ने रखा है उसके बारे में मैं सदन से कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। पेश्तर इसके कि मैं इस पर कुछ प्रकाश डालूं उस से पहले साइको एनेलिसिस माननीय सदस्य का किया जाय जो कि इस अमेन्डमेन्ट के रखते वक्त उनके दिमाग में आया, वह क्या चीज थी उस पर विचार करना बहुत बेहतर होगा।

टैक्स लगाना आज के युग में जरूरी भी है मगर उसका मुकाबला करने में लोगों को घबराहट भी हो सकती है। जब कभी टैक्स के लगाने का सवाल आता है उस समय हर तरफ झगड़े पैदा होते हैं, टैक्स जिन पर लगाया जाता है वे विरोध करते हैं। इसी लिये यह रास्ता अंगीकार किया गया कि स्टेट गवर्नमेंट ही टैक्स लेवी करके देदे ताकि म्युनिसिपैलिटी के चुने हुए लोगों को कन्फ्लिक्ट में न आना, पड़े। इसीलिये इस प्रकार के संशोधन की आवश्यकता हुई ताकि इस प्रकार का झगड़ा मिट जाय। मेरा ख्याल है कि डेमोक्रेसी में इस तरह की भावना को प्रोत्साहन देना डेमोक्रेसी का गला घोटना है।

जहां म्युनिसिपेलिटीज़ के एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने की बात आती है तो गवर्नमेन्ट इस प्रकार के काम को हाथ में ले ले तो उसका मतलब यह हुआ कि जिस तरह से हम पंचायत राज्य स्थापित करने जा रहे हैं उसमें जो शुरूआत में जो दिक्कतें आती है उन दिक्कतों का मुकाबला

Page No 51

[श्री द्वारकादास पुरोहित]

करने की हिम्मत नहीं, इसलिये हम कानून में ही इस तरह की व्यवस्था करवाना चाहते हैं ताकि जिस कानून से हमारा डाइरेक्ट कन्फ्लिक्ट न होकर गवर्नमेंट इस सारे बरडन को लेले।

मेरी समझ में नहीं आता कि हम जब पंचायती राज को स्थापित करते हैं तो म्युनिसिपेलिटीज और पंचायत के लिये बजाय इस बात को इस तरह से सोचने के कि हमारी गवर्नमेन्ट पेश्तर कि ऐसे प्रोवीजन्स हमसे पास करावे के ले जावे इसके पहले सदन के सामने इस तरह के स्टेटिस्टिक्स दे कि आज के दिन जनता की क्या कैपेसिटी है, किस तरह की उसकी परचेजिंग कैपेसिटी हमने बढाई है, जिस तरह की कैपेसिटी अपने राज के अरसे में टैक्स पेइंग कैपेसिटी बढ़ी है और इसको बढाकर, लोगों के दिलों को जीतकर, उनकी अमेनिटीज को एक्सटेन्ड करके और इसके आधार पर जिम्मेदारी बतावें कि टैक्सेशन लगाना भी उनकी जिम्मेदारी है। जो म्युनिसिपेल बोर्ड सुनाई करता है जनता की उसमें कन्ट्रीब्यूशन करना तामम लोगों का फर्ज है, इसलिये इस फर्ज को बताकर उनकी अपनी जिम्मेदारी को समझा कर जो वाजिब टैक्स है वह लगाना चाहिये। वे लगाकर हम अगर आगे बढ़ें तो हम डेमोक्रेसी को सफल बना सकेंगे। हम लोगों को इस बात को बता सकेंगे और जो तरमीम मेरे साथी भटनागर ने पेश की है तो इससे उनके दिमाग का कन्फ्यूजन भी नहीं रहेगा। दरअसल में बात यह है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को महसूस न करके हम यह करते हैं कि टैक्सों के मामले में नकल किया करते हैं दूसरे के कानूनों की। पर आपने यह नहीं देखा कि दूसरे प्रोविन्सेज में लोगों की टैक्स पेइंग कैपेसिटी क्या है, इसके आंकड़े आप तैयार नहीं करवाते। यहां उस तरह की टैक्स पेइंग कैपेसिटी लोगों की बढी या नहीं नहीं देखते। यह भी हमें पहले देखना चाहिये फिर किसी की नकल करनी चाहिये, नकल करें तो फिर पूरी करें। एक तरफ टैक्सों की तो नकल कर लेते हैं पर वे टैक्स जिस जनता पर लागू किये जाते हैं उस जनता की टैक्स पेइंग कैपेसिटी वहां कैसी है और यहां कैसी है यह नहीं देखते। तो यह अनुचित बात है।

आज के जमाने में इस साल दो साल में म्यु० में जो टैक्सेज यहां लगे हैं वे इतनी तादाद में लगे हैं कि और जगहों के मुकाबले में उनका औचित्य सिद्ध करना आज सम्भव नहीं है। औचित्य पर ध्यान नहीं दिया और यही कारण है कि फिर आगे चलकर हड़तालें होती हैं, और बाद में फिर तरमीमें हुआ करती हैं और इससे फिर बिटरनेस भी पैदा होती है। इस सारे बिटरनेस का इलाज यह अमेन्डमेन्ट नहीं है बल्कि स्टेट गवर्नमेन्ट के लगाने से तो कन्फ्यूजन बढ़ेगा। स्टेट गवर्नमेन्ट तो जिस तरह से पुराने वक्त में करती थी काम उसी तरह से और उसी ढंग से काम करेगी। जैसे म्यु० को दस लाख की जरूरत है तो वह चाहेगी कि ८ लाख के टैक्सेज किसी तरह से लगा दिये जावें। चाहे लोगों की फिर कैपेसिटी हो या न हो। इसका बवाल क्या है इसकी परवाह नहीं करके इस तरह के टैक्स लगा देते हैं।

टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि कई म्यु० में लेण्ड रेवेन्यू का हिस्सा भी दिया जाता है। तो इस तरह का प्रोवीजन तो यह स्टेट गवर्नमेंट करने वाली नहीं है। न

[श्री द्वारकादास पुरोहित]

हमारे यहां पर इस तरह का प्रोवीज़न हम डालने वाले हैं। हमारे यहां स्टेट गवर्नमेंट को यह अधिकार मिल जावे तो जैसी मरजी हो, जिस तरीके से हो टैक्स लगाती जावेगी। एक वक्त तो सुझाव आया था कि म्यु० एरिया में कोई भारी लेकर आवे तो छः आना का टैक्स लिया जावे। यह प्रोपोज़ल आज से दो साल पहले आया था।

तो स्टेट गवर्नमेंट ने सोलह लाख के टैक्सेज लगायें हैं जो अब घटकर ४ लाख पर आ गये हैं। तो इस तरह से काम करेंगे तो किस तरह से हम इसको सफल बना सकेंगे यह सोचने की बात है।

इस किस्म के न अधिकार लेने चाहिये और न हमें देने चाहिये। मैं तो अपने साथी भटनागर को यही कहूंगा कि वे इस तरह के संशोधन को वापिस ले लें। और इस किस्म की हिम्मत लावें अपने आप में कि इन टैक्सों का औचित्य समझा सकें लोगों को। अगर वाजिब है और औचित्य सही है आप वाकई सेवा करते हैं, आप अगर जनता की अमेनिटीज़ बढ़ाते हैं, आप शिक्षा, पानी और बिजली का इन्तजाम ठीक तरह से करते हैं, रोड़ों का इन्तजाम ठीक तरह से कर सकते हैं, मकानों की दिक्कतें जनता की दूर कर सकते हैं, तो फिर विश्वास रखिये लोग भी खुशी खुशी आपको टैक्स देंगे। पर यह हिम्मत आप में न हो और केवल आप दूसरों की नकल करके आप यह चाहते हों चूंकि कि और शहरों में सी टैक्सेज़ हैं और इसलिये हम भी अपने यहां लगावें और चूंकि यह एक प्रिन्सिपल है कि लोगों को अपनी अमेनिटीज़ के लिए टैक्स देने चाहिये तो उस हालत में झगड़े होंगे, लोग आपका मुकाबला करेंगे और यह डरपोक नीति होगी, अमेन्डमेन्ट लाने पड़ेंगे बार बार जिन म्यु० के मेम्बरों को हक हैं वे बराबर विरोध करेंगे इनका। तो इस स्थिति में औचित्य को सिद्ध किये वगैर आप अगर टैक्स लगावेंगे तो इसका एडवर्स इफेक्ट होगा। तो आज आप इन बातों पर सोचें, समझें इन बातों को और जनता के उन लोगों के साथ बैठकर इन पर बातचीत करें। आज स्पून फिडिंग का वक्त नहीं है। यह तो एक तरह से डिप्राइव करना है। जो थोड़ा बहुत मजदूर महनत से कमाता है उसका वह पैसा भी आप छीनने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी उसको डिप्राइव करने की ये बातें हैं। इसलिये माननीय अध्यक्ष महोदय, यह निहायत सोचने की बात है, मैं मिनिस्टर महोदय से दरख्वास्त करूंगा कि इस क्लॉज को पास करने के पहले इस पर विचार करें, सोचें और सब तरह के लोगों की राय लेकर फिर इस पर निर्णय लें।

टैक्स का मसला मुश्किल मसला है। मुश्किल इसलिये हो गया है कि उसको बना दिया गया है। शासक लोग अमेनिटीज़ की तरफ तवज्जो न देकर टैक्सों की तरफ देखने लगे हैं। इसलिए दूसरे लोगों को, पोलिटिकल पार्टीज को मौका मिलता है लोगों को गुमराह करने का, उनको इन टैक्सों के खिलाफ भड़काने का और इस बात का कि वे जनता के चुने हुए लोगों के खिलाफ एक स्थिति पैदा कर दें।

[श्री द्वारकादास पुरोहित]

यह दर असल इसलिये होता है कि आप अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाते। आप लोगों को यह समझाने में सफल नहीं होते कि टैक्स लगाने से क्या फायदा होगा। मैं कहूँ आप एक दो मिसाल रक्खें। इन शहरों में जहां म्यूनिसिपेलिटी मौजूद हैं उनमें इन विगत सात सालों के भीतर आपने जनता की अमेनिटीज़ बढाने की क्या बातें की? कहां पर रीडिंग रूम खुलवाये? लाइब्रेरियां कहां खुलवाई? बच्चों के खेलने कूदने के लिये आपने क्या साधन मुहइया किये, कहां पार्क बनवाये? और क्या किया जनता के मनोरंजन के लिये, उसकी शिक्षा दीक्षा के लिये, जहां कि लोग इन चीजों को देख कर सोच सकें कि इस तरह के टैक्स लगाने से ऐसी चीजें, ऐसे पार्क, ऐसी अमेनीटिज़ हर मौहल्ले में होंगी और उनका और उनके बच्चों का फायदा होगा। आपने किस जगह पर प्राइमरी स्कूलें बनाकर लोगों को इस बात की क्रियात्मक शिक्षा दी कि जिससे उन पर प्रभाव पड़े कि टैक्स लगावेंगे अगर हम टैक्स के रूप में पैसा देंगे तो इस तरह की प्राइमरी स्कूलें हर मोहल्ले और गली गली में खुल जावेंगी, इस तरह की चीजें और बन जावेंगी, आपने दवा दारू का प्रबन्ध और बीमारियों की रोकथाम के लिये, टीका लगाने की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, साफ शुद्ध पानी और काफी बिजली आदि मुहइया करने की व्यवस्था कहां कहां, किस किस जगह ठीक ठीक की कि जिससे लोगों को आपके इन टैक्सों का औचित्य समझ में आ सके। आपको सात सात साल होने को आये पर आपने क्या किया इस दिशा में इसका नमूना हमें यहां इस सदन में देखने को मिलता रहा है। मैं लगातार यहां देखता हूँ कि चार पांच साल से जब से यह सदन बना तब से लगातार टैक्सों के लिये कसमकस झगड़ा चला ही आ रहा है। लोगों के बीच में और आपके इन जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के बीच में और ऐसी भयंकर स्थिति पैदा कर रहे हैं आप इस जबर्दस्ती से टैक्स लगाने की जिद्द से कि जिसका परिणाम सिवाय झगड़ों के बढ़ने के और कुछ नहीं होगा। हर महीने भंगियों की हड़ताल कराते हैं फिर उनकी तनखा लोन के रूप में देते हैं। इस किस्म की एक संकटापन्न अवस्था पैदा की है जिससे लोगों के दिमाग में टैक्स विरोधी भावना बढ़ गई है।

आप वह अधिकार जो आपको श्री भटनागरजी दिलवा रहे हैं इस सदन से वह अधिकार अगर लेकर आप इस्तैमाल करेंगे तो क्या आप इससे उन म्यू० के उन सिटीज़ के और उन टाउन्स के राजनैतिक जीवन को और सामाजिक जीवन को बरबाद करना चाहते हैं? क्योंकि आपका काम करने का तरीका जो है आज का वह वही पुराना है। टैक्स लगाने के पहले आप जैसे मैंने अर्ज किया कोई स्टॅटिस्टिक्स नहीं पेश करना चाहते। लोगों की कैपेसिटी क्या है इस पर नहीं सोचना चाहते। आपके मिनिस्टर आफ फाइनेन्सेज़ ने भी बजट पेश करते हुए यह कभी सदन को नहीं बताया कि आपका बैंक में सर्कूलेशन आफ मनी किस हद तक हुआ है और इसका परसेन्टेज़ क्या है। आप अपने हिसाब किताब का लेखा जोखा पेश करके बजट पास कराके ले जाते हैं। आपने कभी भी जनता को यह सोचने का और देखने का मौका दिया कि हमारे यहां के लोगों का व्यापार घटा है या बढ़ा है? किस कोमोडिटीज में बढा है किस में घटा है, घटा है तो क्या कारण है घटने का अगर अमेनिटीज़ घटी हैं जनता की तो क्या कारण है? वे बातें नहीं बता करके और केपेसिटीज़ का

[श्री द्वारकादास पुरोहित]

मसला छिपा करके प्रोविज़न लाते हैं कि टेक्स लगाने हैं। आप हमारी जिम्मेदारी की तरफ तो जरूर इशारा करते हैं कि हुकूमत बगैर टैक्सेज़ के कैसे चलेगी और इसके लिए लोगों का फर्ज है कि वे टैक्स देने में सरकार की सहायता करें। हम समझते हैं कि सदन के माननीय सदस्य सभी इन बातों को समझते हैं और इसके प्रति जागरूक हैं कि टैक्स देना जनता के खिलाफ नहीं है, देना चाहिये। काम तो देने में ही चलेगा, शासन का काम भी और म्यू० का काम भी। पर हमारी इस भावना को एक्सप्लोइट तो आप जरूर करते हैं पर आपके करने की बातें आप नहीं करते। आपको यह देखना है कि कैपेसिटी बढ़ानेकी आपने क्या बात की? अपने टैक्सों के औचित्य को सिद्ध किया है? एक लंबी चौड़ी लिस्ट टैक्सों की इसमें डाली है और म्यूनिसिपलटी उनको लगा सकेंगी। और खास तौर से यह भटनागरजी ने जो संशोधन रखा है कि स्टेट गवर्नमेंट टैक्स को लगाकर देदे। इसकी लिस्ट देने से पहले आप या सिलेक्ट कमेटी ने कि कौन कौन सा टैक्स इस बात के ऊपर लगेगा, इन टैक्सेज़ के लेने के चेनल्स क्या होंगे वह सोचने पडेंगे। उसकी रिपोर्ट हमारे सामने नहीं है। इस तजवीज से पहले इस तरह की रिपोर्ट तैयार होनी चाहिए कि किन किन पर यह टैक्स लगने वाले हैं। उस रिपोर्ट में यह भी होना चाहिए कि उसका जनता के ट्रेड और लोगों पर क्या असर पड़ने वाला है। वह किस तरह से होगा? उससे व्यापार की वृद्धि होगी या क्या होगा? म्युनिसिपल सिटीज़ या टाउन को छोड़ कर ५,१० मील पर जाकर उन चीजों की दुकानें कायम हो जायगी। और टैक्स आपके घरमें नहीं आयगा। क्या यह व्यवस्था नहीं होने वाली है? इतना सा भी मसला इस किस्म का पेश नहीं हुआ है कि जिससे हम इस बिल को पास करें, जिससे कि माननीय सदस्य अमुक मसले पर सही तरीके से टैक्स के मसले पर विचार कर सकें। आपने कोई कमेटी सेट अप नहीं की कि जो इन बातों पर विचार करें। मैं आपसे कहूँगा कि आज का जमाना प्रजतंत्र का है। एक जमाना यह था कि हमने म्युनिसिपल कमेटीज़ के मेम्बर्स की हैसियत से जब कि उस वक्त ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट टैक्स लगाने के लिए काम करती थी तो उस वक्त हम मुकाबला करते थे। मैं आपसे कहुँगा कि मैं ६ साल तक जोधपुर म्युनिसिपल बोर्ड का चेयरमेन रहा था और चेयरमेन रहने के कारण से बराबर गवर्नमेंट का मुकाबला किया था। सर डोनाल्ड की गवर्नमेंट ने टैक्स के बारे में कि आपकी तरफ से ये ये टेक्स लगने चाहिए एक लिस्ट दी थी कि म्युनिसिपल बोर्ड इस किस्म के टैक्स लगाये। तो उसका हमने मुकाबला किया था और गवर्नमेंट ने एक कमेटी मुकर्रर की थी फाइनेन्स मिनिस्टर और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मिनिस्टर गवर्नमेंट की तरफ से मेम्बर थे, म्युनिसिपल बोर्ड्स के चेयरमेन और मेम्बर्स तथा दूसरे शहर के आम लोगों और व्यापारियों के रिप्रजेन्टेटिव्ज़ भी मेम्बर्स थे। कमेटी मुकर्रर हुई इस बात को सोचने के लिए कि किस तरह से टैक्स लगायें। तो वह इस बात के प्रयत्न किया करती थी, इस बात की रिसर्च किया करती थी कि टैक्स लगाने से पेश्तर इस बात को सोचें कि उसका पेनेलाइज़िंग इफेक्ट न पड़े। ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट ने आपके आन्दोलन का इतना ख्याल किया था। अब आप जब कुर्सियों पर बैठे हैं और शुरू में थोड़ी गड़ बड़ मालूम हो सकती है और थोड़ा जब हमने प्रजातन्त्र के उसूलों को जारी किया है और आज के पंचायतों और म्युनिसिपल बोर्ड्स में सब जगह चुनाव प्रणाली

[श्री द्वारकादास पुरोहित]

एडल्ट फ्रेन्चाइज़ के बेसिस पर हो रहे हैं उस वक्त अपनी सैद्धान्तिक बातें थी जिसके बिना पर लड़ते थे। वह सिद्धान्त थे वह उसूल थे, जनता के हित के लिए। वह आपने आज छोड़ दिये हैं। (विपक्ष की ओर से हियर, हियर)। आज यह बिल इस तरह से नामुकम्मल तरीके से हमारे सामने पेश हो रहा है और इस तरह से हमें पास करा रहे हैं जैसे कि मेकेनिकली काम हो रहा हो। इस तरह से एमेंडमेंट पेश कर रहे हैं कि जिन एमेंडमेंट्स के जरिये से सारे अधिकारों को अपने अन्दर लेकर टैक्स लगायें। मैं आपसे कहूं कि इस डेमोक्रेटिक जमाने के कुछ शुरू के अरसे में तो हर काम में दिक्कत आयेगी। जब तक कि पार्टीज़, अपोज़िशन पार्टी, आप की पार्टियों के मुकम्मल तौर पर दिमाग में न जम जाय, तब तक सारे आप लोग इसको रिकॅगनाइज़ नहीं कर लें कब तक डेमोक्रेसी के पनपने में हर कदम कदम पर मुश्किलात आयेंगी। तो क्यों नहीं सारी पॉवर्स लेकर सारा शासन राजप्रमुख के शासन के तौर पर चला दें। आज राजप्रमुख अपनी एडवाइज़री कमेटी बनाकर शासन चला लें क्योंकि आपको हर वक्त दिक्कत आती है। आपको सेल्स टैक्स हड़ताल का मुकाबला करना पड़ा। जो मुश्कलात आती हैं तो मुश्किलात का हल यह नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट को पॉवर्स दे दिया जाय। इसी तरह से दूसरे मामलों में स्टेट गवर्नमेंट को मुश्किलात आती हैं तो राजप्रमुख को अधिकार दे दिये जांय। यह मिसाल नहीं है डेमोक्रेसी की। इस तरह से दूसरे तरीके से टैक्स लगायें। यह कौनसा तरीका है। इसमें कौनसे डेमोक्रेसी के सिद्धांत को आपने ऊंचा उठाने की कोशिश की ? उन्हें एमेंडमेंट पेश करते हुए कम से कम एक सिद्धांत तो बताना चाहिए था कि इस तरह से स्टेट गवर्नमेंट क्यों टैक्स लगाने का अधिकार अपने हाथ में ले। स्टेट गवर्नमेंट कैसे इम्पोज़ करे तो यह सुझाव डेमोक्रेसी पर आघात होता है। आप वहां आते हैं या जनता जिसको चुनकर वहां भेजेगी और उस अधिकार को, अपनी तकलीफों को मिटाने के लिए, अपनी मुश्किलात को हटाने के लिए, अपनी मुश्किलात से बचने के लिए आप देना चाहते हैं स्टेट गवर्नमेंट को तो यह लॉजिक एप्लाई कीजिये स्टेट गवर्नमेंट की मुश्किलात के ऊपर तो शायद आप और हमारी किसी की भी यहां आवश्यकता नहीं होगी। यह कतई गलत चीज़ है। उसूलन गलत है जो तरीका आपने अख्त्यार किया है। मैं मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वह इस बात को सोचें। इस तरह की भावना को पनपावेंगे तो किसी न किसी रोज़ ऐसा होगा कि जो आपके लिए भी एप्लाई होगा। मुश्किलात में इसको एप्लाई करने के बाद में डेमोक्रेसी किस सूरत में पनप सकेगी, बल्कि उसके रास्ते में खुद ही रोड़े बन जायेगें। जिसके लिए अनेकों लोगों ने सेक्रिफाइस किया, जिसके लिए लोगों ने अपना खून दिया जिसको आप अपनी तकलीफों को महत्ता देकर खत्म मत कीजिये। मैं तो आप से दरख्वास्त करूंगा कि खुद आपको इस सैक्शन को डेफर करना चाहिए और हाउस में इतना जल्दी पास नहीं कराना चाहिये। मैंने सुझाव रखा है जल्दी जल्दी में और भी ज्यादा सुझाव इसके बारे में रख सकते हैं और माननीय सदस्य भी, तो इसकी एन्क्वायरी कराइये लोगों की केपेसिटी है वह टैक्स देने की जो कि आप लगा रहे हैं ताकि आपको पता हो कि इसका क्या असर होने वाला है और आज क्या स्थिति है, फिर लोगों से लिस्ट ले ली जाय और टैक्स

Page No 56

[श्रीद्वारका दासपुरोहित]

लगाने का एप्रूवल इसमें तब लिया जाय तो वह ज्यादा बेहतर होगा, तरीके से होगा, सिस्टेमेटिक होगा, वर्ना जो कुछ आप करने जा रहे हैं वह करेंगे जरूर लेकिन वह आब्रीट्ररी होगा। उससे लोगों के लिए दिक्कत उत्पन्न होगी जिसका मुकाबला आपको करना पड़ेगा और उसका खमियाजा पोलिटिकल पार्टीज़ को हमेशा भुगतना पड़ेगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अध्यक्ष महोदय, टैक्स के बारे में जो हमारा क्लॉज है उसके ऊपर यह एमेंडमेंट आया हुआ है। इस संबंध में यह बातचीत चल रही है और मैं समझता था कि इस पर जब बातचीत समाप्त हो जायगी तभी वक्त लूं, लेकिन थोड़ी सी अभी इस संबंध में कुछ चीजों पर रोशनी डालनी है। इसलिए मैं चाहूंगा कि अपना जवाब समाप्त कर लूं उसके बाद में यह क्लॉज डेफर कर दिया जाय और तब उसको फिर लास्ट में ले लेंगे।

अभी जो जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा उसके सम्बन्ध में अर्ज करूंगा कि......

राज श्री हिम्मतसिंह—फिर हो जाय जबाब।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जो पोइन्ट है उसके सम्बन्ध में व्यूज़ रख दूं।

श्री अध्यक्ष—Otherwise every allegation go unchallenged.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अभी जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत जोर से कहा और मथाई कमीशन का जिक्र किया। मैं मथाई कमीशन की रिकमन्डेशन्स जो ५४० पेज के १३५ पैरा पर है उसके सम्बन्ध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। इसमें लिखा है, " In addition to the six taxes specified above, we consider two other taxes, viz. the theatre or show tax and the duty on transfer of property (elevied along with the stamp duty collected by the Government) as suitable for utilisation by local bodies........."

श्री द्वारकाप्रसाद पुरोहित—मैंने जिक्र किया था कि कहां कहां ऐसी प्रथा है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(अपना भाषण जारी रखते हुए) "...and we recommend that the State Governments should permit local bodies to levy these two taxes.

136. We also recommend that two other taxes......"

मथाई कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि "The Acts governing these

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

bodies should contain provisions which ensure, and not mrely enable, the levy of all these taxes."

एक्ट में इस बात का प्रोविज़न होना चाहिये कि ये टैक्सेज़ कम्पलसरी लगाये जा सकें और " enable " न हो। This is at page 542, para 145 of the Report of the Taxation Enquiry Commission.

इससे साथ ही मैं यह निवेदन करूंगा कि टैक्सेज़ के लिए यह बात कही जाती है कि इसको म्युनिसिपेलिटी की मर्ज़ी पर छोड़ देना चाहिए। इसमें गवर्नमेंट को कोई आपत्ति नहीं है और अभी तक प्रोविज़न था इस सम्बन्ध में और उनका अन्जाम यह हुआ है कि आज हमारे यहां जितनी म्यूनिसिपेलिटी हैं उनमें ज्यादा तर, १०–१२ को छोड़ दीजिये, उनको अपने स्टाफ की तनख्वाहें बांटने के लिए सरकार की ओर से लोन दिया जाता है, पंचवर्षीय योजना की तो अलग बात है और जिस विषय में मैं सदन में कई बार कह चुका हूं कि बड़ी बड़ी म्यूनिसिपेलिटीज़ हैं उनकी तो हालत खराब है और राजस्थान के अन्दर जो म्यूनिसिपेलिटी के टैक्स हैं वे हिन्दुस्तान के और और हिस्सों के मुकाबले में लोयेस्ट हैं, लेकिन फिर भी यह कहा जाता है कि म्युनिसिपेलिटीज़ के बारे में जांच होनी चाहिए और केडर होना चाहिए, टैक्सेज़ नहीं लगाना चाहती हैं, गवर्नमेंट अपोजीशन मोल ले रही है। मैं बड़ी अदब से यह अर्ज करूंगा कि यह गलत है। गांवों में भी टैक्सेज़ लगाते हैं और जो शहरों में सडकें बनाते हैं, बिजली की व्यवस्था करते हैं, यहां गांवों के बनिस्बत अधिक अमेनीटिज़ हैं और जब यहां इस प्रकार से टैक्सेज़ नहीं लगे तो यह चलने वाली भी नहीं है। आज के जमाने में म्यूनिसिपल बोर्ड बिजली चाहता है, और और अमीनिटीज़ चाहता है तो टैक्स लगा कर व्यवस्था करे। गवर्नमेंट की तो यह पोलेसी है और आयन्दा के लिए उसने यह तय कर लिया है कि किसी भी म्यूनि-सिपेलिटी को तनख्वाह बांटने के लिए कोई लोन नहीं दिया जायगा। इसको इस लाइट में देखें कि टैक्स। लगाने का प्रश्न आता है तो जो सदस्य चुने हुए हैं उनको जनता से डर लगता है, उनको प्रोपेगन्डा से डर लगता है और कहते हैं कि आप अपनी म्यूनिसिपेलिटी को ले लीजिये। जयपुर की म्यूनिसिपेलिटी है, तीन साल पहले छोड कर चले गये और टैक्स लगाने की हिम्मत नहीं हुई। गवर्नमेंट के प्रोपोज़ल्स को पेन्डिंग रखा और आखीर तक उन्हों ने टैक्स नहीं लगाया। जब ज्यादा खत्म हो गई तो कह दिया कि म्यूनिसिपेलिटी आप ले लीजिये। ४० म्यूनिसिपल बोर्ड के मेम्बर्स यहां इकट्ठे हुए थे और उन्होंने यह तय किया कि गवर्नमेंट अगर लगा देगी तो उनको इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं होगी, जनता भी मान जावेगी और उनको खुद को विश्वास होगया। मथाई कमीशन की जो रिपोर्ट है उसमें से भी यह स्पष्ट है कि म्यूनिसिपेलिटीज़ की हालत खाराब है और उनकी हालत को सुधार ने के लिए कुछ टैक्सेज़ कम्पलसरी कर दिये जाने चाहिए, मैं यह मानता हूं कि सब ही टैक्सेज़ कम्पलसरी नहीं होने चाहिए।

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

कुछ कम कर सकते हैं तो उन पर विचार करें और विचार हो रहा है म्युनिसिपेलिटी के बारे में तो यह कहा ही जाता है, मैं आपको पंचायतों के बारे में भी इस सम्बन्ध में अर्ज कर देना चाहता हूँ बिहार में दो प्रकार के टैक्सेज़ हैं हाऊस टैक्स और दूसरा टैक्स बोम्बे में २ टैक्सेज़ कम्पलसरी हैं। मध्यप्रदेश में ३ टैक्सेज़ हैं, उडीसा में ३ हैं। मद्रास में भी तीन हैं। पेप्सू में चार हैं। हरएक पंचायतो से कम्पलसरी हैं। हमारे यहां वास्तव में कोई कम्पलसरी टैक्स इन म्युनिसिपेलिटीज़ में नहीं था। स्टाफ के लिये गवर्नमेंट पैसा देती है और इससे गवर्नमेंट की फाइनेन्स को देखते हुए आगे के लिए यह नामुमकिन है। हर बार यह कहा जाता है कि गवर्नमेंट मदद दे, तनख्वाह चुकाने के लिये पैसा दे, यह आज के युग में मुमकिन नहीं है।

जहां तक अमेनिटीज़ के बारे में कहा गया है मैं अर्ज करूंगा माननीय अध्यक्ष, की सब से बड़ी अमेनिटीज़ जयपुर को दी है। सिवल लाइन्स में ३० लाख दिया है। बड़े बड़े शहरों के लिए अगले प्लान में दिया जावेगा। फिर भी कहा गया कि कोई अमेनिटीज़ नहीं है! स्टेट से टैक्स लेते रहे हैं उसको न मिलाकर जो लोन दिया जा रहा है उसको मद्दे नजर रखते हुए, यह गवर्नमेन्ट का लगाया हुआ टैक्स नहीं है यह तो लेजिस्लेचर को तय करना है कि टैक्स म्यूनिसिपेलिटी को लगाना चाहिए लेकिन आरबिट्रेरीली यह कहा जाय कि गवर्ननमेंट कर रही है, यह टैक्स तो म्यूनिसिपेलिटी को कम्पलसरी लगाना चाहिए गवर्नमेंट को इस तरह से बिला वजह ब्लेम करना न्याय संगत नहीं हैं। गवर्नमेंट तो कोई कम्पलशन नहीं लगाना चाहती है। म्यूनिसिपेलिटी लगाना चाहे तो लगाये, नहीं लगाना चाहे तो नहीं लगाये, लेकिन सरकार उनको लोन नहीं देने वाली है यह सरकार ने निश्चय कर लिया है।

मैं माननीय अध्यक्ष, आपसे निवेदन करूंगा कि इसको आयन्दा के लिए और डेफर कर दिया जाय। मिल कर इस पर विचार कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की यह इच्छा है कि इस क्लॉज़ को डेफर कर दिया जाय।

(स्वीकृत)

डेफर किया गया।

श्री हिम्मतसिंह अटरू—इसके साथ और क्लॉज़ेज़ भी डेफर होंगे।

श्री अध्यक्ष—८७ए, श्री सोहनलाल भटनागर।

श्री हिम्मतसिंह अटरू—यह भी डेफर होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—There is a motion.

(विराम)

[श्री अध्यक्ष]

87 A, 87 B.

ef these clauses are only corrolary to the above clauses the Hon'ble Member may move them first.

श्री सोहनलाल भटनागर—८७ बी तो नया एड करना है।

श्री अध्यक्ष—Both are to be deferred ?

श्री सोहनलाल भटनागर—८७ एं में जैसा कि माननीय अध्यक्ष, मैंने पहले अर्ज किया था कि ८७ में कम्पलसरी टैक्सेज़ हैं और ८७ में डिस्केसनरी रखे हैं। स्केवेंजिंग रखे थे, प्राइवेट लेटरिन के लिए लगा सकते हैं, जनरल सेनिटरी के लिए लगा सकते हैं, वाटर के लिए लगा सकते हैं, "or any other tax which the State Government has power under the constituion." इस तरह से ६ स्पेसिफिक हैं और सातवां जनरल क्लॉज़ है, तो उसके लिये मूव किया। जैसा ओरिजिनल में है उसी के माफिक है, इसके सिवाय एक्सेम्प्शन दिया है :

"No tax under clause (1) or clause (2) shall be imqosed unless the board has undertaken house scavenging or has made provision for the cleaning of private latrines or privies by manual labour or for conducting or receiving the sewage there of into municipal seweres or into such place or places as may have been fixed"

इस तरह से कई माननीय सदस्य यह कह सकते हैं कि प्राइवेट लेटरिन्स पर और स्केवेंज़िग टैक्स लगाया, लेकिन यह समझना आवश्यक है कि ऐसी स्थिति में नहीं लगाया जायगा जब तक कोई म्युनिसिपल बोर्ड सफाई आदि का इन्तजाम नहीं करता।

"no tax under clause (5) shall be imposed on lands exclusively used for agricultural purposes"

किसी खेत के लिये काम में आने वाली जमीन के लिये भी नहीं लगाया जायगा। सब क्लॉज़ (सो) में कंसालिडेटेड स्केवेंजिंग और लेटरिन्स और वाटर के सिवाय कंसोलिडेटेड टैक्स लगा सकते हैं :

"(d) the State Government may, if in its opinion reasonable grounds exist for so doing, grant and define, by notiti cation in the Rajasthan Gazette, such exemptions "...

[श्री सोहनलाल भटनागर]

इन एक्सेप्शन्स के अलावा सब क्लॉज़ (बी) के अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट दूसरा डिफाइन कर सकती है। ८७ (बी) नया क्लॉज़ एड करने का निवेदन किया है। इसका मतलब यह है कि यदि स्टेट लेजिस्लेचर को कोई टेक्स लगाने का अधिकार नहीं है तो जिसकी पॉवर स्टेट लेजिस्लेचर को नहीं है तो म्युनिसिपेलिटीज़ जो लेजिस्लेचर से पॉवर डिराइव करती है इसलिये वह भी नहीं लगा सकती।

श्री गोपीलाल यादव—इसको डेफर कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की इच्छा है कि क्लॉज़ ८७ ए. और (बी) को स्थगित किया जाय।

श्री हिम्मतसिंह अटरू—ये अमेन्डमेंट हैं।

श्री अध्यक्ष—हां। क्या इनको डेफर किया जाय ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ८७ ए. और बी स्थगित किया गया।

(विराम)

क्लॉज़ ८८

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—क्लॉज़ ८८, ८९ और ९० भी इसके साथ ही चलेंगे, इनको भी डेफर कर दिया जाय।

श्री भैरुसिंह—क्लॉज़ ८८ दूसरा है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—वह गवर्नमेंट पॉवर्स के लिये है।

श्री अध्यक्ष—हमें देखना पड़ेगा, पोवर देनी है या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—क्लॉजेज़ ८८, ८९, ९०, ९४, ९६, ९७ को डेफर करना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष—क्लॉज़ेज़ ९१, ९२, ९३ को लेलें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—ये प्रोसीजर के बारे में हैं।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—इन पर डिस्कशन होने के बाद डेफर किया जाय तो अच्छा है।

श्री अध्यक्ष—फिर यह शिकायत होगी कि सदन में वातावरण और था इसलिये डेफर कर दिया। There have been such occasions. I am prepared to all on discussions and put to vote. Anyway.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—ये कनेक्टेड हैं और कांसीक्वेन्शियल हैं, इसलिये अर्ज कर रहा हूँ

श्री भैंरू सिंह—बाद में डिसकस करने का मौका मिलेगा या नहीं ? यदि किसी बात पर समझौता नहीं होता तो बाद में डिस्कशन का मौका मिलना चाहिये।

श्री हिम्मतसिंह—इसमें आपत्ति नहीं होगी।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह यदि तय हो गया तो डिस्कशन की जरूरत ही नहीं रहेगी।

श्री भैंरू सिंह—समझौता न हो, उस समय क्या होगा ? यदि डिस्कशन की इजाजत है तो कोई बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष—जिन पर डिस्कशन हो चुका है और मिनिस्टर महोदय का जवाब होचुका है उस पर तो बोलना नहीं चाहेंगे ?

श्री भैंरू सिंह—उस पर बोलना नहीं चाहेंगे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—८८, ८९, और ९० को डेफर कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—९१, ९२, ९३, रह जाते हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—९३ के बाद में क्लॉज़ेज़ ९५, ९८, ९९ भी आगे रह जाते हैं।

श्री अध्यक्ष—अभी तो ९७ तक डेफर करेंगे क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—पहले क्लॉज़ेज़ ९१, ९२, ९३ को ले लें।

Page No 62

श्री अध्यक्ष—इन पर वोट लेलें ?

श्री भैरूं सिंह—शायद इनमें हेर-फेर करना पड़े।

श्री चांदमल मेहता—क्लॉज़ ९१ में क्लॉज़ ९० का रेफरेन्स आया है।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन को यह इच्छा है कि क्लॉज़ेज़ ८८, ८९, और ९० को विचारार्थ स्थगित किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ेज़ ८८, ८९ और ९० विचार हेतु स्थगित किये गये।

(विराम)

क्लॉज़ ९१

श्री सोहनलाल भटनागर—क्लाज ९१ में मेरा अमेन्डमेन्ट बिल्कुल फोर्मल है। इसमें सब क्लाज (२) के प्रोविज़ो (बी) के शब्द हैं उसके बजाय बढ़ाना है ....

(अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष—Not very cleor.'

श्री सोहनलाल भटनागर—In part (b) of the proviso to sub-clause (2) substitute " clause (1) of the proviso" for "proviso (1)" "Proviso (1)"के बजाय "clause (1) of the proviso" करना है, क्योंकि इसका रेफरेन्स क्लॉज़ (१) ओफ दि प्रोविज़ो से है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह लैंग्वेज का करेक्शन है।

श्री अध्यक्ष—यह स्वीकार है आपको ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जी हां।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ९१ पर श्री सोहनलाल का संशोधन स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

[श्री अध्यक्ष]

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खंड ९१, संशोधित रूप में, स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज ९१, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ ९२

(विराम)

प्रश्न यह है कि खंड ९२ स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खंड ९२ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

खंड ९३

श्री सोहनलाल भटनागर—अध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ में रेफरेन्स क्लॉज़ ८७ ए. का लगता है इसलिये इसको भी डेफर किया जाय।

Insert 'Imposed under section 87A' after 'a tax, in line 2.

Substitute 'its imposition, for 'the imposition of a tax' in line 3.

श्री अध्यक्ष—आप इसको एडमिट करते हैं?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह अमेन्डमेन्ट बहुत फोर्मल नेचर का है, क्लॉज़ ८७ ए. नया बढ़ाते हैं तो कान्सीक्वेन्शियल्ज लागू होता है। इस लिए यह बिल्कुल फोरमल है। इसको अभी डेफर कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष— खंड ९३ और ९४ दोनों को डेफर करदें?

श्री भैरूंसिंह (१६)—यह सारा चेप्टर ही डेफर कर दिया जाय।

Page No 64

श्री अध्यक्ष—आप इत्मिनान रखिये, सारा चेप्टर हो जायगा ।

प्रश्न यह है कि खंड ९३ विचारार्थ डेफर किया जाय ।

(स्वीकृत)

खंड ९३ विचारार्थ डेफर किया गया ।

(विराम)

खंड ९४

(विराम)

डिलीशन ऑफ क्लॉज ९४.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह भी डेफर किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—क्या इस पर कोई बोलना चाहेंगे ?

श्री भैरूसिंह—यदि बाद में बोलने का मौका मिले तो अभी बोलने की जरूरत नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—यदि बाद में तय हो जाय जो क्या जरूरत रहेगी ? क्या सदन की अनुमति है कि क्लॉज़ ९४ को डेफर किया जाय ?

(स्वीकृत)

सदन की अनुमति से क्लॉज़ ९४ विचारार्थ डेफर हुआ ।

(विराम)

Clause 95, Appointment of assessor.

श्री सोहनलाल ।

श्री सोहनलाल भटनागर—माननीय अध्यक्ष, क्लॉज़ ९५ अपोइन्टमेंट ऑफ असेसर्स को डील विथ करती है । इसमें जो सब क्लॉज़ (१) है उसकी जगह एक नया सब क्लॉज़ (१) लगाने का मैंने संशोधन रखा है । पहले वाला इलेबोरेट नहीं मैंने ज्यादा डेफिनिट रखा है :

"Substitute the following for subclause (1):—

"For assessing the tax on the annual letting value of buildings or lands or both, situated within a municipality,......"

Page No 65

[श्री सोहन लाल भटनागर]

तो लेटिंग वेल्यू के ऊपर असेसमेंट करने के लिए असेसर मुकर्रर करेंगे; यही है, उसमें फोर्मल ही है : "For assessing taxes imposed on buildings or lands or both..."

दूसरे, इसमें जनरल रूल्स भी स्टेट गवर्नमेंट बना सकेगी, गवर्नमेंट में पॉवर निहित कर दिये हैं। रूल मेकिंग पॉवर गवर्नमेंट में वेस्ट हो जाते हैं, इसलिए जो मैंने यह रखा है वह स्वीकार किया जाय।

श्री अध्यक्ष—(स्वायत्त शासन मंत्री को सम्बोधित करते हुए) क्यों साहब डेफर करें ?

(मतदान के लिए रखने की अनुमति प्राप्त होने पर)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री सोहनलाल भटनागर ने क्लॉज़ ९५ में रखा है वह स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड ९५, संशोधित रूप में, स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड ९५, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बना।

(विराम)

खण्ड ९५ ए, श्री भटनागर।

श्री सोहनलाल भटनागर—माननीय अध्यक्ष, ९५ ए. नया क्लॉज़ एड करने के लिए मैंने निवेदन किया है। जैसा कि इन्कम टैक्स में होता है और असेसिंग ओफिसर होता है, रिटर्न बनाने के लिए सूचना मांगता है और अगर उसके मांगने के अनुसार उसे सूचना नहीं दी जाती है तो खुद असेस कर लेता है, वैसे ही इसमें रखा गया है : "On the requisition of the assessor, the owner or occupier of any building or land or both referred to in sub-section (1) of sectiou 95 shall, within such reasonable period as shall be specified in the requisition, be bound—

[श्री सोहन लाल भटनागर]

तो इसके अन्तर्गत दो चार तरह की इन्फोरमेशन्स हैं :

"(i) Name and place of abode of the owner or occupier,

(ii) Dimensions of the building."

और दूसरी जनरल पॉवर भी दी हुई हैं, जो इन्फोरमेशन प्राप्त करना चाहें प्राप्त करता है, यदि इन्फोरमेशन नहीं देंगे तो वह खुद असेसर असेस कर लेगा। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि असेसमेंट के जितने कानून हैं, उनके लिए ऐसी ओथेरिटी होना जरूरी है।

श्री अध्यक्ष—क्या पास किया जाय ?

(सम्बन्धित मंत्री महोदय से मौन स्वीकृति प्राप्त होने पर)

प्रश्न यह है कि खंड ९५ ए को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खंड ९५ ए. विधेयक का अंग बना।

(विराम)

खंड ९६, श्री सोहनलाल भटनागर।

श्री सोहनलाल भटनागर—माननीय अध्यक्ष, खंड ९६ के डिलीट करने के लिए मैंने संशोधन रखा है। इसमें "Preparation of assessment lists—" दिया हुआ है, वह सारा रूल्स के अन्दर आ जायगा, ऐसी सूरत में इसकी आवश्यकता नहीं।

श्री अध्यक्ष—रावत श्री मानसिंह ऑफ महार।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि खंड ९६ को विलोपित करने का जो प्रस्ताव श्री सोहनलाल भटनागर ने रखा है उसे स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

[श्री अध्यक्ष]

प्रस्ताव स्वीकार किया गया । खण्ड ९६ विलोपित हुआ ।

(विराम)

खंड ९७, श्री सोहनलाल भटनागर ।

श्री सोहनलाल भटनागर—क्लॉज ९७ है......"Persons liable for a tax on buildings or lands or both how to be designated if his name cannot be ascertained."

दो यदि किसी मकान या जमीन के मालिक का नाम मालूम नहीं हो तो क्या करेंगे, इसके लिए प्रोसीजर ले डाउन करेगी । वह प्रोसीजर तो रूल्स में आ जायगा, इस लिए इस क्लॉज की जरूरत नहीं हैं, इसे विलोपित करने के लिए मैंने निवेदन किया है ।

श्री अध्यक्ष—श्रीमानसिंह महार ।

(अनुपस्थित)

९७ को डिलीट करना चाहते हैं ?

प्रश्न यह है कि खंड ९७ का जो संशोधन विलोपित करने का श्री सोहनलाल भटनागर ने रखा है उसे स्वीकार किया जावे ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया । खंड ९७ विलोपित हुआ ।

(विराम)

Clause 98, Shri Man Singh Mahar, Publilication of assessment list.

श्री मानसिंह महार ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि खंड ९८ स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

[श्री अध्यक्ष]

खंड ९८ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ ९९, श्री सोहनलाल भटनागर।

श्री सोहनलाल भटनागर—माननीय अध्यक्ष, क्लॉज़ ९९..."Public notice of time fixed for revising assessment list—" इसको डील विथ करती है और इसके अन्तर्गत मैंने ४ अमेंडमेंट पेश किये हैं। एक तो है : (1) "The words 'the entries etc,' in lines 4 and 5 shall appear from a fresh line."

दूसरा है : "for 'all municipal taxes of the annual' in line 7 substitute 'all municipal taxes of the annual' in line 7 substitute 'all municipai taxes on the annual"

तीसरा है : "for 'any tax imposed on buildings or lands' in line 10, substitute' 'the tax on the annual letting value of buildings or lands or both."

चौथा है : omit 'each' in line 11.

ये कुल शाब्दिक अमेंडमेंट हैं और ठीक उपयुक्त शब्द रखने के हैं, इस लिए इनको लिया जाय।

श्री भैंरूसिंह (दांता रामगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, धारा ९९ में यह व्यवस्था की जा रही है कि असेसमेंट की लिस्ट को रिवाइज़ करने के लिए किस प्रकार का तरीका अपनाया जायगा। और इस धारा की उपधारा ६ में जहां असेसमेंट लिस्ट में किसी भी प्रकार का कोई रद्दोबदल हो गया है और उसके बाद में जब वह लिस्ट म्युनिसिपल बोर्ड में रखी जा नी है, उस समय क्या कार्यवाही की जायगी, इसकी व्यवस्था है।

जहां तक कि लिस्ट शुरू में बनती है और उसमें यदि किसी प्रकार की रद्दोबदल होती है तो उसके लिए यह व्यवस्था है कि एक महीने का नोटिस दिया जायगा। नोटिस के बाद में जो असेसमेंट ओफीसर है, या असेसमेंट ओफीसर के बाद बोर्ड या अन्य अधिकारी जिसको बोर्ड ने इस बारे में अधिकार दिये हैं वह अधिकारी उचित समझे तो जो व्यक्ति इस प्रकार ने ओब्जेक्शन्स रेज़ करे, उसको डिस्कस करके इसमें रद्दोबदल कर दे।

(श्री गोपीलाल यादव, सभापति, पदासीन)

[श्री भैरूं सिंह]

इसके बाद वह लिस्ट ओथेन्टिकेटेड समझी जा कर म्युनिसिपल बोर्ड में रख दी जायगी और हर एक आदमी को अधिकार होगा कि उस लिस्ट को देख कर और एतराज प्रस्तुत करना चाहे तो अपीलेट ओथेरिटी के पास एतराज पेश करे।

मेरा इसमें कोई संशोधन तो नहीं है पर एक सुझाव के तौर पर मन्त्री महोदय से अर्ज करूंगा, इसमें ये शब्द हैं :

"(6) The list so authenticated shall be deposited in the municipal office and shall be open for inspection during office hours to all owners and occupiers of property specified therein......"

मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जब तक वह लिस्ट जो ओथेन्टीकेटेड है किस तारीख से ओथेन्टीकल समझी जावेगी। लोगों को कैसे मालूम होगा कि वह लिस्ट किस तारीख को म्युनिसिपेल्टी में रखी गई है। जिस तारीख को वह लिस्ट म्युनिसिपेल्टी में रखी जावे उसकी सूचना भी पब्लिक को देनी चाहिये। हमने आगे चल कर यह व्यवस्था की है कि अगर कोई ऐसेस ओफिसर के डिसिशन से इत्तफाक नहीं करता हो और उसको किसी प्रकार का एतराज हो तो वह दो सूरतों में (१) तो यह कि टैक्स जमा करा कर और दूसरा यह कि ३० दिन के अन्दर अन्दर, इन दोनों सूरतों में अपील कर सकेगा। इसलिये मैं यह कहूंगा कि उस व्यक्ति को उससे इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि किस दिन से ३० दिन का समय आरंभ होता है। यदि नोटिस नहीं निकलेगा तो उसकी पता नहीं लगेगा और लिस्ट म्युनिसिपेल्टी में पड़ी रहेगी और समय निकल जायगा। इसलिये यह जरूरी है कि पब्लिक नोटिस निकलना चाहिये ताकि पब्लिक को इसकी जानकारी हो सके। जिसके जरिये लोगों को पता लग जावे कि एसेसमेंट लिस्ट तैयार है और इन्सपेक्शन के लिये म्युनिसिपल बोर्ड के ओफिस में रख दी गई है। अगर ऐसा नहीं होगा तो लोगों को पता नहीं लगेगा कि एसेसमेंट लिस्ट रख दी गई है और यदि किसी को एतराज करना होगा तो वह किस तारीख से ३० दिन को लेकर ऐतराज करेगा। इस लिये सब क्लॉज़ ६ में जहां यह लिखा है "The list so authenticated shall be deposited in the municipal office, and shall be open for"...इसके पहले यह ले लिया जावे "The list so authenticated shall be deposited in the municipal office and be given a public notice and shall be open for inspection during office hours to all owners and occupiers of property specified"...............

यदि इस प्रकार का संशोधन इसमें आ जाता है तो इसका मतलब यह होता है कि जिस दिन से ३० दिन की अवधि शुरू होती है वह उस व्यक्ति को मालूम हो जावेगी कि इस तारीख से ले कर इस तारीख तक एतराज हो तो पेश करने चाहिये, मेरा यह सुझाव है कि इस चीज को स्पष्ट करने के लिये यह आवश्यक होता है कि इस प्रकार के सुझाव को रखा जाए। इसीलिये पब्लिक नोटिस की बात रखी है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—सभापति महोदय, मैं यह कहूँगा कि यदि माननीय सदस्य इसके आखिर में देखेंगे तो उनको मालूम होगा कि यह बात इसमें है तो सही ..."and a notice that it is so open shall be forthwith published." कि नोटिस इस बात का दिया जावेगा। जब नोटिस दिया जायगा तो मैं समझता हूं कि आपको इससे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।..."and a notice that it is so open shall be forthwith published." I think it is clear.

श्री सभापति—क्या आप अपना संशोधन वापिस ले रहे हैं?

श्री भैरूंसिंह—माननीय सभापति, इसमें नोटिस की बात है। नोटिस तो म्युनिसिपल बोर्ड पर ही आप लगा सकते हैं। मैं तो यह चाहता हूँ कि पब्लिक को मालूम हो जाए, इसलिये पब्लिक नोटिस गजट में शाया हो जाए।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—'नोटिस' का मतलब 'पब्लिक नोटिस' से ही है।

श्री भैरूंसिंह—मैं यह संशोधन प्रस्तुत करता हूँ कि "नोटिस" शब्द के पहले 'पब्लिक' शब्द बढ़ा दिया जावे।

श्री सभापति—प्रश्न यह है कि खण्ड ९९ में श्री भटनागर ने जो संशोधन पेश किया है उसे स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

श्री भैरूंसिंह—मेरे संशोधन का क्या हुआ? क्लॉज़ ९९ की सब क्लॉज़ (६) में मेरा संशोधन है कि शब्द 'नोटिस' के पहले 'पब्लिक शब्द' और इन्सर्ट कर दिया जावे।

श्री सभापति—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ९९ के सब क्लॉज़ (६) में जो संशोधन श्री भैरूंसिंह ने रखा है उसे स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकृत हुआ

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ९९, संशोधित रूप से, स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

Page No 71

[श्री सभापति]

खण्ड ९९, संशोधित रूप से, स्वीकार किया गया।

(विराम)

खण्ड १००

श्री सोहनलाल भटनागर—माननीय चेयरमेन, इसमें मेरा एमेन्डमेंट है कि "In sub clause (1) substituts 'addition' for the word 'additions' appearing in line 6"

..."where such construction, alteration, addition or reconstruction"........ जिस तरह से सारे वर्ड सिंगुलर हैं इसलिये इसके साथ भी सिंगुलर रहना चाहिये। यह गलतीसे हो गया है।

श्री सभापति—यह मिस प्रिन्ट है।

श्री भैरोंसिंह—माननीय चेयरमेन, क्लॉज़ १०० में एसेसमेंट लिस्ट में जो एमेन्डमेंट होगा वह किस प्रकार से होगा, उसकी एन्ट्री लिस्ट में किस प्रकार से होगी और उसके बाद टैक्स किस दिन से लागू होगा, इन बातों का उल्लेख है। इसकी सब क्लाज़ (३) में जो एमेन्डमेंट होगा उसके बारे में यह उल्लेख है कि "An entry or alteration or amendment made under this section shall, subject to the provisions of section 123 have the same effect as if it had been made, in the case of a building constructed, altered, added to or reconstructed, on the day on which such construction, alteration, addition or recontsruction was completed or on the day on which the new construction, alteration addition or reconstruction was first occupied, whichever first occurs, or, in other cases, on the earliest day in the current official year on which the circumstances justifying the entry or alteration existed." इस सब क्लॉज में किस तरह से वह लागू होगा, इस बारे में तीन शर्तें रखी गई हैं। जिस तरीख को मकान बना, उसमें किसी प्रकार का रद्दोबदल हुआ, उसका इजाफा या मरम्मत हुई।

एक तो यह कि जिस दिन यह ..."on the day on which the new construction, alteration, addition or reconstruction was first occupied"

उस दिन पहली बार उस मकान पर कब्जा किया और तीसरी शर्त यह रखी है कि उनके मकान का कब्जा करने की कोई सरकमस्टेन्सेज़ जिस दिन के लिये जस्टीफाई करती है। पहले जिस दिन से काम खत्म होता है, दूसरा जिस दिन से मरम्मत हो और तीसरा ऐसी सूरत जो कब्जा करने को जस्टीफाई करता है कि फलां दिन से मकान कब्जा कर लिया गया है। ये तीनों चीजें बिल्कुल अस्पष्ट हैं। हमारा सिद्धान्त यह होना चाहिये कि किसी ने मकान की मरम्मत कराई, इजाफा किया गया, कोई हेर

[श्री भैंरू सिंह]

फेर कराया तो उस पर टैक्स उस दिन से मरम्मत का काम खत्म हो उसी दिन से लागू नहीं होना चाहिये। यह संशोधन होना चाहिये कि नया कोई भी आदमी उसमें आकर रहने लगता है उस दिन से हमें टैक्स लगाना चाहिये। मैं इन बातों को सोच कर इस निश्चिय पर आता हूं कि टैक्स उस सूरत में इम्पोज़ करना चाहिये कि उस व्यक्ति को उस मकान से किसी प्रकार की आमदनी होनी शुरू हो जावे। यदि उस व्यक्ति को उससे कोई आमदनी शुरू नहीं होती है तो मुझे भय है कि हम ऐसे लोगों से टैक्स लेंगे जिनके पास कुछ देने को नहीं, यदि किसी ने थोडी सी 'मकानकी मरम्मत कराई तो उनके टैक्स में रद्दोबदल होगा और इस भय से वे लोग मरम्मत भी नहीं करायेंगे उनके इस टैक्स में रद्दोबद्दल होगा। इसके कारण बहुत बड़ी परेशानी बढ़ सकती है। हमें एक चीज स्पष्ट मानकर चलना है वह यह कि टैक्स हम उस सूरत में लगायें जिस सूरत में जिस मकान पर टैक्स इम्पोज़ करने जा रहे हैं किसी न किसी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ होने लग गया हो, आज मान लीजिये किसी ने कोई मकान बनाया है वह मकान खाली पड़ा है वह चाहता है कि किसी जरिये से कोई न कोई रिटर्न मिले बदकिस्मती से उसे रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो वैसी सूरत में अगर उस पर हाउस टैक्स इम्पोज़ कर देते हैं तो यह होगा कि उस मकान से उसको तो कोई आमदनी नहीं लेकिन फिर भी उसको टैक्स देना पड़ रहा, है तो ऐसी हालत में हमें टैक्स जो इम्पोज़ कर रहे है उसके लिये किसी एक सिद्धान्त को स्वीकार करना पड़ेगा। किसी मकान में किसी प्रकार आलटरेशन हो या नया कन्स्ट्रक्शन हो या पुराना मरम्मत हो या ऐसी ही कोई चीज हो, लेकिन हम टैक्स उस पर उसी दिन से लगायेंगे जब कि वह मकान किसी आदमी द्वारा ओक्यूपाई कर लिया गया हो, उस मकान से किसी प्रकार का फायदा मिलने लग जाय उसके बाद टैक्स इम्पोज़ किया जाना चाहिये। जब कोई फायदा नहीं मिलता है तो वह मकान एक प्रकार से उसके लिये लाइबिलिटी के रूप में रह गया, इस प्रकार से उस पर कई प्रकार के टैक्स लागू करना न्याय संगत चीज नहीं। ये तीनों पहेलू रखे हैं वे स्पष्ट नहीं हैं यह तो म्युनिसिपेल बोर्ड के असेसमेंट आफिसर की मरजी पर होगा कि वह चाहे जिस दिन से उस पर टैक्स इम्पोज कर दे। यदि वह किसी को किसी प्रकार का लाभ पहुंचाना चाहता है तो वह चाहे जिस तारीख से उस पर टैक्स इम्पोज़ कर सकते हैं क्योंकि उस दिन उस मकान का काम- पूरा हो गया।

दूसरी शर्त यह आती है कि वह कहेगा कि इस तारीख को इस मकान पर फलां आदमी ने कब्जा कर लिया जल्दी कौन सी है वह टैक्स इम्पोज़ कर लेता है ऐसी सूरत में बेईमानी ज्यादा होगी। मैं आपके सामने उदाहरण देकर बताता हूं। एक कोई मकान है वह पूरा कम्पलीट हो गया, उसकी तारीख है ३०।४।५६ और उस पर कब्जा करने की तारीख है १ मई, १९५६। अब सवाल यह आता है कि टैक्स कौनसी तारीख से इम्पोज़ किया जाय। इस नियम के अनुसार ३०।४।५६ से शुरू हो जाना चाहिये किन्तु यदि आफिसर उसको रिया- यत देना चाहता है तो वह कहेगा कि उसकी मरम्मत कम्पलीट नहीं हुई...

श्री सभापति—आप कोई संशोधन कर रहे हैं क्या ?

श्री भैंरूसिंह—मैं सभापति महोदय, यह विरोध स्वरूप एक सुझाव रख रहा हूं ।

तो इससे गड़बड़ यह होगी कि जिस आदमी पर तारीख ३० से ही टैक्स लग जाना चाहिये था, चाहे उसकी मरम्मत हुई हो या नहीं लेकिन कब्जा उस तारीख को कर लिया गया था इसलिये उसी तारीख से टैक्स इम्पोज़ होना चाहिये। तो ऐसी हालत में क्या होगा, जो टैक्स ३० तारीख से लग जाना चाहिये था वह आसानी से एक तारीख से लग सकता है। यह तो मैंने दो दिन के फर्क का उदाहरण दिया। अक्सर हमारे देखने में आता है कि कए घर को किरायेदार छोडकर चला जाता है या मकान मालिक चला जाता है तो वैसी सूरत में उन लोगों को रियायत पहुँचाने की गरज से क्या होगा कि जो एक्चुअल तरीका है, कम्पमज़ाट है, फिर भी किसी को व्यक्ति फायदा पहुँचाने के बजाय नुकसान पहुँचादे। मैंने इस चीज को स्पष्ट करने के लिये कुछ सुझाव रखा है विरोधस्वरूप जो कुछ मैंने कहा है माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इन तीनों बातों से बहुत ज्यादा कम्पलीकेशन पैदा होने की संभावना है। इसलिये बाकी दो चीजों को छोडकर एक रखा जाय कि जिस दिन से कब्जा होगा उसी दिन से टैक्स लागू होगा.......

श्री सभापति—कैसे करवा दें।

श्री भैंरूसिंह—(जारी) अगर माननीय मंत्री महोदय चाहें तो इस क्लॉज़ को अभी डेफर कर दिया जाय बाद में संशोधन पेश कर दिया जायगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—माननीय चेयरमेन, मैंने इस क्लाज़ के बारे में बात की, यह क्लॉज़ एक्जेम्प्शन ऑफ टेक्सेज के बारे में है, इसके रूल्स होंगे उसके माफिक टैक्स इम्पोज़ होगा; आप जिस डेट से आकूपाई किया हो उस दिन से लागू हो या जिस दिन बनकर तैयार होगया हो उस दिन से यह सब रूल्स के माफिक होगा। अगर किसी बिल्डिंग का आलटरेशन, एडीशन होता है, उसकी वेल्यू अगर बढती है उस पर किस तरीके से टैक्स लागू होगा वे सब बातें नियमों में होगी।

श्री भैंरूसिंह—किस तरह, किस तारीख से लागू होगा, यह तो स्पष्ट नहीं है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(जारी) बिल्डिंग की वेल्यूएशन तो पहले ही होजायगी उसके अन्दर किसी प्रकार का एडीशन आलटरेशन होता है तो उसके लिये क्लॉज़ रखा गया है। बिल्डिंग का जो असेसमेन्ट होगा, उस पर जो रूल्स एप्लाई होंगे गवर्नमेन्ट पहले रूल्स बनायेगी उसके अनुसार टैक्स इम्पोज़ होंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी इसलिये इसको डेफर करने की आवश्यकता नहीं।

श्री सभापति—प्रश्न यह है कि खण्ड १०० को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

Page No 74

[श्री सभापति]

खण्ड १०० विधेयक का अंग बना।

(विराम)

खण्ड १०१

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १०१ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १०१ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लाज़ १०२, श्री मानसिंह महार (अनुपस्थित)

श्री भैरूंसिंह (१६)—माननीय चेयरमैन, मैं इस क्लॉज़ का विरोध करता हूं और यह मांग करता हूं कि इस क्लाज़ को डिलीट कर दिया जाय।

श्री सभापति—संशोधन के रूप में आना चाहिये।

श्री भैरूंसिंह—वैसे भी आ सकता है, चैयरमेन महोदय, क्लॉज १०२ में यह है कि यह क्लाज़ पब्लिक के ऊपर ओबलिगेटरी है। जब कोई मकान बनाये या उसकी मरम्मत की जायगी उसमें किसी प्रकार इजाफा होगा तो उसके मलिक को १५ दिन अन्दर अन्दर उस मकान के बनाने का, उस उस मकान की मरम्मत करवाने का या उसमें किसी प्रकार का इजाफा किया हो तो उसका और उस पर कब्जा करने आदि की सूचना देनी पडेगी म्युनिसिपल बोर्ड को १५, दिन के अन्दर अन्दर अगर वह सूचना नहीं देता है तो उसके ऊपर ५० रुपये तक का जुर्माना हो सकता है और अगर पचास रुपये नहीं हुआ तो जिस तरीख को उसने उस मकान को कब्जा लिया उसके तीन महिने तक १० गुना तक टैक्स वसूल किया जा सकता है जुर्माने के रूप में। हमें यह सोचना पडेगा कि हम पब्लिक को इस बात के लिये मजबूर कर सकते हैं या नहीं, अगर मजबूर कर सकते हैं तो हमारा इस प्रकार से मजबूर करना न्यायसंगत होगा या नहीं। इस प्रकार की मजबूरी करने से कई प्रकार की कोम्पलीकेशन्स पैदा होजायेंगे या नहीं, इन तमाम चीजों को अलग अलग रूप में हमें देखते हैं तो हमें यह पता लगता है कि इस क्लॉज़ की बिल्कुल आवश्यकता नहीं।

मानीय चेयरमेन, आगे चलकर हम इस बिल में इस की व्यवस्था करते हैं कि किसी भी नगरपालिका की हद में किसी भी मकान की मरम्मत या किसी प्रकार का एडीशन, आलट्रेशन करवाता है तो उसकी इजाजत म्युनिसिपल बोर्ड से लेनी पडेगी, अगर म्युनिसिपल बोर्ड उसकी इजाजत में किसी भी प्रकार की इन्कवायरी की आवश्यकता समझता है तो वह इन्कवायरी होगी और अगर बिना

[श्री भैरूंसिंह]

इजाजत काम प्रारम्भ कर दिया गया तो उसके लिये सजा की हम इसमें तजवीज कर रहे हैं। वैसी सूरत में उस मकान की मरम्मत करने की या उस मकान में किसी प्रकार का हेरफेर करने की बात है उसकी सूचना हमने पहले म्यू० बोर्ड को दे दी और इसके बाद हम काम प्रारम्भ करेंगे ऐसी व्यवस्था इस कानून में होगी। लेकिन अब इस धारा १०२ के द्वारा हम यह व्यवस्था और कर रहे हैं कि उस मकान के खत्म होने पर हमें म्यू० बोर्ड को इतला और देनी पड़ेगी और यदि हम वह इत्तला नहीं दे सकते १५ दिन के अन्दर अन्दर तो म्यू बोर्ड उसके ऊपर जुर्माना भी कर सकेगा। ये कुछ शब्द इसमें ऐसे हैं:........" within fifteen days from the date of compietion of such building re-building or enlargement, or from the date of the occupation of such building, whichever date happens first."

अब माननीय चेयरमेन कई नगरपालिकाओं में ऐसा होता है कि कई आदमी प्रारम्भ कर रहे हैं कि काम हो रहा है, मरम्मत हो रही है लेकिन जो मालिक है वह कहीं कमाने खाने को गया हुआ है। काम किसी की निगरानी में हो रहा है। काम आज कम्पलीट हुआ, कितना काम मालिम कराना चाहता है इसकी सूचना उसके पास नहीं। एक मकान के अन्दर कोई दो कोठे बनवाने चाह रहा है इसके लिये मालिक ने उसको आर्डर दे दिया और जबतक तुम दो कोठे बनवाओ, मैं बाहर जा रहा हूँ, वापिस आऊंगा और रुपया भी लेता आऊंगा और फिर उसमें एक्सटेन्शन की आवश्यकता होगी तो कर देगा। दो कोठे कम्पलीट हुये। उसके पास सूचना नहीं पहुँचती है कि कोठों का काम कम्पमलीट हो गया है। वह बाहर से आवेगा और इसमें उसको १५ दिन का समय लग गया। ऐसी स्थिति में जिनकी निगरानी में काम हो रहा है वह अगर सूचना नहीं दे रहा है तो म्यू० बोर्ड तो उस पर जुर्माना भी कर देगा और टैक्स इन्पोज करने की कार्यवाही कर देगा भी हालां कि दर असल वह काम अभी इन्कम्पलीट है जो काम करने का प्लान उसने सोच रक्खा था उस दृष्टि से तो काम अभी कम्पलीट नहीं हुआ। पर चूंकि इस तरह का प्रोवीज़न हम रख देंगे तो जहां वह इतना सा काम कम्पलीट हुआ वहां हम उसे कम्पलीट मान लेंगे और सूचना नहीं देने पर जुर्माना लगा देंगे। पर काम कंपलीट किस तरह से होगा इसका कोई विश्लेषण आपने इसमें नहीं किया। इसके अभाव में कोई भी नुकसान किसी का हो सकता है। एक मामूली काम को भी समझा जा सकता है कि वह कम्पलीट हो गया। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इसकी जिम्मेदारी पब्लिक पर आप न छोड़ें कि वह काम समाप्त करने पर १५ दिन में आपको सूचना दे, बल्कि यह म्यु० बोर्ड की जिम्मेदारी है कि वह काम कब खत्म होता है इसकी वह स्वयं निगरानी रक्खे। उसमें कौन किस तारीख को कब्जा करता है, कौनसे दिन से उसे किराये पर देता है ताकि उसी दिन से टेक्स इम्पोज किया जा सके। अगर इसकी इन्फोरमेशन देने में कोई झूठ बोले तो जुर्माना इम्पोज़ करो। तो वह समझ में आ सकता है। पर हमने एक बात की इन्फोरमेशन नहीं दी और इसके अभाव में जुर्माना इम्पोज़ किया जाता है तो यह न्याय संगत नहीं है। इस लिए मैं निवेदन करूंगा कि इस तरह की धारा का विलोप कर दिया जावे।

[श्री भैंरूसिंह]

यह अक्सर देखने में आया है कि कलकत्ता बम्बई में रहने वाले अपने मकान की मरम्मत कराते हैं, इजाफा कराते हैं, और उन्हें सूचना मिलती रहती है चिठ्ठी पत्री से कि आज हमने यह अमुक काम करवा लिया आगे और करवाना है या नहीं और इस सारे काम की निगरानी, देख भाल चिठ्ठी पत्री से वह वहीं बैठा बैठा करता है। पर यदि पत्र की सुविधा के अनुसार जो समय हो सकता है उस समय पर ध्यान न देकर १५ दिन का समय निकल गया तो निश्चित रूप से समय पर सूचना नहीं दे सकेगा। उनका काम चलता रहेगा पर सरकारी इत्तला के अनुसार काम कम्पलीट हो चुका होगा यह भी समझा जा सकता है। इसलिए इस प्रकार की गड़बड़ी और असुविधा इस धारा से हो जावेगी, इसलिए इस धारा को विलोप कर दिया जावे। नहीं तो हम जबर्दस्ती इन लोगों के हाथों में एक अधिकार दे रहे हैं। थोड़ी सी मरम्मत हुई कि इसके कारण से वे उनको परेशान करेंगे। वे मकान मालिक से कई तरह की शिकायतें करके उसको हैरान करेंगे और एक रिश्वतखोरी का बाजार भी चल पडेगा। कहेंगे तुमने यह काम कराया, अब कराया या चल रहा है उसका विश्लेषण आपने नहीं किया, इसके अभाव में वह कहेगा तुमने कराया और मकान मालिक कहेगा कि चल रहा है तो वह पूरा किया हुआ मानकर कहेगा कि तुमने १५ दिन में सूचना नहीं दी चलो तुम्हारा चालान किया जाता है और यह जुर्माना किया जाता है। छप्पर डालना है, दरवाजा कोई छोटा सा निकलवाना है, अगर इस तरह के छोटे मोटे काम कर लिये और इसकी सूचना नहीं दी यह जुर्माने का अधिकार अगर किसी भी अधिकारी को देते हैं तो हमें इसके लिए पहले कई बार यह सोचना पड़ेगा कि कहीं इसका दुरुपयोग न हो जावे, मैं समझता हूँ कि अगर ऐसी धारा रही तो निश्चित रूप से इसका दुरुपयोग होगा। इसलिए मेरा निवेदन यही है कि इसको विलोप कर दिया जाय।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—माननीय सभापति महोदय, यह तो बहुत ही सीधी धारा है। ऐसा नियम है म्यु० में कि जब कोई नया काम बनाते हैं तो लोग म्यु० बोर्ड में दरख्वास्त देते हैं, उसका नक्शा पेश करते हैं और इसके बाद उसको बनाने की इजाजत मिलती है तो जब वह काम पूरा हो जाता है तो १५ दिन में इत्तला कर देना कोई असुविधाजनक बात नहीं हो सकती। हां माइनर रिपेयरिंग और माइनर वर्क के लिए कोई रोक टोक नहीं है। कोई इजाज़त लेने की भी जरूरत नहीं होती। तो जिसके लिए इजाजत लेने की जरूरत नहीं होती तो उसके लिए यह बन्दिश भी नहीं है। इसमें तो यह प्रोवाइड किया गया है कि : "When a building is built, re-built or enlarged..." इसके लिये इजाजत लेनी पड़ती है।

He has to take permission from the Board for construction, परमिशन होने के बाद बना लेता है।

He will simply inform the Board.

इसलिये यह करेक्ट हो जावेगा। इसमें कोई दुरुपयोग होने की बात नहीं है और छोटे मोटे जो काम हैं रिपेअर के उसमें न परमिशन की जरूरत होगी और न इत्तला की जरूरत पड़ेगी। यह नियम तो पहले से भी है और मौजूदा जयपुर के एक्ट में तो आज भी है।

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

श्री सभापति (श्री गोपीलाल यादव)—यह १५ दिन की मियाद क्या काफी है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—दुबारा इसकी इजाजत लेनी पड़ेगी। नक्शे के मुताबिक काम करना पड़ेगा, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। इसमें दुरुपयोग की बात ही नहीं है।

श्री भैंरूं सिंह—समय बहुत कम है।

श्री सभापति—प्रश्न यह है कि क्लॉज १०२ स्वीकार किया जावे।

(१०२ स्वीकृत)

क्लॉज स्वीकार किया गया।

(विराम)

क्लॉज १०२ विधेयक का अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १०२ विधेयक का अंग बना

(विराम)

क्लॉज १०३

श्री सोहनलाल भटनागर—क्लॉज १०३ में ट्रान्सफर के ऊपर नोटिस देने का प्रोविज़न है और इसके अन्दर एक मिस-प्रिन्ट हो गया है। सब क्लाज़ में नोटिस के बाद "ऑफ" होना चाहिये, "ओन" हो गया है। यह फोर्मल है, इसलिये इसको स्वीकार किया जावे।

श्री सभापति—यह तो ऐसे ही टाइप की गलती है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मान लिया है साहब।

श्री सभापति—श्री मानसिंह महार।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १०३ को स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १०३ स्वीकार किया गया।

(विराम)

[श्री सभापति]

क्लॉज़ १०४ और १०५ में कोई अमेन्डमेन्ट नहीं है।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज १०४ और १०५ स्वीकार किये जांय ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १०४ और १०५ विधेयक के अंग बने ।

(विराम)

क्लॉज़ १०६, श्री सोहनलाल भटनागर ।

श्री सोहनलाल भटनागर—सभापति महोदय, क्लॉज १०६ निम्न प्रकार है :—

"Liability for payment of taxes on buildings or lands to continue in the absence of notice of transfer."...

"Substitute 'the tax on the annual letting value of for a tax imposed on" in line 2, and substitute 'neglect' for'neglects' in line 5."

इसलिये टैक्स इम्पोज़ के बजाय यह फ्रेजियोलोजी बढ़ा दी जावे ।

श्री सभापति—यह भी एक मिसप्रिन्ट है।

श्री भैंरूंसिंह—इस क्लॉज में इसकी पांचवीं लाइन में है —

"......Who transfers his title thereto without giving notice of such transfer to the board as aforesaid, shall, in addition to any other liablity which he incurs through such neglects, continue liable for the payment of all taxes from time to time payable in respect there of"......

माननीय चेयरमेन, क्लॉज़ १०६ के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को दूसरे व्यक्ति को ट्रान्सफर करता है तो उस ट्रान्सफर करने वाले आदमी की जिम्मेदारी होगी कि वह इसकी सूचना म्युनिसिपल बोर्ड को दे और यदि यह सूचना वह देने में किसी प्रकार की गलती करता है तो वह टैक्स जो उस मकान के ऊपर या उस मकान से संबंधित होने के कारण उस व्यक्ति से वसूल होना चाहिए था जो एक्चुली उसके ऊपर कब्जा कर रहा है, लेकिन चूंकि इस को इत्तला म्युनिसिपल बोर्ड को नहीं मिली है इसलिए वही आदमी जो टैक्स इम्पोज़ किया हुआ है वही जिम्मेदार है। इसमें दो तीन शब्द—

[श्री भैरूंसिंह]

"any other liability which he incurs through such neglects."

इस सारी क्लॉज में और आगे भी ट्रान्सफर होने की सूरत में कौन कौन सी लायबिलिटी जो हो सकेगी यह अभी तक हमारी समझ में नहीं आया और इस बिल में देखने को मिला। बिल में लाएबिलिटी केवल इतनी सी है कि ट्रान्सफर नहीं होने की सूरत में टैक्स जो इम्पोज किया हुआ वह जमा कराना पड़ेगा। इसके साथ साथ और कौन कौन सी लाएबिलिटीज़ हो सकती हैं जब तक वह लायबिलिटीज़ हमारे सामने स्पष्ट रूप से नहीं हैं तब तक ऐसे शब्दों का जिनका कोई भी मतलब निश्चित नहीं कह सकते इस धारा में रखना बिल्कुल ही अनुपयुक्त है, इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इन शब्दों को इस धारा में से हटा दिया जाय और नहीं हटाने की सूरत में आगे चलकर ऐसी व्यवस्था भी करनी पड़ेगी कि ट्रान्सफर की सूचना नहीं देने की सूरत में कौन कौन और ऐसी लायबिलिटीज़ बनेंगी कि जिन लायबिलिटीज़ को उसको किसी न किसी तरह से तै करना पड़ेगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा माननीय मंत्रीजी से कि ये शब्द बिल्कुल ही रिडन्डेन्ट हैं इसलिए इन शब्दों को हटा देना चाहिए।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह तो खाली प्रोसीजर के बारे में है।

श्री भैरूंसिंह—इसमें कन्फ्यूज़न होता है थोड़ा सा प्रोसीजर में।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—ऐसा है कि वह आदमी जिम्मेदार है टैक्स देने का जिसका कि नाम लिखा हुआ है। उसको इतना टैक्स देना पड़ता है यदि वह ट्रान्सफर करता है और जब तक म्युनिसिपल बोर्ड को इत्तला नहीं करे। इसलिए जो है वह ठीक है।

श्री सभापति (श्री गोपीलाल यादव)—"In addition to any other liability which he incurs through such neglects, continue liable for payment of all taxes from time to time payalle in respect thereof until he gives such notice, or until the trausfer shall have been recorded in the registers of the board"

यह जो "In addition to any other liabilities" का जवाब मांगते हैं 'Which he ircurs' What is that additional liability ?

श्री भैरूंसिंह—लायबिलिटी देखते नहीं हैं तो उस सूरत में इन शब्दों का रखना बिल्कुल रिडन्डेन्ट है।

श्री सभापति—आपका ख्याल यह है कि यह लफ्ज़ हटा दिये जायं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—वह मेरे ख्याल से यह है कि इस एक्ट में हो तो हो वर्ना नहीं हो।

Page No 80

श्री भैरूसिंह—हम लॉ बना रहे हैं । है तो नहीं माना जा सकता है। लेकिन हमारे सामने नहीं है तो फिर इसको रखने की आवश्यकता है या नहीं, इसका सवाल ही नहीं आता है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—हटा दें ?

श्री सभापति—इसे हटा ही दिया जाय ।

"In addition to any other liability which he incurs through suchneglect,"

प्रश्न यह है कि ये वर्ड्स डिलीट कर दिये जायं ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकृत हुआ ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज १०६

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—श्री सोहनलालजी के दो एमेंडमेंटस हैं ।

श्री सभापति—एक तो 'निग्लेक्टस' की जगह 'निग्लेक्ट' चाहते हैं । तो वह तो निग्लेक्ट भी डिलीट हो गया है इसलिए उसका सवाल ही नहीं है। इसलिए प्रश्न यह है कि क्लॉज १०६ को संशोधित रूप से स्वीकार किया जाय ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—क्लॉज़ १०६ पर दो एमेंडमेंट्स हैं ।

श्री सभापति—प्रश्न यह है कि क्लॉज १०६ पर जो संशोधन नं० १ श्री सोहनलालजी ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकृत हुआ ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १०६ को, संशोधित रूप से, स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

क्लॉज १०६, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बना ।

(विराम)

[श्री सभापति]

क्लॉज १०७, श्री मानसिंह

(अनुपस्थित)

श्री सोहनलाल भटनागर—माननीय चेयरमेन, क्लॉज १०७ के अन्तर्गत मेरे चार संशोधन हैं —

(1) 'In line 4 of the first proviso, substitute 'bears' for 'near.'

यह गलती से छप गया है। इसको बेंटर ग्रामेटिकेली ठीक करने के लिये दुरुस्त कर देना चाहिए।

दूसरा है—'In line 6 of the first proviso, substitute 'bears' for' appears.'

लाइन ६ के अन्दर 'app ears' के बजाय 'bears' होना चाहिए।

तीसरा है—'In line 7 of the first proviso insert 'of after aggregat amount" 'aggregate amount of the letting value thereof' यह होना चाहिये।

चौथा यह है—"In line 3 of the second proviso- (1) insert 'get' before 'credit.'

'Provided, further, that, for any sum paid by, or recovered from any occupeir who is not primarily liable under this section he shall be entitled to credit...' इसमें "Getcredit' कर दिया जाय। यानी "...entitled to get credit in account with the person primarily liable for the payment of that sum.' In this omit 'for the payment of that sum',

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—These are only minor corrections and I except them.

श्री भैरूंसिंह---मैं निवेदन करूंगा कि इस क्लॉज को भी जब कि सारी टैक्सेज़ की क्लॉसेज़ को डेफरे कर दिया है, व डेफर कर दें। टैक्सेज़ कौन कौन से होगें और उन्हें किन किन से वसूल किया जायगा, यह दूसरा स्टेज आता है। मैं निवेदन करता हूँ कि जब उन क्लॉजेज़ को डेफर कर दिया हैं तो फिर १०७ को भी डेफर कर दिया जाय।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता —डेफर किया ८७ को तो उसमें कम्पलसरी हो या नहीं हो। वह कम्पलसरी हो चाहे न हो लेकिन उसकी जिम्मेदारी किस की होगी वे करने की वह इसमें है। यदि बोर्ड है

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

उन कम्पलसरी टैक्सेज़ को लगाया है तो वह लगायेगा जब ही यह प्रश्न उठेगा। इसलिए इसको डेफर करने की जरूरत नहीं है।

श्री सभापति—यह जो संशोधन हैं 'नियर' के बजाय 'बियर्स' का करेक्शन करने ऐसे ही दूसरे करेक्शन हैं। (स्वा० शा० मंत्री से) यह मन्जूर है आपको ?

श्री मुक्तिलाल मोदी—माननीय चेयरमेन, और क्लाजेज़ टैक्सेज़ के में डेफर हैं तो इसको क्यों न कर दिया जाय ?

श्री सभापति— क्लॉज़ १०७ पर जो संशोधन श्री भटनागर जी ने रखे हैं उनको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकृत हुआ।

श्री श्रीभानसिंह—माननीय सभापति जी, डेफर यों होना चाहिए। समझ में नहीं आ रहा है कि जब हमने ८७ को डेफर कर दिया है और यदि क्लॉज़ ८८ में हम कोई एमेंडमेंट एक्सेप्ट करते हैं, मान लिजिये कि उसकी सब क्लाज़ (१) में हम एमेंडमेंट एक्सेप्ट करते है जिसमें लिखा है कि 'a tax on the annual letting value of buildings of lands or both.'

माननीय उपाध्यक्ष, अभी इस पर डिसकशन हो रहा है। उसमें एनुअल लेटिंग वेल्यू की जगह एमेंडमेंट हो जाय केपिटल वेल्यू, क्यों कि आजकल म्युनिसिपल बोर्ड में ज्यादातर एनुअल लेटिंग वेल्यू पर टैक्सेज़ नहीं रखते हैं बल्कि केपिटल वेल्यू लेते हैं। मोडर्न मेथड आफ एसेसमेंट वर्ड के अन्दर यही है। अगर केपिटल वेल्यू को सब्स्टीट्यूट कर लेते हैं और ऐनुअल लेटिंग वेल्यू को डिलीट कर देते हैं तो यहां पहले रे एनुअल लेटिंग वेल्यू किस तरह से करने जा रहे हैं ? मैं बोल नहीं रहा था लेकिन मेरी समझ में नहीं आया था। मैं एमेंडमेंट दूंगा कि रेएनुअल लेटिंग वेल्यू के बजाय केपिटल वेल्यू पर होना चाहिए। टैक्स बिल्डिंग की लागत वेल्यू पर मारकेट वेल्यू पर होना चाहिये। एनुअल लेटिंग वेल्यू पर वे करेंगे तो वह स्पेक्युलेटिव टैक्स होगा। अगर एनुअल लेटिंग वेल्यू आफ दी बिल्डिंग या लेन्डर पर वह हाउस टैक्स पे करना है तो जो इसमें स्पेक्युलेटिव एलीमेंट आपके पास होगा। उस सिस्टम पर आप एसेस करेंगे व्हाइल अगर केपिटल वेल्यू पर करेंगे तो वह मारकेट वेल्यू होगी और वही रियल थिंग है। उस पर टैक्स एसेस होगा तो वह रियल होगा। जितनी टैक्सेज़ के संबंध में क्लॉजेज़ हैं वह सब पोस्टपोन होनी चाहिए। मेरा यही सजेशन है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—उसमें आपत्ति की बात नहीं है। हमारे यहां क्लाज़ ८७ है और ८७ ए इसलिए प्रोवाइड किया हैं कि एन्यूल लेटिंग वेल्यू हो या नहीं, अपने को तो तय करना है कि उनको कम्पलसरी करें या बोर्ड पर छोड़ें। एक तरफ तो अमेंडमेंट आया हुआ है कि कम्पलसरी हो या नहीं आल दी प्रोसिजर विल एप्लाई टु ईट।

श्री श्रीभानसिंह—मान लीजिये कि किसी ने प्रोपोज़ल्स रखे, एन्यूअल लेटिंग वेल्यू को डिलीट कर और केपिटल वेल्यू पर टैक्स लगा रहे है। अब यह मान लिया कि केपिटल वेल्यू को टैक्स करेंगे और जब एन्यूअल लेटिंग वेल्यू को एक्सन्ट किया जा रहा हैं तो फिर केपिटल वेल्यू की लायबिलीटी दूसरों पर रहेगी तो फिर आपकी क्या पोजिशन रहेगी।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अब तक कोई सुझाव नही था। आगे होगा तो चेन्ज कर लिया जायगा।

श्री श्रीमानसिंह—कई क्लॉजेज़ एन्युअल लेटिंग वेल्यू के पास कर चुके हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—न तो कोई सुझाव था, होगा तो आयन्दा एन्यूअल लेटिंग वेल्यू न रख कर मारकेट वेल्यू कर लेंगें, दुबारा संशोधन हो सकेगा।

श्री सभापति (श्री गोपीलाल यादव)—प्रश्न यह है कि क्लाज़ १०७ को संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

क्लाज़ १०७, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लाज १००

श्री सोहनलाल भटनागर—माननीय चेयरमेन यह क्लॉज़ 'रेमीशन ओफ टैक्स इन केस ओफ वेकेन्सीज़' के सम्बन्ध में है। सब क्लॉज़ (२) में (ए.) (बी.) (सी.) पार्ट हैं। इसमें से सी पार्ट में यह है कि "the board may remit or refund such portion, if any, of the tax or instalment as it may think equitable."
यह जो पोर्शन है इस क्लॉज़ का यह तीनो पार्ट्स के लिए लगता है इसलिए इसके साथ नहीं लगना चाहिए। इसलिए मैंने संशोधन द्वारा निवेदन किया है कि, "The words 'the Board etc'. in line 2 of part (c) of sub clause (2) shall appear from a fresh line."

श्री भैरूंसिंह (१६)—माननीय चेयरमेन महोदय, क्लॉज़ १०८ में यह व्यवस्था है कि यदि कोई मकान खाली हो गया है या किसी मकान से कोई आमदनी नहीं हुई है वैसी सूरत में हमजो उस से टैक्स वसूल कर रहे है, यदि टैक्स वसूल कर लेते हैं तो हमें वह टैक्स वापिस देना चाहिए और जो तरीका वापिस देने का है उस तरीके कि व्याख्या इस क्लॉज में की गई है। यदि किसी व्यक्ति को कोई भी मकान अनप्रोडक्टिव है होता है या बिना किराये के वह पडा रहता है या खाली रहता है या ऐसी सरत पैदा हो जाती है कि जिस सूरत के कारण उस मकान से किसी प्रकार

[श्री भैरूसिंह]

कि कोई आमद नहीं होती है तो उसके मालिक को चाहिए कि वह उस की इत्तला म्युनिसिपल बोर्ड को दे। और इत्तला देने की तारीख से यदि वह मकान दो महीने तक लगातार खाली पड़ा है तो उसका रिफन्ड हो सकता है और यदि दो महीने से कम के लिए खाली रहता है तो जो कुछ टैक्स वसूल कर लिया है दो महीने के लिए भी वह टैक्स हम उसको रिफन्ड नहीं कर सकेंगे और यदि नोटिस दिया है उससे पहले भी मकान खाली रहता है तो पहले के समय का भी टैक्स रिफन्ड नहीं करेंगे। माननीय चेयरमेन, यह कानून ऐसा बन रहा है कि यदि किसी से टैक्स लेते हैं, इम्पोज़ करने में सख्ती की जाय, वसूल करने में सख्ती की जाय और यदि गलती से वसूल कर लिया तो वापिस देने में भी सख्ती की जाय। एक बात हमारी समझ में आ सकती है कुछ तय कर के टैक्स इम्पोज़ करते हैं तो वसूल करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। उसको वसूल करने में किसी प्रकार कि सख्ती करते हैं तो एक हद तक स्वीकार करते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति से गलती से टैक्स वसूल कर लेते हैं और वह आदमी यह चाहे कि म्युनिसिपल बोर्ड ने गलती से वसूल कर लिया है, वह उसको वापिस दिया जाय तो अगर वापिस देने में भी सख्ती करें तो यह कहां का न्याय है। किसी का मकान खाली होता है, मकान खाली होने की सूचना देता है म्युनिसिपल बोर्ड को, उसको दो महीने तक इन्तजार करना पडेगा, दो महीने तक मकान लगातार खाली रहता है या नहीं, मान लीजिये कि दो महीने तक मकान लगातार खाली रहता है तो उसको वसूल किया हुआ पैसा वापिस मिल सकेगा और नहीं तो उसको रिफन्ड नहीं हो सकेगा। एक मकान पांच सौ रुपये महिने किराये का है। अगर वह मकान एक महीने तक खाली रहता है तो उसका पांच सौ रुपया तो किराये के चले ही गये, उसकी पांच सौ रुपये की आमदनी तो कम हो ही गई। हमतो यही देखें कि कि इसको पांच सौ रुपये की आमदनी है.... ..

श्री **सभापति**—आपका अमेन्डमेन्ट कहां है ?

श्री **भैरूसिंह** (१६)—मैं विरोध कर रहा हूँ सारे क्लॉज़ का। आप इसको विरोध स्वरूप ही स्वीकार कर लेंगे।

श्री **बद्रीप्रसाद गुप्ता**— वापिस मिलना ही नहीं चाहिए आपके मतलब से।

श्री **सभापति**— विरोध के लिए तो परम्परा डाल रखी है, आपको डिलीशन के लिए संशोधन लाना चाहिए था।

श्री **भैरूसिंह**— मैंने संशोधन तो पेश किये हैं। आज आ नहीं सके हैं। इस खयाल में था कि ८७ चल रही है। जो सुझाव रखे हैं उनके लिए मैंने अपने अमेन्डमेन्ट्स पेश किये हैं।

[श्री भैरूं सिंह]

मैं यह निवेदन करता हूं कि इसमें लीगली होना चाहिए कि किसी का मकान खाली होता है। एक महीने का तो कम से कम मैं लगाता हूं, एक महीने तक किराये न रहे, खाली रहे या न रहे तो उस मकान मालिक को वसूल किया हुआ टैक्स नहीं रिफन्ड किया जाय, लेकिन दो महीने तक खाली रहे और उसको इस प्रतिज्ञा में रहें तो यह न्याय संगत नहीं है। एक महीने से कम समय के लिए खाली रहता है, उसके लिए रिफन्ड नहीं करें तो अच्छा है, लेकिन अगर एक महीने से अधिक समय निकलता है और मकान खाली रहता है उस हालत में उसको रिफन्ड करना चाहिए। यह न्याय संगत है।

माननीय चेयरमेन, मैं आपको उन शेखावाटी के गांवों का उदाहरण देना चाहता हूं। रामगढ़, फतहपुर, लछमनगढ़ या जितने शहर हैं, वहां के सारे सेठ बम्बई, कलकत्ता, आसाम जहां कहीं उनका व्योपार होता है वे वहीं रहते हैं और उनके जो शेखावाटी में मकान हैं वे किराये पर रहते हैं। मान लीजिये कि उसमें से किसी के मकान को कोई खाली करके चला जाता है और उस मकान के खाली कर जाने की सूचना उनको कई दिनों तक नहीं मिल सकेगी, उनको उसकी सूचना कलकत्ता, बम्बई में समय पर नहीं जाती हैं, कोई आदमी मकान में ताला डाल कर चला गया वह बिना सूचना दिये ही चला गया, वह सोचता है कि यदि मकान खाली करने की सूचना देता हूँ तो मकान का किराया भी देना पड़ेगा इसलिए ताला डालकर कोई चला जाय किराये से बचने के लिए, बचे हुए किराये से भी बचने के लिए, वह आदमी उनको सूचना भी न दे, किराया भी नहीं दे दो दो महीने तक यदि मकान के मालिक को पता नहीं चले, या कोई आदमी बहुत दिनों बाद उसकी अचानक सूचना दे कि मकान खाली पड़ा है अथवा ताला डालकर कोई चला गया है तो ऐसी सूरत में उस मकान मालिक ने नोटिस दिया कि मेरा मकान फलां तारीख से खाली है, मकान अन-प्रोडक्टिव इस अर्से से रहा है और इस पर टैक्स इम्पोज़ नहीं होना चाहिये तो इस धारा से यह होगा कि नोटिस देने की तारीख से पहले जितने अर्से तक वह मकान खाली पड़ा रहा है, उसकी किराये की उसको कोई आमदनी नहीं हुई है फिर भी उसको टैक्स रिफन्ड़ नहीं हो सकेगा। लेकिन हमें इस बात की तसल्ली कर लेनी चाहिए कि जिस तारीख से वह मकान खाली है, यदि वह एक महीने से उस तारीख से खाली रहता है तो टैक्स रिफन्ड नहीं करें और यदि एक महीने से अधिक खाली रहा हो और यदि कोई टैक्स इम्पोज़ कर रखा हो तो उसको रिफन्ड की व्यवस्था करनी चाहिए और नोटिस मिला है उस तारीख से यदि पहले का समय में मकान खाली रहा है, अनप्रोडक्टिव रहा है और उस हालत में जो कुछ उससे टैक्स वसूल कर लिया है और उसकी रिफन्ड की व्यवस्था नहीं करते हैं तो एक तरह से यह अन्याय होगा, कानून बनाकर इस प्रकार का अन्याय नहीं किया जाना चाहिए। नोटिस देने के पहले, १२ महीने भी मकान खाली रह सकता है, छः महीने भी खाली रह सकता है, तीन महीने भी खाली रह सकता है और उसको उसकी सूचना न मिले, नोटिस नहीं आया, टैक्स वसूल करते रहे, चूंकि वह नोटिस देगा उस तारीख से ही मयाद शुमार की जायगी, तो नोटिस गलत तरीके से आ सकता है, इसलिए इस बात की जांच करें कि किस तारीख से वाकई

[श्री भैंरूसिंह]

वह खाली हुआ, जांच से उसको तसल्ली हो जाय कि फलां तारीख से वह मकान अनप्रोडक्टिव रहा अगर उस अनप्रोडक्टिव पीरियड में कोई टैक्स वसूल किया है तो उस सारे टैक्स को वापिस दें और यदि वापिस नहीं देते हैं तो यह अनुचित सी व्यवस्था होगी और इसको समाप्त कर दें । इसी भावना से, गलत ढंग से टैक्स इम्पोज़ किया मकान अनप्रोडक्टिव रहा, टैक्स रिफन्ड नहीं करें तो वह अन्याय तो है ही, लेकिन यदि इस अन्याय के साथ साथ इस प्रकार की जो व्यवस्था है वह भी कानून में रहेगी तो और भी विशेष प्रकार का अन्याय होगा । मैं निवेदन करूंगा कि २ महीने के स्थान पर १ महीना करदें और प्रीवियस नोटिस के पहले दिन अनप्रोडक्टिव रहा है और टैक्स वसूल कर लिया है तो उस टैक्स को रिफंड कर देने की व्यवस्था करदें । यदि नहीं करें तो मैं निवेदन करूंगा कि इसे पास नहीं किया जाय ताकि हम दूसरा क्लॉज़ लाकर इन्कोरपोरेट करदें ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—क्या आप यह चाहते हैं कि वे सारे ही वापिस कर दिये जांय ?

श्री सभापति (श्री गोपीलाल यादव)—ये न तो वापिस चाहते हैं, न रखना चाहते हैं, क्लॉज़ को डिलीट करना चाहते हैं ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह क्लॉज़ रहता है और यदि खाली रह गया है तो नोटिस देने पर रेमिटेन्स मिल जायगा, इससे तो फायदा होगा । नोटिस देने पर रिफंड हो जायगा ।

श्री भैरोंसिंह—नोटिस के पहले के समय का नहीं होगा ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—हो जायगा ।

श्री भैरोंसिंह—नहीं होगा, आप देखिये ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—"Provided that no such remission shall be granted unless notice in writing......"

श्री भैरोंसिंह (१६)—"for any period previous to the day of the delivery of such notice."

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—नोटिस तो देना ही चाहिये ।

श्री भैरोंसिंह—नोटिस नहीं देना चाहिये ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—नोटिस नहीं देने से बहुत झगड़े होंगे । कोई आदमी नोटिस नहीं देगा; वह समझेगा मैं लड़ता रहूंगा इसलिए बहुत दिक्कत आजायगी ।

श्री भैरोंसिंह—दिक्कत नहीं आयगी।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अब तक भी ऐसा ही है।

श्री भैरूंसिंह—अब तक जो कानून बना हुआ है वह विधान सभा में पास नहीं हुआ है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—नोटिस देते हैं, इसमें उनको दिक्कत नहीं है।

श्री भैरूंसिंह—(६०) दिन के बजाय ३० दिन तो कर दीजिये।

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—३० दिन कर दीजिए, कोई बात नहीं है।

श्री गोपीलाल यादव—"Not less than two third" कर दीजिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—३० कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १०८ स्वीकार किया जाय।

श्री गोपीलाल यादव—संशोधित रूप में।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री मोहनलाल जी ने पेश किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकृत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १०८, संशोधित रूप से, विधेयक में जोड़ा जाय।

(स्वीकृत)

क्लाज़ १०८, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बना।

(विराम)

[श्री उपाध्यक्ष]

क्लाज़ १०९.

श्री सोहनलाल भटनागर—उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ १०९ के अन्तर्गत यह कहा गया है : "Whether domestic, ornametnal or irrigational or for trade..."

मेरे संशोधन का मतलब यह है कि "Ornamental or" शब्दों को डिलीट करना है, क्यों कि इरिगेशन पर तो वाटर टैक्स लगा है। इसको पहले ही एग्जेम्प्ट कर दिया है इसलिए यह संशोधन रखा गया है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—It is a correction of language I, accept it.

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ १०९ पर श्री सोहनलाल भटनागर ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १०९, संशोधित रूप से, स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १०९, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ ११०

श्री सोहनलाल—उपाध्यक्ष महोदय, क्लाज़ ११० में ८७ का जहां हवाला आया है वहां ८७ ए यदि स्वीकृत हो जाता है तो वह रहेगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह तो करेक्शन होगा।

श्री हिम्मतसिंह—यह तो बाद में भी हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष—बाद में रगड़ा रहेगा।

(विराम)

[श्री उपाध्यक्ष]

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री सोहनलाल ने क्लॉज़ ११० में प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ११०, संशोधित रूप में, स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ११०, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ १११

श्री सोहनलाल भटनागर—उपाध्यक्ष महोदय, क्लाज़ १११ "Taxon vehiclesand animals for ridieg etc." के बारे में है। इसमें मेरे संशोधन ये हैं :

पहला है:—"For the words 'when the board has imposed tax' in lines 1 and 2, substitute 'In the case of the tax."

दूसरा है:—"For 'it', in line 3, substitute 'the board'."

तीसरा है:—"After 'riding' in line 2, insert 'driving'."

चौथा है:—"For 'the tax imposed as aforsaid' in the last line, substitute 'such tax'."

ये भी फोर्मल संशोधन हैं। इनमें भी कोई प्रिन्सिपल इन्वोल्ड नहीं है। एक्सप्रेशन और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ठीक करने के लिए है इसलिए इन्हें स्वीकार किया जावे।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लाज १११ पर श्री सोहनलाल ने प्रस्तुत किए हैं उन्हें स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

[श्री उपाध्यक्ष]

संशोधन स्वीकार किए गए।

(स्वीकृत)

प्रश्न यह है कि क्लॉज १११, संशोधित रूप में, स्वीकार किया जाय।

(विराम)

क्लॉज़ १११, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ ११२

श्री सोहनलाल—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना करूंगा कि इस क्लॉज को डेफर किया जाय। अभी क्लाज़ ८७ और ८७ ए. को पोस्टपोन किया है। इसमें यह देखना है कि ओक्ट्रोय ड्यूटी ओब्लीगेटरी रखी जायगी या नहीं, वैसी सूरत में इसको डेफर किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है कि क्लॉज ११२ डेफर किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज ११२ डेफर किया गया।

(स्वीकृत)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ ११३, ११४, ११५ और ११६ स्वीकार किए जायं।

श्री मुक्तिलाल मोदी—उपाध्यक्ष महोदय, ११६ पर तो बोलना चाहते हैं।

श्री मानसिंह महार—११६ पर मैं भी बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—क्लाज़ेज़ ११३, ११४ व ११५

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड ११३, ११४ व ११५ स्वीकार किये जायं।

(स्वीकृत)

क्लाजेज़ ११३, ११४, और ११५ विधेयक के अंग बने।

[श्री उपाध्यक्ष]

(विराम)

क्लॉज़ ११६

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इस पर कोई अमेन्डमेन्ट नहीं है।

श्री मानसिंह महार—मैं क्लाज़ ११६ का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। हालांकि सदन में १६ आदमियों से कम मौजूद हैं फिर भी बोले जा रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, धारा ११६ के बारे में मुझे यह निवेदन करना है कि यह धारा यह कहती है कि यदि कोई आदमी यदि कोई चीज ऐसी बेचेगा जिस पर ओक्ट्रोय ड्यूटी लगेगी और उसके पास लाइसेन्स नहीं होता है तो फिर उसको क्या सजा दी जाय।

यह धारा इस प्रकार की है उपाध्यक्ष महोदय, आज के युग के अन्दर हम कई दिनों से यह बात देख रहे हैं कि लोगों की कुछ ऐसी धारणा सी बन गई है कि हर चीज के लिए लाइसेन्स लागू किया जाय, आज एक धारणा सी बन गई है हमारी कि लाइसेन्स लागू किया जाय। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की लाइसेन्स की बीमारी है वह नहीं रहनी चाहिये। आज के युग में जब कि हम इतने आगे बढ़ रहे हैं कि एक मन्त्रीजी को भी ६ वर्षों के लिये इलेक्शन से डिबार कर दिया जाता है। यह राजस्थान का सौभाग्य है कि हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर ६ वर्ष के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए डिबार कर दिये गए हैं, तो हमारे यहां लाइसेन्स की बात स्वायत्त शासन मंत्रीजी रद्द नहीं करेंगे तो...

श्री सोहनलाल भटनागर—यह यहां क्या सम्बन्ध रखता है?

श्री मानसिंह महार—माननीय सदस्य के दिल को चोट पहुँचती है। वे भी पहले ही चुन कर आ गये, नहीं तो उनको शायद और अधिक वर्षों के लिए डिबार होना पड़ता।

श्री सोहनलाल भटनागर—आपको पिंच होता है?

श्री मानसिंह महार—माननीय उपाध्यक्ष, न मैं चोरियां करता हूं और न डाके डालता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—आप इसी क्लॉज़ पर बोलिये।

श्री मानसिंह महार—उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो आपसे निवेदन कर रहा था कि इस क्लॉज में जो बात रखी गई है और उसके अन्दर एक बात यह रखी गई है :

[श्री मानसिंह महार]

"Provided that any article or person so seized or arrested shall be produced before a magistrate exercising jurisdiction within the municipality within twenty-four hours from the time of such seizure or arrest."

तो इसके बारे में मुझे यह निवेदन करना है कि यह एक बड़ा घातक प्रोविज़न है, २४ आवर्स की मियाद देने का यह मतलब है कि जिन आदमियों को हमारी सरकार या म्युनिसिपेलिटी परेशान करना चाहती है उनके लिए यह तरकीब अपनाई जायगी कि इन्टेन्शनली उनको दिन के ४ बजे पकड़ा जायगा और दूसरे दिन चार बजे के करीब कोर्ट में प्रोड्यूस किया जायगा। कोर्ट टाइम चार पांच बजे तक का होता है, उनको प्रोड्यूस करके रिमान्ड मांगा जायगा और कह दिया जायगा कि आज तो टाइम नहीं है और इस तरह मामूली से मामूली जुर्म करने वाले को दो तीन दिन तक की जेल की या हवालात की हवा खानी पड़ेगी। एक और खतरनाक बात है, वह यह है कि अगर कोई अफसर, जिसको बोर्ड नियुक्त करता है, अगर वह चाहेगा तो उस आदमी के घर की तलाशी ले सकेगा। इस प्रकार आक्ट्रोय की छोटी छोटी बातों के लिए इस प्रकार का प्रोविजन रखना उपयुक्त नहीं है। मैं यह समझता हूँ उपाध्यक्ष महोदय, कि इसके अन्दर फाइन के लिए रखा गया है कि :

"Five not exceeding ten times the octroi due on the articles so sold or kept for sake or possessed, or Rs. 100/- which ever may be greater"

यह भी कोई अच्छी बात नहीं है, विच एवर मे बी ग्रेटर। विच एवर में बी लेसर रखा जाता तो ठीक होता, पर यह शायद नई फ्रेजोलोजी मन्त्री महोदय ने बनाई है। क्या मतलब हुआ विच एवर में बी ग्रेटर का, आप टेन टाइम्स रखना चाहें तो वह रखिये, विच एवर मे बी ग्रेटर का क्या मतलब, विच एवर इज़ लेसर रख देते तो कुछ उचित होता। पर आज के युग में राजस्थान सरकार की ही नहीं और सरकारों की भी इसी प्रकार की पोलिसी हो गई है पर, हमारी सरकार की तो वर्तमान वित्त मंत्रीजी के जमाने में ऐसी पोलिसी आई कि जिस प्रकार से भी जनता का शोषण कर सकें करें। इस प्रकार की कई बातें हुई तो विच एवर इज़ लेसर तो हमने सुना था पर यह बृजसुन्दरजी की सरकार का वतीरा है कि विच एवर इज़ ग्रेटर की बात लगा दी है। यह हमारा सौभाग्य है कि कल से वे राजस्थान सरकार को फाइनेन्स के मामलों में राय नहीं देंगे। आज तक जो गलत राय बक्शी है, उनकी राय शुरू से गलत रही है, उसको सही करने के लिए मन्त्री महोदय को कुछ न कुछ करना पड़ेगा, गलत आदमी की राय से धारा ११६ बनाई गई है जिसमें जनता के भले की कोई बात नहीं है, जनता को परेशान करना जिस क्लॉज की शुरू से आखिर तक मंशा है, जो म्युनिसिपेलिटियों और उनके अधिकारियों तथा सरकार को बहुत बड़े पॉवर देती है, उस क्लॉज को इस कानून में लगाना इसे मैं एक बड़ी ऑटोक्रेटिक बात मानता हूं। मैं यह मानता हूँ कि डेमोक्रेसी में इस प्रकार की बात नहीं होनी चाहिये और ऐसे आदमी की राय पर जो कि-

[श्री मानसिंह महार]

-डेमोक्रेटिक सेट अप में फिट नहीं होता हो उसकी राय से जो क्लॉज़ बनाई गई है उस धारा को डिलीट कर देना चाहिये।

(घंटी)

आज का दिन राजस्थान के लिये बहुत महत्व का दिन है, मैं मन्त्रीजी से आशा करूंगा कि जिस प्रकार इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने जिस प्रकार बृजसुन्दरजी के खिलाफ कार्यवाही की उसी तरह मन्त्री महोदय भी इस क्लॉज़ को डिलीट कर देंगे।

श्री मुक्तिलाल मोदी—माननीय उपाध्यक्ष,

श्री उपाध्यक्ष--कोई सुझाव दें या प्रकाश डालें ऐसी कोई बात हो तो बोलना चाहिये, वरना सिवाय टाइम वेस्ट होने के और कोई परप सर्वज़ नहीं होता।

श्री मुक्तिलाल मोदी—सुझाव बता दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—अच्छी बात है।

श्री मुक्तिलाल मोदी—माननीय उपाध्यक्ष, क्लॉज ११६ के अन्दर सेलेक्ट कमेटी ने क्या मालूम क्या समझ कर क्या सोच विचार कर के ऐसी धाराएं पेश की हैं जो कि आज हम लोग कहते हैं कि जनता को सुविधाएं दें, जनता परेशान नहीं हो, जनता को नुकसान नहीं हो इस चीज के उल्टी हैं। आज, माननीय उपाध्यक्ष, इस धारा के अन्दर जिन पर ओक्ट्रोय ड्यूटी लगेगी उनको लाइसेंस बहुत जरूरी इस धारा में बताया है और इसका कारण यह है कि अगर लाइसेंस नहीं लिया तो उस आदमी को सजा भी हो और जुर्माना भी हो। माननीय उपाध्यक्ष, जब सप्लाई का जमाना था, कन्ट्रोल चलता था हिन्दुस्थान के अन्दर तो कई आदमी छोटी चीजों का लाइसेंस नहीं लेते थे तो सप्लाई के इन्स्पेक्टर उन्हें इस प्रकार परेशान करते थे, कितने ही रजिस्टर बनाने पडते थे, उसी तरह जब यहां शिड्यूल बनायेगें तो परिभाषा करेंगे कि इतने खाने होने चाहिये, इतने रजिस्टर होने चाहिये। छोटे व्यापारी गांवों में लिखे पढे नहीं हैं और कुछ भी जानते नहीं हैं, इस वक्त भी कोई मामूली आदमी उनको पकड लेता है तो उनसे ४०—५० रुपये वसूल कर लेता है। और हर आदमी से ४०, ५० रुपये वसूल करने के बाद उसका छुटकारा होता था। माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपको बताऊं कि २०० केसेज़ जयपुर के मेरे जानकारी के हैं जिनके ऊपर केस चलाया गया। हजारों रुपया सरकार का और हजारों रुपया उन लोगों का जिन पर केस चलाया गया था बरबाद हुआ। वे केसेज़ लां विभाग की तरफ से चलाये गये और सप्लाई विभाग की तरफ से चलाये गये। मैं यह कहूंगा कि ५।१० सप्लाई के इन्सपेक्टरों का धन्धा ही यही था कि वे केसेज़ चलाते रहें। उनको केसेज़ से

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

भी फुर्सत नहीं मिलती थी दूसरा दफ्तर का काम तो वे क्या करते थे। आज इसी प्रकार का लाइसेन्स देनेकी बात कही जा रही है। मैं यह कहूंगा कि इस लाइसेन्स देने की बात को माननीय मंत्री महोदय भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। यह नहीं कि मैं अकेला ही जानता हूं। आपने ओक्ट्राय ड्यूटी लगाई यह तो ठीक है। जब आप उन लोगों से म्यूनिसिपल एरिया में घुसते ही ओक्ट्राय और सेल टैक्स ले लेते हैं तो फिर लाइसेन्स की क्या जरूरत रहती है ? इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इसके अन्दर लाइसेन्स को नहीं रखा जाए। अगर आप लाइसेन्स की शर्त को रखेंगे तो आपको मैं यह कहूंगा कि आज रिक्शेवालों को आप देखेंगे कि उनके दो रुपये तो टैक्स के लगते हैं लेकिन १५ या २० रुपये उन लोगों के लग जाते हैं। वहां पर वह एक आदमी उसके लाइसेन्स लेने के लिये ८ दिन तक चक्कर लगाता रहता है। क्या उनकी बुरी हालत होती है उनको रिश्वत के १० रुपये देने पडते हैं और ७ या ८ दिन का समय लग जाता है और इससे छोटे कर्मचारियों से लेकर बडे बडे कर्मचारियों तक के रिश्वत के मामले गर्म रहते हैं। अगर आप यह चाहते हैं कि हिन्दुस्तान की जनता पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाये जावें तो मैं यह कहूंगा कि उतनी ही रिश्वतखोरी ज्यादा चलेगी। इसलिये जब तक आदमी पर से आप अंकुश दूर नहीं करेंगे तब तक वह आदमी सुधरेगा नहीं; सुधरेगा कैसे। अगर किसी आदमी को आप जो भूखा है भूखा ही भूखा रखेंगे और उसको रोटी नही देंगे तो वह हाय हाय करेगा। जब आप किसी पर अंकुश लगावेगें तो वह बेइमानी नहीं करेगा तो करेगा क्या।

माननीय उपाध्यक्ष, अगर आप दूसरे मुल्कों में जावेगें तो आपको मालूम होगा कि लाखों रुपयों की चीजें पडी रहती हैं मगर किसी प्रकार का भय नहीं रहता। यहां पर आप देखेंगे कि अगर अभी में १०रुपये भी जेब में लेकर बाजार जाता हूँ तो मुझे यह चिन्ता रहती है कि कहीं जेब नहीं काट ली जावे। यह हालत हिंदुस्तान को है। आपको हिंदुस्तान के लोगों को ऊंचा उठाना चाहिये और इस लिये उन पर इस तरह का बोझ उन पर नहीं डालना चाहिये। आज किदवई साहब मर गये और हमें मर जाना है। उन्होंने कन्ट्रोल तोडा। आज स्त्री और पुरुष सभी यही कहते हैं कि किदवई साहब एक ऐसा आदमी था जिसने कन्ट्रोल तोड कर देश में बहुत बड़ा काम कर दिया और उसने अपना नाम कर दिया। आज हमको इस तरह के अंकुश को रखने के बजाय हटाना चाहिये। आपको इस तरह की चीज पास करनी चाहिये जिससे कि लोगों में इस तरह की भावना फैले कि सरकार जनता के हित का कार्य कर रही है। जब तक पब्लिक की सुविधा के साधन सरकार पब्लिक के सामने नहीं रखेगी कि आज जो कुछ चीज होगी वह पब्लिक की भलाई के लिये होगी तब तक कुछ नहीं होगा।

माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपको बताऊं कि आज किसानों से तंबाखू का टैक्स लगा रही है। हर जगह यह झगडा आता है कि हमारे तो तमाखू का टैक्स लग रहा है। मैं यह बताऊं कि कोई भी व्यक्ति जायगा वह किसान से अगर उसने १० बीघा जमीन में खेती की है तो जरूर

Page No 95

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

उससे ४० या ५० रु. खोंस लाएगा। माननीय उपाध्यक्ष, टैक्स तो आप लगावें और वह टैक्स हमसे ही आवेगा यह बात तो बिल्कुल ठीक है। मगर मैं यह कहूंगा कि आप आदमी को एक नीची श्रेणी में मत लें उसको हमेशा ऊंचा उटाने की कोशिश करें। जब तक आदमी ऊंचा नहीं उठेगा तब तक सरकार और पब्लिक में आपस में संपर्क की भावना पैदा नहीं होगी। आप लगा सकते हैं। देख लीजिये इसका क्या नतीजा होता है। आपने देखा है पहले सप्लाई के समय में क्या हुआ था। आज कन्ट्रोल नहीं है तो सब चीजें मिलती हैं और आप कन्ट्रोल कर दीजिये लोग बार-गोड़ा मचावेंगे।

इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि आप टैक्स लगा रहे हैं वह तो ठीक है लेकिन इसमें से जुर्माना और लाइसेन्स का क्लॉज हटा दीजिये और अगर आप यह चाहते हैं कि लाइसेन्स रखा ही जावे तो जिस आदमी की २० या ३० हजार रुपये माहवार की आमदनी हो उसके लिए यह रहना चाहिये। अगर ५० हजार की माहवारी बचत वाले पर लाइसेन्स का बान कर दिया जावे तो कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। हैरानी तो छोटे छोटे गांव में जहां पर इस प्रकार के म्युनिसिपल लाइसेन्स होंगे वहां पर होगी। इसके अलावा म्युनिसिपेल्टी का खर्चा ज्यादा बढ़ जावेगा और ज्यादा स्टाफ रखना होगा और भ्रष्टाचार भी ज्यादा बढ़ जावेगा। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष, अगर आप यह चाहते हैं कि लाइसेन्स हो तो ५० हजार रुपये की एक माह की इन्कम हो उस पर होना चाहिये नहीं तो कतई नहीं होना चाहिये। इसके लिए मैं यह कहूँगा कि श्री भोलानाथजी भी ने एक कमेटी बनाई थी, उसका मैं भी एक सदस्य था, आज भोलानाथ जी मिनिस्टर नहीं रहे मगर उस कमेटी का कुछ नहीं हुआ। लाइसेन्स की बात लोगों को मालूम पड़ेगी तो उनको बहुत तकलीफ होगी और फिर सरकार को इसके लिए अमेन्डमेंट लाने पड़ेंगे।

इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि लाइसेन्स की जो चीज है उसको हटा दी जावे। ऐसा नहीं होना चाहिये कि जिससे किसी पब्लिक को और जनता को असुविधा हो॥ भूस्वामियों का आंदोलन जो अभी हो रहा है उसके लिए मैंने पहले चार साल पहले कहा था...

(घंटी)

एक मिनिट सुनें तो सही, कैसी बात बता रहा हूं। मगर वास्तव में उस समय मेरी राय को माना नहीं और अगर मान लेते, अगर मैंने जो सुझाव दिये थे उस वक्त मान लेते और जागीर एक्ट में उन बातों को रख देते तो यह नौबत नहीं आती।

(घंटी)

इसलिए मेरा यह निवेदन है कि मैंने जो सुझाव दिया है उसको पास किया जाए।

श्री भैरूंसिंह—क्या आप ११६ को हटा रहे हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें नया लाइसेन्स देने को कोई बात नहीं है। जिस कानून के अनुसार लाइसेन्स की जरूरत है उसको दिया जावेगा, जैसे किसी चीज के लिए लाइसेन्स की जरूरत है उसको लाइसेन्स दिया जाएगा। नये लाइसेन्स देने की कोई बात इसमें नहीं है।

जो लोग बिना ऑक्ट्रोय दिये बेचते हैं उनके लिये है। मान लीजिये जो तमाखू का व्यापार करते हैं और बिना ओक्ट्रोय दिये तमाखू लिये हुए हैं तो उस पर तीन टाइम जुर्माना हो सकता है, लाइसेन्स देने की बात कतई नहीं है।

श्री भैरूं सिंह—इससे क्लिअर होता नहीं है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—"any person selling or keeping for sale without a licence any article liable to octroi for the sale of which a licence is required to be obtained."

वह तो ऑलरेडी प्रेस्क्राइब्ड है, अदरवाइज़ इसमें नहीं, इस क्लॉज़के अनुसार लाइसेन्स लेना नहीं पडेगा।

श्री श्रीदास गोयल—अगर यहां पर एनी अदर लॉ कर देते हैं तो क्लीअर हो जाता है।

श्री भैरूं सिंह—इससे भी नहीं होगा। चेयरमेन महोदय, अगर किसी को तमाखू के क्रय-विक्रय का लाइसेन्स लेना है तो वह सेन्ट्रल एक्साइज़ एक्ट की मातहत लाइसेन्स ले लेता है। अगर बिना ओक्ट्रोय दिये हुए अगर कोई बेच रहा है तो उसके खिलाफ सेन्ट्रल एक्साइज़ एक्ट के मातहत कार्यवाही हो सकती है। ओक्ट्रोय देने के बाद भी अगर कोई लाता है तो और ओक्ट्रोय की चोरी करने का जुर्म करता है वह आदमी आकर इन्नोसेन्ट वे में कोई चीज खरीद लेता है उसके ऊपर पाबन्दी रहे कि अमुक चीज का लाइसेन्स था या नहीं, इन्नोसेन्ट वे में अगर गलती होजाय तो उसके लिये जुर्माना होना अच्छी चीज नहीं है। इस प्रकार से जो रेस्ट्रिक्टेड चीजें हैं जिनके लिये लाइसेन्स लेने चाहिये उसके लिये जो इस क्लॉज़ की मन्शा है उसकी कोई जरूरत नहीं। इस क्लॉज़ के अनुसार जिन चीजों के लिये ओक्ट्रोय ली जाती है उन चीजों के क्रय विक्रय के लिये लाइसेन्स लेना पडेगा। आगे इस एक्ट में ऐसा कोई प्रोवीज़न नहीं आगे इस प्रकार की व्यवस्था नहीं रखी है अगर आगे हम किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं करते हैं तो इस धारा में जो शब्द हैं उससे स्पष्ट रूप से यह संकेत है जिन चीजों पर क्रय विक्रय के लिये ओक्ट्रोय ड्यूटी ली जा सकती है उन चीजों के लिये क्रय विक्रय का लाइसेन्स लेना पडेगा। ये सब सेन्ट्रल एक्ट के तहत होंगे, इसमें कोई चीज बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। इससे स्पष्ट यह आभास होता है कि सेन्ट्रल एक्साइज़ एक्ट के मातहत दूसरी किसी ओथरीटी से लाइसेन्स लेना पडेगा, यह बहुत रिडन्डेन्ट है। दूसरे कानून में प्रोवीज़न है जो इस प्रकार की चीजों का क्रय विक्रय करते हैं उनको लाइसेन्स लेना पड़ता है, पहले से इस प्रकार की व्यवस्था

[श्री भैंरू सिंह]

कर रखी है। इसलिये ये सब चीजें म्युनिसिपल एक्ट में रखने की आवश्यकता नहीं। जबरदस्ती इनसे एम्बीग्वीटी पैदा होगी। कोम्पलीकेशन्स होंगे, इसका विशेष कोई उपयोग नहीं होगा, इसलिये मेरा यह अनुरोध है कि इस क्लॉज को डिलीट कर दिया जाय तो अच्छा हो।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इस क्लॉज को डेफर कर दिया जाय क्यों कि ऐसा मालूम होता है कि इसमें कुछ एम्बीग्विटी है।

श्री श्रीदास गोयल—उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसमें एक हल्का सा सुझाव रखना चाहता हूं। यह तो उसूल ठीक नहीं रहेगा, जिस कानून में लाइसेन्स आदि का प्रोवीजन रखा गया हो उस कानून में ···

श्री उपाध्यक्ष—यह आपसी बात चीत में बता दीजियेगा।

श्री श्रीदास गोयल—उपाध्यक्ष महोदय, फिर भी मैं कुछ अर्ज कर देना आवश्यक समझता हूं ताकि आपसी बातचीत के समय यह बात भी ध्यान में रहे, मेरे कहने का मतलब यह था कि जुर्म जो कुछ होता है उसमें क्रिमीनल प्रोसीजर कोड के अनुसार डील किय होता है। यदि किसी को इस चीज के लिये चालान भी किया जाता है तो उसको नीअरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जायगा, उसको जो कुछ जुर्माना या सजा होगी वह सी० पी० सी के तहत होगी जहां पर नोन बेलेबल और बेलेबल का भी प्रश्न होगा·········

श्री उपाध्यक्ष—ये सब बातें आप उस समय बता दीजियेगा। अभी तो इस क्लॉज़ को डेफर किया जाता है। क्या सदन की अनुमति है कि इस क्लॉज़ को मुल्तवी रखा जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज ११६ को मुल्तवी रखा जाता है।

(विराम)

क्लॉज़ ११७

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ११७ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

[श्री उपाध्यक्ष]

क्लॉज़ ११७ विधेयक का अंग बना ।

(विराम)

क्लॉज ११८, श्री सोहनलाल भटनागर ।

श्री सोहनलाल भटनागर—Mr. Deputy Speaker, Sir I don''t want to move.

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज ११८ को स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

क्लॉज ११८ विधेयक का अंग बना ।

(विराम)

क्लॉज़ेज़ ११९ व १२०

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ेज़ ११९ और १२० स्वीकार किये जांय ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ेज़ ११९ व १२० विधेयक के अंग बने ।

(विराम)

क्लॉज १२१, श्री सोहनलाल भटनागर ।

श्री सोहनलाल भटनागर—I do not want to move this also.

श्री भैंरूसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ संख्या १२१ के सब क्लॉज (४) में यह है :

"If no such tender is made, the property may be sold and the proceedings or such sale shall be applied in payment of such octroi or tall and the expenses incidental to the seizure, detention and sale."

[श्री भैरोंसिंह]

इसमें जहां बेचने की व्यवस्था की गई वहां 'सोल्ड बाई पब्लिक ओक्शन' यह बढ़ा दिया जाय इससे इसका अर्थ स्पष्ट हो जायगा। जो अधिकार हम इस क्लॉज में बेचने का देते हैं उससे यह होगा कि वह चाहेगा जिसे उसको बेच देगा। ऐसी कोई चीज आगई जिसको टैक्स दिये बिना छुड़ाई नहीं जा सकती और वह चीज म्युनिसिपेलिटी के कब्जे में है और वे उसको बेच सकते हैं, जहां हमने बेचने का अधिकार दिया है वहां यह आवश्यक है कि अगर इस प्रकार की कोई चीज बेची जायगी उसके लिये नियम बनायें। नियम वगैरा अगर नहीं बनते हैं तो उसका सार्वजनिक नीलाम किया जाय। आशा है माननीय मंत्री इसे जरूर मन्जूर करेंगे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—"may be sold by public auction." मुझे कोई आपत्ति नहीं।

श्री उपाध्यक्ष—(श्री भैरूंसिंह से) आप बाद में लिखित में अमेन्डमेन्ट दे दीजिये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री भैरूंसिंह जी ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज १२१ में जो संशोधन श्री भैरूंसिंह ने रखा है वह स्वीकृत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज १२१, संशोधित रूप में, स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज १२१ संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ १२२ से १२७

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड १२२ से १२७ तक स्वीकार किये जायं।

(स्वीकृत)

[श्री उपाध्यक्ष]

खण्ड १२२ से १२७ विधेयक के अंग बने।

(विराम)

क्लॉज १२८

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज १२८ स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज १२८ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज १२९

श्री भैरूंसिंह (१६)— माननीय उपाध्यक्ष, क्लॉज १२९ में यह है:—

"The Board, executive officer, assessor or any other officer authorised by the Board in this behelf may be written communication call upon."

इसमें मेरी समझ में "may be" के बजाय "may by" है।

इसमें एक तो मेरा संशोधन है "be" के स्थान पर "by" कर दिया जवे।

दूसरा है इसके तीन पार्टस हैं (ए) (बी) और (सी) और आगे सब क्लॉज (२) में यह व्यवस्था की है कि यदि कोई आदमी जिसको ऐसी इन्फोर्मेशन देने के लिये बाध्य किया गया है जानबूझकर गलत इन्फोर्मेशन देता है तो इसके ऊपर जुर्माना किया जा सकता है जो ज्यादा से ज्यादा पांच सो रुपये तक हो।

हमने इस क्लॉज के अनुसार यह व्यवस्था कि है की बोर्ड या एग्जीक्यूटिव अफसर या असेसर या अन्य कोई अधिकारी जिसको बोर्ड ने इस बारे में अधिकृत किया हो, किसी भी लिखित सूचना के आधार पर किसी आदमी से तीन बातों की सूचना ले सकता है। एक इस बात की कि क्या वह आदमी किसी प्रकार का टैक्स देने के लिये जिम्मेदार है या नहीं, और यदि इस प्रकार का टैक्स लागू हो सकता है तो कितना लागू हो सकता है और यदि किसी मकान के ऊपर कोई टैक्स है

[श्री भैरूं सिंह]

तो वह मकान की लेटिंग वेल्यू कितनी है और इसमें उसके ओनर का नाम व पता क्या है ? इन बातों के लिये यदि वह कोई गलत सूचना दे तो उसके ऊपर पांच सौ रुपयों तक का जुर्माना किया जा सकता है ।

माननीय उपाध्यक्ष, जहां तक बोर्ड का या बोर्ड के जिन व्यक्तियों को हमने ऐसा अधिकार दिया उनको हम ऐसा कोई अधिकार दें कि वे इन अमुक बातों के लिये किसी व्यक्ति को बुलाकर उससे जानकारी प्राप्त करें । ये बातें ठीक हो सकती हैं । पर जानकारी प्राप्त करने के साथ साथ हम उन पर कड़ा जुरमाना इम्पोज़ करने की व्यवस्था करें वह व्यवस्था इस सारी मूल भावना के प्रतिकूल सी पड़ती है । किस बात के लिये जुरमाना ? उसने यह नहीं बताया कि मेरे पर टैक्स लागू हो सकता है या नहीं । यदि हो सकता है तो कितना । यदि किसी मकान पर टैक्स लागू हो सकता है तो उसकी लेटिंग वेल्यू कितनी ? इन तीन चीजों के लिए गलत सूचना उसके अन्दर उस अधिकारी के पास चली जावे तो जुरमाना असेसर बोर्ड भी कर सकता है या किसी अधिकारी को अधिकार मिला है वह भी कर सकता है । मैं यह निवेदन करूंगा माननीय उपाध्यक्ष, कि हमें बोर्ड को पांच सौ रुपये तक का जुरमाना करने का अधिकार नहीं देना चाहिये और इसलिए कि जिन तीन बातों को हम ओब्लीगटरी रूप में नहीं लेंगे पर लोग करना चाहते हैं वे तीन चीज बिलकुल मामूली सी हैं । उनका विशेष प्रकार का कोई महत्व नहीं । कोई भी आदमी आज यह कह सकता है कि मेरे ऊपर म्यूनिसिपल का कोई टैक्स लागू नहीं हो सकता । किसी से आशा नहीं की जा सकती कि जो जो नियम बना रक्खे हैं जो जो बाइ लॉज पास कर रक्खे हैं या जो जो नियमावली लागू कर रक्खी हैं वे उन सबसे परचित हों । कानून के द्वारा यह मानकर चलते हैं कि उसकी मंशा यह होगी कि सब उससे परचित, हों, पर इन प्रेक्टिस देखें तो कानून कई लागू होते हैं, रोज असेम्बली से पास होते हैं, गजट में रोज शाया किये जाते हैं, अखबारों में भी उनके उद्धरण आ जाते हैं पर जनता परिचित नहीं । उसको पता नहीं कि कौनसा कानून बन गया, और कौनसा लागू किया गया और उसके इम्प्लीकेशन्स क्या हैं, सजा क्या है । ऐसी सूरत में कोई वह अगर म्यूनिसिपल बोर्ड में स्टेटमेंट दे कि उसके ऊपर म्यूनिसिपल का टैक्स लागू हो सकता है या नहीं और वह परिचित नहीं कि म्यूनिसिपल का कौनसा टैक्स लागू हो सकता है । वह कहे कि मुझ पर कोई टैक्स लागू नहीं है तब तो म्यूनिसिपल यह साबित कर दे कि जान-बूझकर झूंट बोला था और इस पर जुरमाना कर दे ।

दूसरी सूरत यह आती है कि हां भर दी पर कितना लागू होना चाहिये यह भी पूछना पड़ेगा । अब यदि टैक्स लगाने में अन्दाज से गलत बता दे और जिसको कि म्यूनिसिपल बोर्ड या उसके अधिकारी ऐसा समझ लें कि यह टैक्स से बचने की खातिर जानबूझ कर झूंठ बोलता है, कम संख्या बताई है और उसके कारण से म्यूनिसिपल बोर्ड या उसके अधिकारी ऐसा सोचले कि झूंठ बोला है तो उस पर पांच सौ रुपयों का जुरमाना इम्पोज़ किया जा सकता है । अब मकान की सही

[श्री भैरोंसिंह]

जानकारी एक आदमी से प्राप्त की जावे कि उसको लैटिंग वेल्यू कितनी रही और वह जानबूझ कर गलती कतई न करे पर किसी कारण से गलत होगई और गलती होती है माननीय उपाध्यक्ष, रेन्ट कन्ट्रोल आदि कारणों से। यदि ज्यादा किराया बताते हैं तो रेन्ट कन्ट्रोल के मातहत उस ओनर के खिलाफ टीनेन्ट दावा करता है और किराया कम करने की चेष्टा करता है। अब अगर कम बताया जाता है तो उसका उपाय दूसरा होगा म्यूनिसिपल बोर्ड वाले कहेंगे कि किराया तो इतना वसूल करते हो और इसलिए तुम्हें बुलाया है कि जानबूझ कर टैक्स कम बताना चाहते हो, इसलिये जुर्माना किया जाता है। अब रेन्ट कन्ट्रोल के डर के कारण सही स्थिति कह नहीं सकता वह। ऐसी स्थिति में स्वभाव से मान लेना चाहिये कि लोग जानबूझकर इस प्रकार की गलती करने की चेष्टा नहीं करेंगे पर अक्सर होगी। वैसी सूरत में हम उनकी इन्नोसेन्सी का फायदा उठाकर एक जुर्माना करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन न देते हुए जुर्म करवा कर झूंठ बोलने की प्रवृति को प्रोत्साहन दें, और इनकम्प्लीकेशन्स के कारण ऐसा सोच लें कि झूठ बोलता है और इस कारण जुरमाना कर दें, तो मैं समझता हूँ कि यह न्याय संगत बात नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि यदि इस बारे में जुरमाना करने की व्यवस्था करनी है तो हम इसे पांच सौ रुपयों तक का रक्खें या नहीं। मैं मानता हूँ कि पंचायत को अधिकार दिया था। मैं यह भी मानता हूँ कि जिन पंचायतों को जूडिशियल और एग्ज़ीक्यूटिव पावर दिये, और भी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के पॉवर दिये तो आज हम उसके लिए पछता रहे हैं। उन सारों का दुरुपयोग हो रहा है। कोई मुकदमा उनके दायरे में नहीं आता तो उसका भी फैसला कर देते हैं, तो वैसी सूरत में यह भी सोचना पडेगा कि इनको भी हम पांच सौ रुपयों तक का जुरमाना करने का अधिकार दें या न दें। कहीं यहां भी इसका दुरुपयोग तो नहीं होने लगेगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—म्यु० को नहीं है यह अधिकार। Conviction will be by a Magistrate.

श्री भैंरूंसिंह—देखें आप: "The Board, the Exeeutive Officer, the assessor or any other officer authorised by the Bard in this behalf may by written communication call upon an inhabitant of the municipality to furnish such information as may be necessary in order to ascertain"... "(2) If an inhabitant so called upon to furnish information omits to furnish it or furnishes information which is untrue he shall be liable upon conviction to a fine which may extend to five hundred rupees," यहां इसमें है नहीं, इसके लिये संकेत।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—सिवाय मजिस्ट्रेट के और कोई नहीं कर सकता।

श्री भैंरूंसिंह—यदि जुर्माने का मतलब है तो "conviction to a fine" इसमें कोई संकेत नहीं है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—सारे एक्ट में ही ऐसा है। मैं तो समझता हूं कि इसका यह मतलब नहीं हो सकता। और भी क्लॉजेज़ में है; किसी में हो तो बता दें।

श्री भैंरू सिंह—मैं आपको बता दूं, मजिस्ट्रेट ही यह जुर्माना कर सकता है; यह इसमें स्पष्ट नहीं है। फिर पांच सौ की सीमा बहुत ज्यादा है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—आप कहें तो सौ रुपया कर दें।

श्री भैंरु सिंह—१०० रुपया कर दें तो कोई ऐतराज नहीं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—सब क्लॉज़ (२) मे "५००" के बजाय "१००" मैं मन्जूर कर लेता हूं।

श्री भैंरु सिंह—मैं यह संशोधन प्रस्तुत करता हूँ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(श्री भैंरू सिंह से) आप मूव कर दें।

श्री भैंरु सिंह—मैं यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि क्लॉज़ १२९ के सब क्लॉज (२) में शब्द "five, के स्थान पर शब्द 'one' सब्स्टीट्यूट कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १२९ के सब क्लॉज़ (२) पर जो संशोधन श्री भैंरू सिंहजी ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १२९, संशोधित रूप में, स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १२९, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉजेज़ १३०, १३१, १३२, १३३, १३४, १३५, १३६, १३७, १३८, १३९, १४०, १४१, १४२ और १४३।

श्री भैंरूं सिंह—१३६ तक ले लीजिये, १३७ पर कुछ कहना है।

श्री उपाध्यक्ष—१३६ तक के क्लॉज स्वीकार किये जांय।

श्री हिम्मतसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, बगैर कोरम के वे स्वीकार नहीं हो सकते।

श्री नाथूराम—कोरम बराबर है।

श्री हिम्मतसिंह—वे अब आ रहे हैं। बराबर तो नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा—वह पूरा हो गया।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड १३० से १३६ स्वीकार किये जांय।

(स्वीकृत)

खण्ड १३० को १३६ विधेयक के अंग बने।

(विराम)

क्लॉज १३७

श्री भैरोंसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ १३७ के द्वारा तो कोई प्रोपर्टी किसी टैक्स के पे नहीं करने की सूरत में जब्त की गई है और वह प्रोपर्टी जल्दी ही नष्ट होने वाली सी हो तो उस प्रोपर्टी को जिस प्रापर्टी को इस प्रकार जब्त किया हो वह अधिकारी "the Chairman or officer by whom the warrant was signed shall at once give notice to the person in whose possession the property was, when distrained to the effect that it will be sold at once and shall sell it accordingly unless the amount named in the warrant be forthwith paid;" उस आदमी को सूचना देगा जिस आदमी की वह प्रोपर्टी है। सूचना इस बात की दी जायगी कि जो चीज़ जल्दी से जल्दी तलब होने वाली है और यदि जो कुछ अभी तक के टैक्स म्युनिसिपल बोर्ड का बाकी है वह चुकाया नहीं जाता तो उन चीजों को जल्दी से जल्दी बेचा जायगा। मेरा ऐसा निवेदन है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि हमें उस व्यक्ति को इस जगह भी एक अवसर देना चाहिए। वह अवसर इस बात का नहीं कि वह माल को वापिस ले जाय, यह अवसर इस बात का नहीं, कि टैक्स दे या नहीं, उसके बारे में फिर सोच ले, लेकिन इस बात का कि यदि वह पेमेन्ट नहीं कर सकता है, इन केश चीज नहीं दे सकता है तो उस आदमी को इस बात का मौका दें कि जो कुछ टैक्स है उस टैक्स के बराबर या सरकार चाहे तो ज्यादा वह उतनी सिक्योरिटी उस अधिकारी को देदे तो सिक्योरिटी के एवज में जो चीज़ जल्दी से जल्दी तलब होने वाली हैं उन चीजों को जल्दी से जल्दी नीलाम नहीं करे। माननीय उपाध्यक्ष, यह एक बड़ा सहूलियत का सुझाव है। अक्सर यह देखने में आता है कि टैक्स गरीब लोग समय पर

[श्री भैंरू सिंह]

अदा नहीं कर सकते हैं। जितने मालदार आदमी हैं या जिनके पास काफी आमदनी के साधन हैं उनके ऊपर टैक्स इम्पोज़ किया जाता है तो कोई भूल से ही भले रह जाय वर्ना हमेशा जिस तारीख को टेक्स जमा कराने को होता है उस तारीख को टैक्स जमा करा देगें। लेकिन यह दिक्कत आती है गरीब लोगों के सामने, जिन गरीब लोगों के जीवन निर्वाह के साधन बहुत ही सिमिति होते हैं। उन सीमित साधन वालों पर टैक्स इम्पोज़ किया जायगा। उनसे वसूल करने की कार्यवाही होती हैं। उनके सामने कोई चारा नहीं रहता है सिवाय इसके कि जो कुछ माल है उस माल को जब्त कर लें। माल जब्त होने में इस बात की कोशिश करके कि किसी प्रकार से पैसा इकट्ठा करके माल को छुड़ा लें और जो कुछ टैक्स इम्पोज़ किया है वह म्युनिसिपल बोर्ड में जमा करा दे, लेकिन बदकिस्मती से फिर साधन नहीं मिलते हैं, जिन साधनों के कारण वह रुपया जमा करा दे वैसीस्रत में, माननीय उपाध्यक्ष, हम लोग उन गरीबों के साथ न्याय करने के लिए एक दफा और छूट देनी चाहिए। वह छूट इस प्रकार की हो कि माल नीलाम करने की हम चेष्टा कर रहे हैं और नीलाम करने के साथ साथ उतने पैसों की यदि वह व्यक्ति किसी प्रकार से जमानत दिलवा दे कि अमुक तारीख तक जो कुछ टैक्स है वह जमा करा दूंगा तो जमानत लेकर जो कुछ माल नीलाम करने वाले हैं उसे नीलाम से मुक्त कर दें और उस व्यक्ति को दे दें तो इस तरह से हम उस व्यक्ति की सहायता करेगें। वह सहायता इस प्रकार से होगी कि वह उस माल को जो कि सरकार या म्युनिसिपल बोर्ड जल्दी में नीलाम करेगा और उनके नीलाम करने से कम आमदनी होगी, कम आमदनी के एवज में कोई जिम्मेदार की जमानत दिलवाकर सामान को मुक्त करायेगा और अपने तरीके से बेचेगा तो बेचने से जो कुछ नीलाम से ज्यादा लाभ होगा तो उस लाभ से अपने जीवन निर्वाह के साधनों को वह बनाये रहेगा। साधन नहीं बने रहेगें तो भी किसी प्रकार का फायदा अवश्य होगा। मैं निवेदन करूंगा कि इसको आम धारा सा समझकर नहीं करें। इस धारा का ताल्लुक केवल गरीबों से होगा या उन लोगों से होगा जो मुकदमा लड़ने के आदी हैं। जो मुकदमा करेंगे और टैक्स जो इम्पोज़ किया हुआ है वह जमा नहीं करायेगें तो भी उनका माल नीलाम नहीं होगा। वह कोर्ट्स में जायेंगे और स्टे आर्डर्स ले आयेगें। वे स्टे आर्डर ला सकते हैं। मुकद्दमा लड़ सकते हैं उनका माल तो कभी भी निश्चित् रूप से नीलाम नहीं होगा। टैक्स अदा नहीं करने पर माल नीलाम होगा गरीबों का। अगर गरीबों का जब माल नीलाम होता है तो हमें सहनशीलता और सद्भावना से प्रयत्न करना चाहिए और एक दफा, दो दफा या तीन दफा उनको अवसर दें। उस अवसर के अन्दर अन्दर किसी न किसी प्रकार से पैसा बटोर करके टेक्स को जमा करा दें।

माननीय उपाध्यक्ष, शहरों के अन्दर मैने देखा है कि टेक्सेज़ समय पर अदा नहीं करने वाले ऐसे छोटे छोटे आदमी हैं, जैसे कुम्हार गधे पर मिट्टी लाता है, ऐसे माली रहते हैं वह तरकारी बेचते हैं और अपने जीवन निर्वाह का साधन जुटाते हैं। बदकिस्मती से यदि किसी माली के पास पैसा नही है और म्युनिसिपल आफिसर ने उसका जितना माल है वह सारा जब्त कर लिया और बब्त करने के बाद में नोटिस दिया कि रुपया जमा कराओ और अगर नहीं कराते हो तो माल नीलाम

[श्री भैंरूसिह]

किया जायगा , उस समय यदि किसी का माल नीलाम नहीं करें और वह माल जमानत लेकर उसे दे दें कि वह अपने तरीके से बेचकर ज्यादे से ज्यादा अपना पैसा बांटे तो यह चीज़ उसके हित में होगी । अगर आप नहीं देगें तो उसको कम पैसा मिलेगा, उस गरीब आदमी को हानि होगी । तो उस सूरत में उस समय तक अगर वह गरीब आदमी किसी प्रकार से जमानत पेश कर दे और जमानत के बाद में यदि वह किसी कारण से जमा नहीं करायेगा तो जो आदमी उसकी जमानत देता है वह उस रकम को जमा करायेगा । वैसी सूरत में रकम तो वसूल हो जायगी । जो चीज़ हम करना चाहते हैं कि म्युनिसिपेलिटी का टेक्स ज्यादा बकाया नहीं रहेगा और गरीबों के साथ में रहम का तरीका भी रहेगा कि वे अपने टेक्स को समय पर जमा कराते रहें ।

इसलिए मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस क्लॉज में जहां फोर्थ विथ पेड है उसके आगे "or a sacurity epual to that amount is produceb" इन शब्दों को यदि जोड़ दें तो गरीबों के साथ में एक प्रकार से न्याय होगा और म्युनिसिपल टेक्स की वसूली भी हो जायगी, जो कुछ कानून बनाकर टेक्स वसूल करने की मन्शा है वह मन्शा भी पूरी हो जायगी । यदि इस संबंध में ऐसा संशोधन मन्जूर कर लिया जाता है तो धारा १३७ को पास करने में कोई हर्ज नहीं है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—एमेंडमेंट क्या है ?

श्री भैंरूसिंह—अमेंडमेंट यह है कि "Unless the amount named in the warrant be forthwith paid."इसके आगे 'Or a security equal to that amount is produced.' यह और जोड़ दिया जाय ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मन्जूर है । ठीक है, साहब, मान लिया आप लिखकर देदें ।

श्री भैंरूसिंह—मैं दे देता हूँ ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है क्लॉज १३७ में जो संशोधन श्री भैंरूसिंहजी ने प्रस्तुत किया है वह स्वीकार किया जाय ।'

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

(विराम)

[श्री उपाध्यक्ष]

प्रश्न यह है कि खण्ड १३७ को, संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १३७, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बना।

(विराम)

प्रश्न यह है क्लॉज १३८, १३९...

श्री भैंरूसिंह—१३९ नहीं साहब।

श्री उपाध्यक्ष—विरोध है।

(विराम)

खाली विरोध है।

श्री भैंरूसिंह—खाली विरोध का सवाल नहीं है, सुझाव भी हैं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज १३८ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज १३८ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज १३९

श्री भैंरूसिंह (दांतारामगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ १३९ का मैं बिल्कुल विरोध करता हूं। उसमें मेरा सुझाव भी है और वह यह है कि इस क्लॉज़ का बिल्कुल लोप कर दिया जाय। इसका कारण यह है माननीय उपाध्यक्ष कि जैसा कि इसमें स्वयं लिखा है :

"If the Board shall at any time have reason to believe"

अगर किसी बोर्ड को विश्वास हो जाय "That any person, from whom any sum recoverable under the provisions of this chapter is due or is about to become due.

[श्रीभैरूसिंह]

is about to remove himself from the municipal area, the Board may cause a bil. for the sum due or about to become due to be presented to such person and demand immediate payment there of."

यह एक बड़ा अजीब सा क्लॉज है, माननीय उपाध्यक्ष। यदि बोर्ड को ऐसा पता लग जाय कि किसी व्यक्ति में उसकी रकम बाकी है, बाकी नहीं भी है और होने वाली भी है और वह व्यक्ति भागने वाला है तो बोर्ड दोनों बातों को लेकर जो रकम बाकी है उसको और आगे चल कर बाकी होगी उसको वह नोटिस देगा कि तुरन्त उस रकम को जमा कराये। यह सब क्लाज़ (१) की व्यवस्था है और सब क्लाज़ (२) में है

"If on presentation of such biil, the said person does not forth wiht pay the sum due orabout to become due by him, the amount shall be leviabie by distress and saile of the movable property of the defaulter in the manner herein-pefore prescribed, except that it shall not be necessary to serve on the defaulter any notice of demand and the warrant for distress snd sale may be issued and executed without any delay."

यह म्युनिसिपेलिटी को हम खुला अधिकार दे रहे हैं किसी की भी प्रोपर्टी को जब्त करने का, किसी की प्रोपर्टी को निलाम करने का और बेचने का और किस आड़ में दे रहे हैं? म्युनिसिपेलिटी के बिल की आड में। म्युनिसिपेलिटी का बिल पास होगा। एक आदमी में २०रू म्युनिसिपेलिटी के बाकी हैं और ४०) रुपया महीने के अन्त में हो जावेंगे और यह सूचना मिल रही है कि फलां आदमी आसाम जाने वाला है या जा रहा है। म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमेन ने कह दिया कि फलां आदमी आसाम जा रहा है, वह जा रहा है या नहीं जा रहा है, यह दूसरा प्रश्न है। वह जा रहा है इसको सूचना के लिए जाने के सम्बन्ध में गवाही करवाई जायगी और पंडित को लेकर कहेंगे कि मुहूर्त निकला है। इस तरह से म्युनिसिपल बोर्ड में यह शहादत होगी कि वह आसाम जा रहा है। चेयरमेन बोर्ड को उसके जाने का फायदा उठाना है। वह नोटिसे इश्यू करेगा कि फलां आदमी में ६०) बाकी हैं वह फौरन जमा कराये, नोटिस में इस बात की कोई व्यवस्था नहीं है कि कब तक जमा कराये, इसमें यह लिखा है कि विद्आउट एनी डिले। इससे तो यह मतलब है कि नोटिस जिस दिन इश्यू होता है उसी दिन जमा कराये। दो दिन की छूट देनी है तो दे सकते हैं, दूसरी तरह से इसका उपयोग करना चाहें तो चेयरमेन कर सकता है। लेकिन नोटिस इश्यू हो गया है, पैसा देना होगा, लाजमी तौर पर उस आदमी को पैसा देना होगा, पैसा नहीं देता है तो बिना वारन्ट के, बिना किसी कार्यवाही के माल को जब्त किया जायगा, प्रोपर्टी को मजबूत किया जायगा और माल जब्त कर लिया है तो नोटिस दिया जायगा। हमने उसका प्रोसिजर रखा जरूर है और कुछ व्यवस्था पहले की धाराओं में इस सम्बन्ध में की है उसके अनुसार वह बेचा जायगा, नीलाम किया जायगा। लेकिन विथआउट

[श्री भैरूंसिंह]

एनी डिले, ये जो शब्द हैं इससे यह मतलब है कि चाहे जैसी कार्यवाही की जा सकती है। एक आदमी पर यह इल्जाम लगा कर कि वह भागने वाला है, जयपुर से जोधपुर जाने वाला है, आसाम जाने वाला है, और आसाम जाने से हमारी सरकार में ताकत नहीं कि आसाम से हमारी सरकार बकाया की वसूली करा ले, इसलिए लाजमी है म्युनिसिपल बोर्ड माल जब्त करेगा और उसको या तो निलाम कराये या सारा टेक्स जो बाकी है या होने वाला है उसको जमा कराये।

माननीय उपाध्यक्ष, इस कानून में यह भी व्यवस्था की है, जहां हमें टेक्स वसूल करना है तो जिसके निस्बत टेक्स वसूल करना है, यदि वह चला गया है वहां से तो जहां वह गया है वहां की म्युनिसिपल बोर्ड, नगरपालिका से वसूल करे और आगे की अवधि के लिए नोटिस ओफ डिमांड दे और वसूली नहीं होती है तो माल को जब्त करे और जब्त करने पर भी नहीं आता है तो उसको नीलाम करे, यह व्यवस्था उस नगरपालिका के वाशिन्दे के प्रति की जा सकती है। अगर वह दूसरी नगरपालिका का वाशिन्दा है तो यह व्यवस्था की है कि दूसरी नगरपालिका के चेयरमेन को लिख कर इस आदमी से इस कानून के अन्तर्गत, इस कानून की नियमावली के अन्तर्गत नोटिस देते हैं, माल ज़ब्त करे और सारा का सारा टेक्स वसूल करे। जब इस प्रकार की व्यवस्था है तो फिर वसूली के सम्बन्ध में डर किस बात का है? कोई आदमी मान लीजिये कि भाग भी जाता है तो उसके लिए कानून बनाया है कि जिस जगह वह जाता है, वहां की नगरपालिका टेक्स वसूल करे तो फिर वहां उसकी प्रोपर्टी को जब्त करने की, उसको निलाम करने की क्या आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। सरकार कमजोर है कि वह टेक्स वसूल नहीं कर सकेगी, अपनी कमजोरी को महसूस करते हुए ही यह प्रोविजन इस प्रकार यहां भी रखा है। कोई कलकत्ता भाग गया, कलकत्ता में जाकर रहता है, वहां उसकी पाबन्दी हो सकती है, कोई जोधपुर चला गया है तो वहां इसकी पाबन्दी हो सकती है। वहां के चेयरमेन को लेकर वसूली हो सकती है। जो अधिकार रखे गये हैं, कोई आदमी छोड कर चला जाय तो वहां जहां वह रहता है वहां की नगरपालिका के जरिये वसूली हो सकती है। कोई पंचायत में जाकर रह सकता है। उसकी वसूली की व्यवस्था पी. डी. आर. के अन्तर्गत होती है। लेन्ड एरीयर्स है तो उसकी वसूली की कार्यवाही पी. डी. आर. के अन्तर्गत होती है, उसमें किसी प्रकार की वाधा नहीं है। लेकिन इस प्रकार के ओब्लीगेटरी पोवर्स देना उचित नहीं है। कोई भी चेयरमेन, किसी से किसी को अदावत भी हो सकती है, वैसी सूरत में मनगढ़न्त बातों की वजह से कि किसी भी प्रापर्टी पर कब्जा कर लेना, उसकी प्रोपर्टी को निलाम कराना, केवल इल्जाम लगा दिया जाय कि फलां आदमी भागने वाला है, उसका पता नहीं लगा है, उसमें इतना बाकी है, इतनी रकम इन्वोल्वड है, मकान है, बेल है, और जो माल असबाब है उसको जब्त करके नीलाम करे और जो कोई उससे आमदनी हुई और जो रुपया बाकी है उसके हिसाब में जमा करे। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि यह इस प्रकार धारा राजस्थान विधान सभा ही पास करेगी। इस धारा की ओर कोई प्रोविन्स नकल नहीं कर ले और अगर नकल होगी तो सारे भारतवर्ष में इसकी नकल की जा सकती है, हरब गह इस धारा का

[श्री भैरूं सिंह]

दुरुपयोग होगा । मैं माननीय मंत्रीजी से स्पष्ट शब्दों में निवेदन करूंगा कि वे इस घातक धारा को पास नहीं करायें । किसी आदमी के लिए वहम होता है कि वह भागने वाला है, थोडी देर के लिए यह भी सोच लिया जाय कि वह चला जायगा, उसके पीछे जो कुछ बकाया है, उस रकम को वसूली के लिए जो कुछ प्रोपर्टी पीछे रहती है उससे वसूली करें । हम उसके लिए ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि जो कोई आदमी प्रोपर्टी छोड़ कर जाता है, अथवा यह मान लिया जाय कि वह चला जाता है लेकिन अपनी प्रोपर्टी को दूसरों को ट्रान्सफर करके चला जाता है तो जिसको वह अपनी प्रोपर्टी ट्रान्सफर करके जाय उसमें कोई बकाया है तो उससे वसूल की जाय । अगर उसके जिम्मे की रकम वसूल होना बाकी है तो उससे वसूली कर सकते हैं । मैं भाग कर दूसरी जगह चला जाता हूँ, मेरे में नगरपालिका की रकम देनी बाकी है, जो कुछ प्रोपर्टी है उससे वसूल की जाय और यदि मकान वगैरह भी बेच कर चला जाता हूं तो कानून में यह व्यवस्था कर सकते हैं कि मकान जिसको बेचा है जब तक बेचने वाले से टेक्स वसूल नहीं हो जाता है तो उस बेचने वाली की प्रोपर्टी से जिसको बेची गई है उससे वसूल कर सकते हैं । लेकिन केवल मनगढ़न्त बातों के आधार पर किसी की प्रोपर्टी को जब्त करेंगे तो मैं स्पष्ट रूप से कहूँगा कि इस प्रकार की धारा से लाजमी तौर पर दुरुपयोग होगा । यह कहा जा सकता है कि कई प्रोविन्सेज़ में इस प्रकार की धारा है । कई प्रोविन्सेज़ में नहीं भी है । कई जगह के आंकड़े देखे । मध्यभारत में है, यू. पी. में है, बंगाल में है । पांच प्रोविन्सेज में हैं तो सात में नहीं हैं । जो खराबीया है उसकी तो नकल करते हैं और जो अच्छाइयां हैं उनको छोडते हैं ।

दूसरे प्रोविन्सेज़ को नकल करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिये । भारत में जितने प्रोविन्सेज हैं उनमें से अधिकांश में यह चीज नहीं है और यदि अधिकांश में है तो वह विधान सभाओं द्वारा बना हुआ है या अंग्रेजों की नकल करके आया है या ओर्डिनेन्स के रूप में लागू है । यह देखेंगे तो पता चलेगा कि अधिकांश कानून ऐसे हैं जिनको विधान सभाओं ने पास नहीं किया है और जिस तरह से राजस्थान टाउन म्युनिसिपेलिटीज एक्ट हमारे यहां पहले का बना हुआ लागू है उसी तरह कानून वहां पर भी चल रहे हैं या पहले की नकल कर रहे हैं । हमें नकल करने की आवश्यकता नहीं है बल्कि अच्छी चीज हो उसको अपनाने की जरूरत है । ऐसी व्यवस्था रखने से काफी नुकसान हो सकता है । दो आदमियों ने चेयरमेन को आकर कह दिया कि फलां आदमी गांव छोड कर जाना चाहता है तो वे उसको बुलाकर कहेंगे कि तुम टेक्स जमा करा दो, पीछे का भी करा दो और आगे का भी करा दो और वह आदमी कहता है कि मैं गांव छोड कर नहीं जा रहा हूँ तो भी उसको कहा जायगा कि तुम्हारा टेक्स पहले वसूल किया जायगा अगर जमा नहीं कराते हो तो मकान पर कुड़की बैठाई जायगी और वसूल किया जायगा । आपको कैसे पता चलेगा कि कौनसा आदमी टालमटोल कर रहा है जब कि भागनेवाला यह कहता है कि मैं भागनेवाला नहीं हूँ, इसका कैसे निर्णय होगा । उसको गिरफ्तार करने का अधिकार चेयरमेन को दे दिया है । मैं समझता हूँ यह बुरी बात है । म्युनिसिपल इलेक्शन में पार्टीज़ इलेक्शन लड़ती हैं । एक

[श्री मैरों सह]

पार्टी हारती है और दूसरी जीतती है। जीतने वाली पार्टी दूसरी पार्टी को परेशान करने की चेष्टा करती है। आज इतनी स्वस्थ डेमोक्रेसी हमारे यहां नहीं है कि हारने के बाद स्पोर्ट्समैन स्प्रिट से काम लें। हम हर सूरत में हारी हुई पार्टी या विरोधी पक्ष को कुचलने की चेष्टा करते हैं। इस चेष्टा को पूरा करने के लिये छोटे मोटे हथियार अपनाने की चेष्टा करते हैं। यदि इस प्रकार की धारा रहेगी तो इससे जबर्दस्त नुकसान होगा। इसलिये आवश्यक है कि इस धारा को बिल्कुल डिलीट कर दें। यदि टेक्स देने की बात आती है, सरकार को हम सहयोग देने को तैयार हैं। हम जानते हैं कि यदि म्युनिसिपेलिटी टेक्स वसूल नहीं करेगी तो उसका काम नहीं चलेगा इसलिए उसको सुविधा दें लेकिन ऐसा नहीं हो कि जिसके कारण हर व्यक्ति का गला घोट दें। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि इस धारा को विलोपित कर दिया जाय। इसका हर व्यक्ति दुरुपयोग कर सकता है, इसलिये इसको विलोप कर दिया जाय।

श्री मुक्तिलाल मोदी—उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज १३९ पर...

श्री उपाध्यक्ष—कुछ जरूरी बोलने की बात रह गई है क्या ?

श्री मुक्तिलाल मोदी—मंत्री महोदय मानलें तो बोलने की आवश्यकता नहीं है। मैं पहले भी बैठ गया था अब भी बैठ जाऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष—यही अच्छा रहेगा।

श्री मुक्तिलाल मोदी—इस क्लॉज के बारे में जो बातें अभी कही गई हैं उनको मान लेते हैं तो मैं बैठ जाऊंगा महाराज। नहीं तो कुछ बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—और कोई विशेष सुझाव देते हैं तो बताइये।

श्री मुक्तिलाल मोदी—माननीय उपाध्यक्ष जी, क्लॉज़ १३९ में यह लिखा है कि अगर किसी आदमी के अन्दर कुछ रकम म्युनिसिपेलिटी की बकाया है और वह आदमी बाहर जाने वाला है और कुछ थोड़े से दिनों की रकम उसमें बकाया है तो भी उस आदमी के ऊपर किसी भी तरह नोटिस देकर, उसकी प्रोपरटी या सामान अटेच करके किसी भी तरह से फुरन्त उससे बकाया वसूली करली जायगी। माननीय उपाध्यक्षजी, यह तो मैं भी मानता हूँ कि बकाया हर साल की वसूल होनी चाहिये और बकाया रहनी भी नहीं चाहिये। लेकिन माननीय उपाध्यक्षजी, इस हाउस में बैठने वाले कई माननीय सदस्यों में तो तकावी भी बाकी है जो कई साल से वसूल नहीं हो रही है और कई आदमी ऐसे मौजूद हैं जिनके पास लाखों रुपये हैं, फिर भी वे तकावी लेते हैं और मिनिस्टर साहब कलेक्टर को कहते हैं कि तकावी वसूल मत करो। नाजिम नोटिस देता है फिर भी तकावी वसूल नहीं की जाती।

श्री उपाध्यक्ष--यहां यह प्रसंग नहीं है।

श्री मुक्तिलाल मोदी--एक आदमी भागता हो उसमें, १००-५० रुपये बाकी हों तो भी उसकी प्रोपरटी से वसूल किये जायं लेकिन लाखों रुपये वसूल नहीं हो रहे हैं तो सौ, पचास या दो सौ, चार सौ के लिए इस बिल में प्रोविजन लाना कहां तक अच्छा है, यह देखने की बात है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि राजस्थान गवर्नमेन्ट के २ करोड़ रुपये लोगों से लेने बाकी हैं और २ करोड़ रुपये भी ऐसे बाकी हैं कि अभी राजस्थान गवर्नमेन्ट १० लाख रुपये खर्च करके भी वसूल करना चाहे तो वसूल नहीं हो सकते।

श्री उपाध्यक्ष--वसूली के तरीके पर बहस होनी चाहिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी--इस बारे में मैं कुछ कहूँगा तभी तो मिनिस्टर साहब कुछ नर्म पड़ेंगे।

आज जो वसूल करने का इस तरह का तरीका इस क्लॉज़ में लाये हैं उस क्लाज को जब तक नहीं हटायेंगे तब तक हरेक आदमी किसी की भी शिकायत कर सकता है और हर आदमी की किसी न किसी से वैमस्यता रहती है ? मैं यह मानता हूं कि माननीय मिनिस्टर साहब ने इस बात पर जरूर गौर किया होगा क्यों कि वे ओनली एक ही मिनिस्टर हैं...

(घंटी की आवाज)

श्री मुक्तिलाल मोदी--घण्टी मत बजाइये, मुझे बोलने दीजिये।

श्री हिम्मतसिंह--पर्सनल रिमार्क नहीं करने चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष--आप मुद्दे की बात कहिये।

श्री हिम्मतसिंह--आप नाम मत बताइये।

श्री मुक्तिलाल मोदी--मैं तो उनकी तारीफ कर रहा था। कोई बुराई होती है तो वे जरूर सुनते हैं, यह कह रहा था। आज हर आदमी में यह बात नहीं मिलती है ! हर आदमी में हर तरह की वैमनस्यता रहती है और एक दूसरे को कुचलने की कोशिश करता है। यदि इस क्लॉज के अंदर जो आदमी भगने वाला नहीं है और यहां रहने वाला है और उसमें १२ महीने का टेक्स किसी कारण से बाकी है और टेक्स १२ महीनों के अन्दर अन्दर चुका देता है, एक महीने में नहीं देता है तो दूसरे महीने में चुका देता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है।...

Page No 113

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ को विचार हेतु डेफर कर दिया जाय।

श्री हिम्मतसिंह—(श्री मुक्तिलाल से) आपकी सुनवाई हो गई है।

श्री मुक्तिलाल मोदी—तो ठीक है। डेफर करते हैं तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है महाराज।

श्री उपाध्यक्ष—क्या इस क्लॉज़ को मुल्तवी करने की सदन की अनुमति है।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १३९ को डेफर किया गया।

(विराम)

क्लाज़ेज़ १४० से १४३

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लाज़ेज़ १४०, १४१, १४२ और १४३ स्वीकार किये जायं।

(स्वीकृत)

क्लाज़ेज़ १४०, १४१, १४२ और १४३ विधेयक के अंग बने।

(विराम)

क्लाजेज़ १४४ और १४५

(विराम)

क्लाज़ १४४, श्री सोहनलाल।

श्री सोहनलाल—इसमें मेरा कोई खास अमेन्डमेन्ट नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लाजेज़ १४४ और १४५ स्वीकार किये जायं।

श्री मुक्तिलाल मोदी—क्लाज़ १४५ पर तो बोलेंगे महाराज।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लाज़ १४४ स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

[श्री उपाध्यक्ष]

क्लॉज़ १४४ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ १४५

श्री भैरोंसिंह(दाता रामगढ)--माननीय उपाध्यक्ष, क्लॉज़ १४५ में यह व्यवस्था की जा रही है कि राज्य सरकार यदि चाहे तो क्लॉज़ १३४ से १३७ तक किसी भी न्युनिसिपेलिटी में सस्पेन्ड कर दे

"the State Government may at any time by notification suspend the operation of sections 134 to 137 in any municipality"

किसी भी म्युनिसिपेलिटी में चाहे तो इन क्लॉज़ेज़ को सस्पेंड कर दें और फिर २५६ के सब सेक्शन (२) के मातहत रिकवरी ऑफ फाइन्स के मातहत मजिस्ट्रेट को पावर दे रखे हैं, उसके अनुसार रकम वसूल की जाय।

अभी तक जितने क्लॉज़ेज़ पास हुए हैं उनके जरिये हमने यह व्यवस्था की है कि किसी आदमी के सामने जिसके जिम्मे म्युनिसिपल बोर्ड की बकाया हो, उसको बिल पेश करे और बिल पेश करने पर भी वह रकम जमा नहीं कराये तो फिर नोटिस ऑफ डिमान्ड दे, इस पर भी रकम जमा नहीं होती है तो उसमें जो रकम बकाया है उसके बराबर की प्रोपर्टी जब्त करके, उसे नीलाम करके उतनी ही धन राशि उस बकाया के एवज में जमा कराये। १३४ से १३७ तक की यह व्यवस्था है। इस क्लॉज़ के अलावा एक अज़ीबो गरीब अधिकार दिया है क्लॉज़ १४४ को पास कर के उसमें अजीब परिस्थिति है, उसमें उल्लेख है :

'Instead of proceeding by distress and sale or in case of failure to realize thereby the whole or any part of the demand the Board may sue the person liable to pay the same in any court of competent jurisdiction"

इस क्लॉज़ का भी मुझे विरोध करना था, पर मैंने समझा कि क्लॉज़ १४५ के साथ इन दोनों बातों की ओर संकेत कर दिया जायगा और वही संकेत मेरा है। जब यह व्यवस्था कर दी कि टैक्स जमा नहीं कराता है तो......

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता--आप अमेंडमेंट मूव करें।

श्री भैरोंसिंह--मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि क्लॉज़ १४५ डिलीट कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--आप लिख कर दे दीजियेगा।

[श्री उपाध्यक्ष]

प्रश्न यह कि क्लॉज़ १४५ को विलोपित करने का संशोधन जो श्री भैरोंसिहजी ने प्रस्तुत किया है स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया। क्लॉज़ १४५ विलोपित हुआ।

(विराम)

क्लॉज़ेज़ १४६, १४७, १४८, १४६, १५०, १५१, १५२, १५३, १५४ १५५ और १५६ स्वीकार किये जायं....

श्री मुक्ति लाल मोदी—एक एक लिये जायं साहब।

श्री भैरोंसिंह—कई गलतीयां रह गई हैं।

श्री उपाध्यक्ष—लैंग्वेजकी? वह तो ठीक कर ली जायंगी।

श्री भैरोंसिंह—लैंग्वेजकी और वैसी भी।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ेज़ १४६ से १५६ तक स्वीकार किये जांय।

श्री भैरोंसिंह—क्लॉज़ १५४ का विरोध करना है साहब।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है क्लॉज़ १५४ को छोड कर बाकी के सब क्लॉज़ेज़ स्वीकार किये जावें।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ेज़ १४६ से १५३ विधेयक के अंग बने

(विराम)

क्लॉज़ १५४

श्री भैंरूसिंह—इस क्लॉज़ को डिलीट करने के बारे में बोलना चाहता हूं। आप देख लें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह तो इन्नोसेंट हैं।

श्री भैंरूसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, क्लॉज़ १५४ के द्वारा हम म्युनिसिपल बोर्ड्स को यह अधिकार दे रहे हैं कि वह म्युनिसिपल बोर्ड ऐसी भी आज्ञा जारी कर सकता है जिसके द्वारा किसी भी मकान का एक्सटर्नल हिस्सा, न दीवाल, न घास का, न लकड़ी का, न कपड़े का, न कैनवेस

[श्री भैरोंसिंह]

का, न पत्तों का, न चटाई का बनाएं और न किसी ऐसे सामान का बनाएं जिसको आग लग सकतीं है :

"except with the wrirlent consent of the board,"

यह आज्ञा है कि यदि बोर्ड इस प्रकार की इजाजत दे दे तो वह बनाले अब इसमें प्रश्न यह आता है कि उस आदमी को जिसे उस प्रकार की इजाजत लेना होगा उसे बोर्ड में आना होगा और दरख्वास्त देनी पड़ेगी कि मुझे फलां जगह इस प्रकार का एक कच्चा मकान, चटाई का, घास-फूस का मकान, इस प्रकार का मकान जिसके अन्दर कम खर्चा लगा कर में रह सकूं बनाने की इजाजत दी जाय।

कहने को सुन्दर शब्द हैं :

"except with the permission of the Board"

बोर्ड चाहे तो इजाजत दे दे, नहीं चाहे तो नहीं दे। बोर्ड के चाहने न चाहने के बारे में हमें सोचना है कि जिन लोगों को इजाजत देना चाहते है, फूस-पत्तों की झोंपड़ी बनाने की, वे इस प्रकार के घास, फूस, चटाई के मकान बनाने वाले सेठ साहूकार या राजा महाराजा नहीं होते, वे होते हैं गरीब जिनको खानाबदोश कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज यदि कोई जयपुर से चल कर किसी नगरपालिका में जाना चाहे और उसको अपने रहने के लिये घास-फूस का, टाटी का मकान बनाना है तो उसे म्युनिसिपेलिटी की इजाजत लेनी पड़ेगी और यदि म्युनिसिपेलिटी ने उसे इजाजत नहीं दी तो वह यों ही खुले आसमान के नीचे पड़ा रहेगा।

जो म्युनिसिपेलिटी के एरिया में मकान बनायेगा उसको परमीशन लेनी पड़ेगी, तो फिर दुबारा पर्मिशन की दिक्कत क्यों रखी जा रही है ! एक दफा उसको पर्मिशन लेनी पड़ेगी मकान बनाने के लिये।

अभी अभी मन्त्री महोदय ने कहा कि ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं कि नगरपालिका के क्षेत्र में कोई न छान-छप्पर रख सकता है, इन छान छप्परों के द्वारा मकान बनाने की बात को रोकने की व्यवस्था कर दी है, यह गरीबों पर ज्यादा असर करने वाला है। उन लोगों को आप कहेंगे कि नगर पालिका में दरख्वास्त दो। वह बेचारा नगर पालिका में दरख्वास्त देगा। मान लीजिये की आज बोर्ड की बैठक नहीं होती और सात दिन के बाद होती है या कोई एग्जिक्यूटिव ऑफिसर नहीं है और इस वजह से उनको इजाजत नहीं दी जाती है तो वे लोग सारे के सारे मर जावेंगे। ऊपर से वर्षा का मौसम आ रहा हो या धूप तेज हो या सर्दी का मौसम आता हो तो उस समय हर व्यक्ति यह चाहता है कि उसको पक्के मकानों की व्यवस्था नहीं, उनके लिये कच्चे मकानों की भी व्यवस्था नहीं हो सकती और वह गरीब किसी तरह से घास फूस इकठा करके

[श्री भैंरूसिंह]

या फटे पुराने चिथड़े इकट्ठे करके कोई उनको जोड़ कर तम्बू बनाना चाहते हों तो वह नहीं बना सकते और उनके लिये भी उनको म्युनिसिपेलिटी की इजाजत लेनी पड़ेगी, इसमें भी चेअरमेन और म्युनिसिपल बोर्ड का डिस्क्रीशन होगा कि वह चाहे तो उनको इजाजत दे । होना तो यह चाहिये कि गरीब जिस जगह चाहे झोंपड़ा बना सकता है और बस जावे । यदि हम उनको बसाने की दृष्टि से प्रतिबन्ध लगाना चाहते हैं कि वह जहां चाहे नहीं बस सके तो मैं यह कहूँगा कि वह तो गरीब एक घास फूस का झोंपड़ा बनाना चाहता है, उसको भी अगर बनाने की इजाजत नहीं दी जावेगी तो मैं यह कहूँगा कि उन लोगों के साथ जबर्दस्त अन्याय होगा । मैं यह कहूंगा कि आप उनके स्वतन्त्र अधिकारों का प्रजातन्त्र के युग में गला घोंटने की कोशिश कर रहे हैं । मैं यह निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री महोदय ने इससे पहले की धाराएं स्वीकार कर लीं, मगर इससे पीछे दूसरी यह धाराएं आई हैं । यह कोई भी न्यायसंगत धारा नहीं है कि इसके लिये म्युनिसिपल बोर्ड से इजाजत ली जावे । उन लोगों के पास रहने को मकान नहीं वे पक्के मकान नहीं बना सकते, कच्चे मकान नहीं बना सकते, वे लोग अपने रहने के लिये घासफूस और कपड़े के मकान बनाना चाहते हैं, लकड़ी के मकान बनाना चाहते हैं उनके लिये म्युनिसिपल बोर्ड से इजाजत लेने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये । मैं यह कहूंगा कि म्युनिसिपेल्टी की यह ओब्लीगेटरी डयूटी है कि उन लोगों को बसाया जावे और अगर उन लोगों को बसाने की अपनी डयूटी को वह मंजूर करती है तो मैं यह कहूंगा कि इस धारा को सहर्ष स्वीकार करने के लिये मैं तैयार हूं, लेकिन मैं यह कहूंगा कि म्युनिसिपिल बोर्ड अपनी इस जिम्मेदारी से बचना चाहता है और उन लोगों के लिये रहने की कोई व्यवस्था नहीं करता और जब वे लोग अपने रहने के लिये घास फूस के मकान बनाते हैं या कपड़े के मकान बनाते हैं तो उनको उसके लिये भी इजाजत नहीं देता है । मैं यह कहूंगा कि म्युनिसिपल बोर्ड जिस प्रकार दूसरी धाराओं को पास कर रहा है उनको देखते हुए यह धारा निकाल दी जावे तो बहुत अच्छा होगा ।

अब वे ये कहेंगे कि किसी गरीब के लिये अच्छे अच्छे महल बनाये जावें क्या ? वे यह कहेंगे कि गरीब है, किसी बाग बगीचे के पास या उसमें जाकर कोई छोटा सा मकान बना ले और उसके इस प्रकार के कपड़े के या घासफूस के झोंपड़े बनाने से उस सारे पेलेस या बाग की शोभा नष्ट हो जाती है इसलिये उसको वहां पर इजाजत नहीं दी जा सकती । यदि ऐसी परिस्थिति है तो कहा जा सकता है कि वह उस जगह अपना झोंपड़ा नहीं बना सकता, दूसरी जगह बना सकता है । आप उसको यह कहते हैं कि वह नगरपालिका के उस वार्ड में नहीं बना सकता, किसी के महल के पास नहीं बना सकता लेकिन उसको यह कहने का अधिकार नहीं होना चाहिये कि वह घास फूस या कपड़े का मकान नहीं बना सकता । मैं समझता हूं कि अगर ऐसा होगा तो प्रजातन्त्र में नागरिक अधिकारों पर कुठाराघात होगा, आप यह कहेंगे कि उस पर फाइन होगा और ऐसा करके आप उसके मामूली जीवन निर्वाह की मामूली चीजें जो हैं उन पर प्रतिबन्ध डाल रहे हैं ।

[श्री भैरूसिंह]

इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इस धारा की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इस धारा का दुरुपयोग बहुत होगा और खासकर वोटों के दिनों में इस धारा का दुरुपयोग बहुत होगा। जो गरीब लोग झोंपड़ी में रहते हैं, चटाइयों के मकान और केनवास के मकानों में रहते हैं उन सब को वोट देने का अधिकार है और वे सब वोट देने के लिये जावेंगे। उनसे वोट लेने वाले कहने के लिये जावेंगे कि हमको वोट दिया जाए। अगर वे उस पार्टी को वोट नहीं देंगे और वह पार्टी पोवर में आ जावेगी तो सबसे पहला काम जो पार्टी करेगी वह यह कि उनके मकानों को हटाए जावे। वह यह कहेगी कि इससे बीमारी फैलने का डर है, वह यह कहेगी कि इससे आग लगने का डर है या अगर वह चाहे तो यह कह सकती है कि यहां चूहे बहुत पैदा हो गये हैं, इसलिये इनसे प्लेग फैलने का भय पैदा हो गया है। इसलिये इनके झोंपडे और मकान हटा दिये जावें। यह सब म्युनिसिपैलिटी की मर्जी की बात होगी। इससे उन लोगों को बहुत नुकसान होगा जिन्होंने उन लोगों को वोट नहीं दिया।

यदि हम यह कहें कि इलेक्शन पोइन्ट ओफ व्यू से यह नहीं रखा गया है तो भी मैं यह कहूँगा कि आज कल गरीबों पर सब लोग अपना इन्फ्ल्यूएन्स डालते हैं और वह नाना प्रकार से डालने की कोशिश करते हैं। उनको प्रलोभन दिया जाता है, उनको डराते भी हैं। कहने का तात्पर्य यह कि हर प्रकार से उनको परेशान किया जाता है। इसलिये मैं यह कहूंगा कि इन गरीबों के साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं हो सके इसके लिये उनके मकानों को हटाने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिये। आप यह कहें कि जिस दिन से यह एक्ट लागू होगा उसके बाद से होगा। मैं यह कहूंगा कि एक्ट पास होने के बाद इलेक्शन होगा। उस समय अगर आप चाहें तो उन लोगों को हटा सकते हैं और डरा कर अपना इल्फ्युएन्स यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं कई म्युनिसिपेल्टीज़ की मिसालें दे सकता हूं, जहां से गरीबों को हटाया गया और केवल इसी लिये कि तुमको दूसरी जगह बसाना है, यहां पर मारकेट बनेगा, यहां पर मान मारकेट बनेगा। तुमको दूसरी जगह दे दी जावेगी और कम्पेन्सेशन भी दिया जावेगा। उन लोगों को १०० रू० पर ५ रूपये का कम्पेन्सेशन दिया गया, और उन लोगों को हटा दिया गया, अगर उनको कोई कम्पलेन्ट हो तो वे अपना दावा दायर करें। गरीबों के लिये इस प्रकार का करना संभव नहीं, इसप्रकार की चीज अभी हुई हैं और गरीबों के मकान हटाये गये। इसी तरह से उन लोगों को धमकी दी जावेगी और इसका परिणाम यह होगा कि हर व्यक्ति को अपनी स्वतन्त्र राय देने का जो अधिकार है, जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये, उसमें हस्तक्षेप होगा।

इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि यह क्लॉज़ बिल्कुल ही हटा दिया जाए, यह क्लॉज़ बिल्कुल ही गैर जरूरी है। हो सकता है कि किसी खास मौहल्ले में विशेष कारणों से उनको बसाया नहीं जा सकता है तो ठीक है इसके लिये हमने प्रोवीजन रखा है कि उनको दूसरी जगह बसाया जावे। मगर यहां पर कोई आदमी अपना नया छप्पर तैयार करेगा तो उसके लिये भी उसको म्युनिसिपल बोर्ड से इजाजत लेने की जरुरत होगी और अगर वह कानून की पाबन्दी नहीं करेगा तो उस पर जुर्माना किया जाएगा। इजाजत देने से उस वक्त भी इन्कार किया जा सकता है और पहले भी किया जा सकता था। इसको यह कह कर इंकार किया जा सकता है कि इससे बीमारी आ सकती है। आग लग सकती है।

[श्री भैंरूसिंह]

मैं निवेदन करूंगा कि अगर कोई यह चाहे कि इस प्रकार का मकान नहीं बने तो म्युनिसिपल बोर्ड को इस प्रकार का प्रबन्ध करना चाहिये कि उनको रहने के लिये साधन हों। इसलिये में यह कहूंगा कि ऐसा कोई कार्य सरकार को नहीं करना चाहिये जिससे मानवता के नाते न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता। ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिये जिससे गरीबों पर प्रभाव पड़े और जिसका असर गरीबों पर पड़ता हो। इसके उपखण्ड (२) में यह लिखा है।

"The board may at any time, by written notice, require the owner of any building which has an external roof or wall made of any such materials as aforesaid to remove such roof or wall within such reasonable time as shall be specified in the notice, whether such roof or wall was or was not made before the date on which this Act came into force, and whether it was made with or without the consent of the board," आगे फिर भी हमने तसल्ली नहीं दी है। इसके अलावा हमने उपखण्ड (२) के द्वारा यह भी व्यवस्था कर दी है कि यदि बोर्ड किसी भी समय यह आवश्यक समझे कि इस आदमी से यह पूछा जावे कि जो दीवार "which has an external roof or wall made of any such materials as aforesaid"... बनाई है वह बिना बोर्ड की पर्मिशन से बनाई गई है या इजाजत से बनाई गई है या यह पहले बनी हुई थी वह घास फूस की या ऐसे मेटीरियल की बनी है जिसका उल्लेख सब क्लॉज़ (१) में दिया गया हैं, यदि उसको किसी प्रकार से हटाना है तो उसके लिये समय निर्धारित करके उसको पाबन्द कर सकती है। सब क्लॉज़ (३) में है :

"however, without such consent as is required by subsection (1), makes, or causes to be made, or in disobedience to the requirement of a notice given under sub-section (2) suffers to remain, any roof or wall of such meterials as aforesaid shall be punished with a fine which may extend to twenty-five rupee,s and with a further fine which may extend to ten rupees for every day on wich the offence is continued after the date of the first conviction."

इतना ही नहीं अगर किसी ने झोंपड़ा भी बना लिया तो उसका मकान नष्ट हुआ सो तो हुआ, उस पर २५ रू. और जुर्माना होगा। धूप से बचने के लिये कोई बेचारा झोंपड़ा खड़ा कर लेता है बद किस्मती से, वह परमिसन नहीं ले सका तो उस बेचारे का झोंपड़ा नष्ट होगा सो तो अलग, उस पर २५ रुपया और जुर्माना होगा। अगर म्युनिसिपेलिटी के रुपये वसूल करने की व्यवस्था नहीं हो सकेगी तो इसमें यह भी रखा है कि उसका जो कुछ सामान है वह भी बेच दिया जाय तो उस बेचारे छप्पर और केनवास आदि जो भी कुछ उसने लगा रखा था उसको बेचा जायगा और नीलाम करके उससे रुपया वसूल कर सकते हैं इस धारा के अन्तर्गत।

[श्री भैंरूसिंह]

उपाध्यक्ष महोदय, २५ रुपया जुर्माना बहुत सोच समझ कर रखा गया है, यह इसलिये रखा गया है कि गरीब से गरीब भी दे सके, लेकिन मेरा ख्याल है जिन गरीबों का मैंने जिक्र किया उनके लिये तो ये पच्चीस रूपये भी बहुत ज्यादा हैं इसलिये यह व्यवस्था नहीं करनी चाहिये।

श्री बद्रीप्रसाद—उपाध्यक्ष महोदय, मेरे लिये यह बड़ी मुश्किल हो जाती है जब कि यहां इस प्रकार के विचार प्रगट किये जाते हैं, मैं एकाएक विचार नहीं कर सकता। मुझे भी विचार करने के लिये मौका मिले तो मैं कुछ इस बारे में कर सकता हूं।

श्री भैंरूं सिंह—तो इस क्लॉज को डेफर कर दिया जाय।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अगर इसको डेफर कर दिया जाय तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री भैंरूं सिंह—मैं भी इस बात के लिये सहमत हूं कि वाकई में माननीय मंत्री महोदय को डिफीकल्टी है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस क्लॉज को फिलहाल डेफर कर दिया जाय फिर आपस में बातचीत करके तय कर लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १५४ को मुल्तवी रखा जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १५४ मुल्तवी रखा गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ेज़ १५५ व १५६ स्वीकृत हों।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ १५५ व १५६ विधेयक के अंग बने।

श्री भैंरूं सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, अमूमन अपने विधान सभा की कार्यवाही साढ़े चार घंटा चला करती है। साढे चार घंटे पूरे हो गये, अब हाउस को एडजोर्न किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—क्लॉज १५७, श्री गुलाबचन्द कासलीवाल।

श्री भैंरूसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, जल्दी में कोई धारायें पास हो गई तो गलतियें रह जायंगी, इसलिये जल्दी में पास न किया जाय। साढे चार घंटे हो गये बोलते बोलते, अब ज्यादा बोल नहीं सकेंगे।

श्री मुक्तिलालमोदी—उपाध्यक्ष महोदय, एक ही आदमी बोल रहा है।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज १५७ पर मैंने दो संशोधन उपस्थित किये हैं, ये दोनों संशोधन शहर म्युनिसिपैलिटीयों से संबन्धित हैं। मेरे इस संशोधन से शहर की म्युनिसिपलिटी का नाम 'बोर्ड' के बजाय 'कौन्सिल' होगा जो एक्जीक्यूटिव ओफिसर्स होते हैं उनका नाम कमिश्नर्स रहेगा। यह दो संशोधन सब क्लॉज़ (७) और सब क्लॉज (१२) में है। इससे पहले भी क्लॉज ५५ में मैंने इसी प्रकार का संशोधन प्रस्तुत किया था जिसे सरकार द्वारा मन्जूर कर लिया गया था, उसी का यह कोन्सीक्वेन्शियल अमेन्डमेन्ट है।

श्री बद्रीप्रशाद गुप्ता—यह ठीक है, यह भाषा का करेक्शन है, मैं इसे स्वीकार करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है क्लॉज़ १५७ में जो संशोधन श्री गुलाबचन्द कासलीवाल ने रखे हैं उनको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकृत हुए।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १५७ को संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय।

(विराम)

क्लॉज़ १५७, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ेज़ १५८ से २००

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ेज़ १५८ से २०० तक स्वीकार किये जायं।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ेज़ १५८ से २०० विधेयक के अंग बने।

Page No 122

श्री भैंरूं सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, यदि इस तरह से जल्दी जल्दी क्लॉज़ पास किये गये तो गलतियां रह जायंगी।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप मुझे बता दें।

श्री उपाध्यक्ष—क्लॉज़ २०१

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २०१ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २०१ विधेयक का अंग बना।

श्री भैंरूं सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, आज काफी क्लॉज़ेज़ पास कर चुके हैं और समय भी पूरा हो गया है, अब कल बाकी के क्लॉज़ को लिया जाय। जल्दी जल्दी में कोई कानून बनाना अच्छा नहीं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज २०२ स्वीकार किया जाय।

श्री भैंरूंसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस पर बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—आज तो गुड स्पिरिट में काम हो रहा है। यह कोई इम्पोर्टेन्ट तो क्लॉज़ नहीं है।

श्री भैंरूं सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज २०२ इस प्रकार है :

"Vesting in Board of collections from House Scavenging,—All matters removed by the servants of the Board in the course of house scavenging shall belong to the board" "All matters removed by the servants of the board in the course of house scavenging shall belong to the board,"

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता—इसमें क्या आफत आ गई ?

श्री भैरोंसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज कर रहा हूं अक्सर, यह देखने में आता है, अगर हाउस स्केवेन्जिग पर ही म्युनिसिपल बोर्ड कब्जा करे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी लेकिन अक्सर देखने में आया है कि उस मैले के साथ अगर कोई चीज आजाती है जो बेशकीमती है तो इस क्लॉज के अनुसार उस पर भी म्युनिसिपल बोर्ड का कब्जा हो जायगा। कई दफा ऐसा देखा गया है कि लेट्रिन्स में कई अमूल्य पदार्थ गिर जाते हैं

श्री नाथूराम मिर्धा—यदि ऐसी कोई चीज होगी तो वापिस लौटा दी जायगी।

श्री भैरोंसिंह—यह क्लॉज बहुत स्पष्ट है :

"All matters removed by the servents of the board in the course of house scavenging..."

मजाक के लिये यह कहा जा सकता है कि मैले में ऐसी क्या चीज होगी। लेकिन ध्यान में इस बात को रखना है कि मैले के साथ अगर लेट्रिन्स में किसी की कोई अमूल्य चीज गिर गई तो इस क्लॉज के माफिक उस पर बोर्ड का अधिकार होगा, यह सोचने की बात है। कोई अमूल्य चीज स्केवेन्ज के साथ चली जाती है तो क्या उस चीज पर बोर्ड का कब्जा हो गया ? मैं समझता हूं कि कभी भी बोर्ड का कब्जा नहीं होना चाहिये।

तो मैं यह निवेदन करूंगा कि एक अमेन्डमेंट इसमें नहीं है पर अमेन्डमेंट अवश्य होना चाहिये और वह इस बात का कि अलावा ऐसे मैले कुचैले के यदि, और कोई कीमती चीज, जो भूल से या और किसी कारण से उस मैले में गिर गई हो, जिसे कि निकालने के बाद यदि वह चीज प्राप्त होती है तो उस प्राप्त की हुई चीज पर म्यूनिसिपेलिटी का अधिकार नहीं होगा बल्कि कोई भी व्यक्ति जो उसका हकदार है वह क्लेम कर सकेगा और उसके वैरिफिकेशन के बाद अगर बोर्ड को तसल्ली हो जाय कि यह वास्तव में उसी की चीज है तो वह चीज उस व्यक्ति को लौटा दी जावेगी, यह मेरा संशोधन है। कहने को मजाक की बात इसमें आती है। मैं स्केवेंजिंग या मैले कुचैले के बारे में जो म्यूनिसिपल का अधिकार है उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। मैं सरकार के सदस्यों से भी प्रार्थना करूंगा कि वे हस्तक्षेप इसमें न करें। पर ऐसी चीजें अगर मिले तो उन पर असली मालिक का ही अधिकार होना चाहिये।

ऐसा देखने में आया है कि मेहतर और वस्तु के मालिक के बीच कई बार झगड़े होते रहते हैं। एक झगड़ा अभी जयपुर में हुआ, जिसकी ३१२ की रिपोर्ट भी थाना मानक चौक में दर्ज हुई है। एक महतर को टट्टी में कुछ सामान मिला। सामान बच्चे की छोटी सी एक करधनी थी। वह बच्चे से भूल में टट्टी जाते समय टट्टी में गिर गइ। उसके लिए लोगों ने चेष्टा की, पर उनको नहीं मिली, महतर को मिल गई बाद में। मकान मालिक को पता लगा। उसने चेष्टा की उस पर कब्जा करने की। तो इस पर मकान मालिक में और उस महतर में झगड़ा हुआ। तो ऐसी बातें सामने आ सकती हैं।

[श्री भैरूंसिंह]

तो इसके लिए मेरा यह संशोधन है । जब तक ऐसी व्यवस्था इस कानून में न हो तब तक इस धारा को पास नहीं किया जाना चाहिये ।

श्री मुक्तिलाल मोदी—माननीय उपाध्यक्ष जी,..........

श्री उपाध्यक्ष—इसके अतिरिक्त और कोई नई बात बोलेंगे ?

(घंटी)

श्री मुक्तिलाल मोदी—मैं जिस तरह का यह क्लाज़ है उसका विरोध करता हूं और भैरूंसिंहजी ने जो संशोधन रक्खा है उसका समर्थन करता हूं । स्वीपर सब जगह घरों में और बाहर अन्दर जाता आता है और दो चार रुपयों की क्या कई कई सौ और हजार हजार रुपयों की चीजें भी उनके हाथ लग जाती हैं । तो इसके लिये यह प्रोविजन होना चाहिये कि वह चीज म्यु० बोर्ड में जमा होनी चाहिये और इसके लिये अखबारों मे एडवोटाइजमेन्ट भी किया जाना चाहिये ।

और आज जो चोरी करते हैं वे भी ऐसा कर सकते हैं कि उस चोरी की गई चीज को इधर उधर डाल दें या टट्टी में फैंक दे और बरी हो जाय । तो वैसी हालत में भी अगर वह चीज स्वीपर को मिले तो उसको उसे म्यू० बोर्ड में जमा करा देना चाहिये और मकान मालिक को मिलनी चाहिये । इसके लिये एक मियाद भी मुकर्रर की जानी चाहिये कि इतने दिन में एडवोटाइजमेन्ट होने के बाद भी अगर कोई लेने नहीं आवे तो बोर्ड के खजाने में वह जमा रहे और वह किस जगह से आई किसके घर से मिली उस आदमी को भी इत्तला दी जावे; यह भी बोर्ड का काम होना चाहिये । और इसकी जांच करें, यह भी बोर्ड का काम होना चाहिये, इसके बाद भी अगर कोई कलेम करने के लिये आगे नहीं आवे तो उस चीज को पब्लिक में नीलाम कर देना चाहिये ।

माननीय उपाध्यक्षजी, मैं अर्ज करूं कि एक बार रेलगाडी में किसी आदमी ने किसी आदमी की मूंडी काटकर टट्टी में फैंक दी और वह थी एक बच्चे की । आप देखिये कि इसके लिये कितनी एन्क्वायरी हुई, कितना क्या हुआ । और एक आदमी को मारकर सीकर और रींगस के बीच में रेल की पटरी पर पटक गये तो इस तरह आज जब यह इस तरह का किस्सा कर देगा तो कोई भी आदमी किसी को जान से मार कर टट्टी में डाल देगा और यह हो जायगा कि उसको स्वी पर ने मार दिया । तो आज कई बातें हो सकती हैं, ऐसी बातें भी हो सकती हैं, तो कानून ऐसा भी बनना चाहिये कि जिससे यह मालूम हो कि स्वीपर का यह फर्ज होगा, बोर्ड का यही होगा इस तरहसे एन्क्वायरी होगी । ये जो धारा लगातार चल रही हैं उसमे हम देख भी नहीं पाते उनके अमेन्डमेन्ट भी सब खतम हो गये । इसके बारे में इतना कोई आदमी क्या बोले, ऐसी हालत में अगर म्यू० एक्ट में इस तरह से अलग अलग गांवों में और शहरों में मामले हो जावेंगे तो माननीय उपाध्यक्षजी, बड़ी परेशानी होगी । इसका दुरूपयोग भी पंचायतों की तरह से होगा । हमने पंचायतों को जुरमाने का हक दिया और काफी दरूपयोग उनका होता है, उसी तरह से इसका भी दुरूपयोग होगा । तो इस तरह से

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

अगर कोई स्वीपर मकानसे कोई चीज उठा लावेगा और म्यू० उसकी जांच नहीं करेगी या ऐसा जैसा हम सुझाव दे रहे हैं, नहीं करेगी तो बोर्ड पर क्लेम आ सकता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि यह संशोधन मन्जूर कर लिया जावे और अगर आप इस पर सोचना चाहते हैं तो फिलहाल उसको डेफर कर दें। फिर सोच विचार कर इसे पास करें, यही मेरा कहना है।

श्री मानसिंह महार—वैसे ही डेफर करें तो फिर बोलने का समय तो दिया जावे।

श्री उपाध्यक्ष—इसको मुल्तवी करना चाहते हैं आप ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मुल्तवी क्यों करवा रहे हैं ?

श्री मानसिंह महार—बहुत महत्वपूर्ण है धारा।

श्री उपाध्यक्ष—अच्छी बात है। क्लॉज़ २०२ को मुल्तवी रक्खा जावे, क्या इसके लिये सदन की अनुमति है।

(स्वीकृत)

मुल्तवी रखा गया क्लॉज़ २०२।

(विराम)

क्लाजेज़ २०३, २०४, २०५, २०६, २०७, और २०८

श्री मुक्तिलाल मोदी—२०३ पर बोलना है।

श्री उपाध्यक्ष— भैंरूसिंहजी कौनसे पर बोलना चाहेंगे ?

श्री भैंरूसिंह—ये सभी इम्पोर्टेन्ट हैं। २०२ को भी महत्वपूर्ण समझकर डेफर किया गया तो ये सभी महत्वपूर्ण हैं। सभी पर बोलेंगे साहब।

श्री उपाध्यक्ष—वह तो आपकी बहस की वजह से इम्पोर्टेन्ट हो गई ?

श्री भैंरूसिंह—नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है। तो २०३ पर बोलूं मैं ?

एक माननीय सदस्य—आज सदन स्थगित कर दिया जावे साहब। कल पर रखें।

श्री उपाध्यक्ष—अच्छी बात है तो आज मुल्तवी करता हूं। कल प्रातः आठ बजे फिर मिलेंगे।

(सदन की कार्यवाही ३ बजकर ५८ मिनिट पर कल प्रातः ८ बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक-३० अप्रेल, १९५६.

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट १

(तारांकित प्रश्नोत्तर जो कि सम्बन्धित प्रश्नकर्त्ताओं की अनुपस्थिति के कारण सदन की मेज पर रखे गये तथा जिन्हें प्रकाशित करने की सम्बन्धित मंत्री महोदयों की अनुमति है)

प्रश्न

६८६. (६२।सी. एम.) श्री भैंरूसिंह, एम. एल. ए., डिवीजन नम्बर १६:— क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) निरीक्षक शिक्षा विभाग, सीकर द्वारा सितम्बर सन् ५५ से अंतिम फरवरी, ५६ तक किन किन अध्यापकों का कहां से कहां का स्थानान्तरण किया गया और क्यों ?

(ख) क्या शिक्षा विभाग द्वारा इस प्रकार के आदेश जारी हुए हैं कि साल के मध्य में अध्यापकों के स्थानान्तरण न किये जायं ?

(ग) यदि हां, तो इसके विपरीत कितने स्थानान्तरण हुये और क्यों ?

(घ) क्या यह सही है कि कई अध्यापकों को कोई स्कूलों से सर्प्लस घोषित किया जाकर स्थानान्तरण किया गया और कुछ समय पश्चात् उसी स्थान पर दूसरे अध्यापक को नियुक्त किया गया ?

उत्तर

(क) सदस्य महोदय की जानकारी के लिये इसकी तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(ख) जी हां ।

(ग) ६५ स्थानान्तर हुये जिनका कारण (क) भाग के उत्तर में दी हुई तालिका में अंकित कर दिया गया है ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

LIST OF TRANSFERRED TEACHERS FROM SEPTEMBER TO FEBRUARY 1956.

S. N.	Name of teachers with designation	Place of transfer	Remarks.
1.	Shri Badri Narain, A. T. M. S. Meonda Khurad	Model School Jaipur	was sent to his home district
2. ,,	Shantulal, A. T. M. S. Maonda Khurad	H. S. Khandela	Govt. interest
3. ,,	Jugal Kishore. A. T. H. S. Sri Madhopur	S.T.C. School, Jaipur	Temp. promotion
4. ,,	Suraj Narain, A. T. H. S. Sri Madhopur	,, Joher	-do-
5. ,,	Ghasi Lal, A. T. H. S. Kanwat	-do-	-do-
6. ,,	Ghanshiam Das, A. T. H. S. Danta	,, Paota	-do-
7. ,,	Narain Singh, A. T. M. S. Bhudoli	,, ,,	-do-
8. ,,	Abdul Rehim, A. T, P. S. Rasulpura	P. S. Shivrana ka Bas	To stop deputation
9. ,,	Ram Niwas, A. T. H. S. Neemkathana	H. S. Shahpura	To provide a Geographical teacher at Shahpura
10. ,,	Gopilal, A. T. M. S. Deorala	M. S. Ajitgarh	On request
11. ,,	Damodar Prashad, A. T. M. S. Shishu	M . S. Balera	Mutual request
12. ,,	Srigopal, A. T. M. M. S. Balera	M. S. Shishu	-do-
13. ,,	Laxminarain Chulet, A. T. P. S. Sri Madhopur	M. S. Bhudoli	on Complaint
14. ,,	Chhagan Lal, S. D. I. Danta	Jhunjhunu Distt	Govt. interest
15. ,,	Rameshwar Lal, A. T. H. S. Sri Madhopur	M. S. Gaonri	To make promotion
16, ,,	Ahmad Khan, A. T. M. S. Danta	M. S. Danta	-do-
17. ,,	Banke Bihari H. T. P. S. Bhadwari	M. S. Gurara	-do-
18. ,,	Bhagirathmal, T. I. P. S, Bharija	H. S. Losal	-do-

S. No.	Name of teachers with designation	Place of transfer	Remarks
19.	Shri Rameshwar, Pd. H. T. P. S. Ganesawar	M. S. Gaonri	-do-
20.	,, Hajari Lal, H. T. P. S. Raipura Patan	M. S. Toda Dariba	-do-
21.	,, Chaganlal, A. T. M, S. Ajitgarh	H.S. Losal	-do-
22.	,, Ramakishan, A. T. P. S. Railway, Sikar	M.S. Shishu	-do-
23.	,, Harinarain, A. T. H. S. Kanwat	M.S. Chala	-do-
24.	,, Laduram, A. T. M. P. S. Mau	M.S. Bibipur	-do-
25.	,, Prahlad Rai, T. I. P. S. Ratanpura	H.S. Neemkathan	-do-
26.	,, Surajmal, H. T. P. S. Katikan Sikar.	M.S. Deorala	-do-
27.	,, Bhanwar Lal, H. T. P. S. Kishorepura	M.S. Raipura Jagir	-do-
28.	,, Laxminarain, A. T. M. S. Gurara	P.S. Bhadwari	Demand of a teacher
29.	,, Moolchand, A. T, M. S. Gaori	Ganesar	-do-
30.	,, Kishorilal, A. T. M. S. Shishu	P.S. Rly. Sta. Sikar	-do-
31.	,, Dwarka Prashad, A. T. P. S. Hanspur	P.S. Man	-do-
32.	,, Bhanwarlal, A. T. P. S, Ashpura	P.S. Ratanpura	-do-
33.	,, Moolchand, A. T. P. S. Roopgarh	P.S. Bharija	-do-
34.	,, Anandilal, H. T. P. S. Kishorpura	P.S. Chhaja ki Nangal	-do-
35.	,, Matadeen, A. T. M. S. Balera	P.S. Swamiki Dhani	-do-
36.	,, Surajmal, H. T. P. S, Hathidah	P.S. Ajmeri	-do-
37.	,, Phoolchand, H. T. P, S, Bhordonka Bas	M.S. Bai	-do-
38.	,, Jeewan Ram, A. T. M. S. Bai	P.S. Bhordonka Bas	Mutual transfer

S. No.	Name of teachers designation	Place of transfer	Remarks
39.	Shri Milapchand, A. T. P. S. Jairampur	P.S. Sri Madhopur	To stop deputation
40.	,, Gajanand, H. T. P. S. Deenarpura	-do-	-do-
41.	,, Parmatma Sharan, A. T. P. S. Jairampura.	-do-	-do-
42.	,, Mangilal, A. T. P. S. Sri Madhopur	H.S. Sri Madhopur	-do-
43.	,, Shive Dutt, H. T. P. S. Lakshmi Baori	P.S. Tatera	-do-
44.	,, Devi Dayal, H, M. M. S. Balara	M.S. Mehroli	Request
45.	,, Narain Ram, H. M. M. S. Kaswali	M.S. Balera	Govt. need
46.	,, Ramkumar, H. M. M. S. Bai	M.S. Kaswali	Request
47.	,, Sohan Singh, A. T. M. S. Madho	M.S. Pachar	Govt. need
48.	,, Sujjan Singh, A. T. M. S. Guhala	M.S. Patan	-do-
49.	,, Laxminarain H. T. M. S. Pachar	M.S. Bai	-do-
50.	,, Mohd. Ibrahim, A. T. M. S. Palsana	M.S. Khoor	-do-
51.	,, Pehap Singh, A. T. M. S. Khachariawas	H.S. Danta	-do-
52.	,, Bhanwar Singh, A. T. M. S. Mehroli	M.S. Gurara	-do-
53.	,, Bhishambhar Prashad, A. T. M. S. Ajitgarh	M.S. Mohroli	Demand of teacher
54.	,, Sobh Singh, A. T. M. S. Mehroli	P.S. Rly. Sikar	To provide a teacher
55.	,, Raghunath Pd., A. P. S. Rly Sikar	P.S. Rawasa	,,
56	,, Chatur Singh, A. T. P. S. Mau	P.S. Jalpali	On request
57.	,, Mohan Lal, A. T. P. S. Jalpali	P.S. Mau	To provide a teacher
58.	,, Harinarain, H. T. P. S. Nar Singhpuri	H.S. Kanwat	-do-

S. No.	Name of teachers designation	Place of transfer	Remarks
59.	Shri Shivdayal, A. T. M. S. Kaswali	P.S. Khatundara	-do-
60.	,, Mohanlal, T. I. P. S. Khatundara	P.S. Kacharada	-do-
61.	,, Jagdish Pd, T. I. P. S. Khacharda	M.S. Kaswali	-do-
62.	,, Maliram, A. T. M. S. Guhala	M.S. Mohroli	-do-
63.	,, Tejmal Yadav, A. T. M. S. Raipura Jagir	H.S. Chhajaka Nagal	-do-
64.	,, Nawalkishore, A. T. M. S. Khoor	-do-	-do-
65.	,, Shankar Lal, A. T. Deorala	H.S. Kanwat	-do-
66.	,, Jhabar Mal, A. T. M. S. Bibipur	H.S. Chhaja ki Nagal	-do-
67.	,, Baldeo Pd, A. T. M. S. Manpura	M.S. Sirohi	-do-
68.	,, Mangilal, A. T. M. S. Mundaru	-do-	-do-
69.	,, Banshidhar, A. T. M. S. Thoi	-do-	-do-
70.	,, Sayar Singh, T. I. P. S. Narada	P.S. Sohola	-do-
71.	,, Bajrang Singh, T. I. P. S. Jatanpura	P.S. Antari	-do-

प्रश्न

६९७. (८८।एच. एम.) श्री भगवानसिंह तरंगी, एम. एल. ए., डिवीजन नम्बर ६:—क्या मुख्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

४ सितम्बर व ३० सितम्बर को कोटा शहर में होने वाले झगड़ों के सम्बन्ध में सरकार ने दोषी अफसरों के खिलाफ क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(क) अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा इस मामले की जांच कराई गयी थी और उनकी रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

प्रश्न

७००. (१४४। सी. एम.) श्री रामदयाल उपाध्याय, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर १२३:—क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) राजस्थान में कितने हाई स्कूल विकास योजना में लिये गये हैं और उनमें अब तक इस योजना के अन्तर्गत क्या प्रगति हुई है ?

(ख) इस योजना के अन्तर्गत सरकार उन हाई स्कूलों में क्या क्या नये कार्य करावेगी ?

उत्तर

(क) ७३ हाई स्कूल, इनमें से:—

(१) इनमें से २५ हाई स्कूलों को बहु उद्देशीय स्कूलों में परिवर्तित किये गये हैं। इन्हीं स्कूलों के पुस्तकालयों के स्तर को उठाने के हेतु प्रति स्कूल में ५००) रु० की पुस्तकें खरीद की जा चुकी हैं।

(२) फतेह हाई स्कूल उदयपुर में साइन्स की प्रगति के लिये भवन निर्माण हो चुका है, सामान खरीदने के आर्डर भी दिये जा चुके हैं।

(३) अन्य २२ हाई स्कूलों के पुस्तकालयों में पुस्तकों की वृद्धि करने के हेतु प्रत्येक स्कूल को २५००) रु० दिया गया।

(४) अन्य २५ हाई स्कूलों में जनरल साइन्स व सामाजिक ज्ञान की विशेष प्रगति के लिये १५०००) रु० प्रति स्कूल स्वीकृत किया गया।

(ख) इन स्कूलों में जिस कदर धन राशि स्वीकृत की गई है उसका समयाभाव तथा टैक्नीकल अडचनों के कारण पूरा खर्चा जहां २ नही हो पाया है उसको इस वर्ष पूरा किया जावेगा। नये विषय इस वर्ष कोई नहीं लिये जावेंगे।

प्रश्न

७०२. (७०। सी. आई. एम.) श्री भगवानसिंह तरंगी, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर ९:—क्या समाज कल्याण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) झालावाड़ जिले में कंजर जाति के कितने स्त्री पुरुष किस किस स्थान पर आबाद हैं?

(२) इस जाति की आर्थिक व सामाजिक दशा सुधारने के लिये सरकार ने अब तक कितना रुपया व्यय किया?

उत्तर

(१) झालावाड़ जिले में निम्न स्थानों पर कंजर आबाद है। उनकी संख्या का विवरण भी दे दिया गया है:

क्रम० सं०	नाम गांव	पुरुष	स्त्री	बच्चे	मीजान
१	कलमन्डी	२	२	६	१३
२	तीतरवास	११	७	२१	३९
३	नादियाखेड़ी	११	११	१५	३७
४	कर्मांखेड़ी	१४	१३	३०	५७
५	नयागांव	८	६	१८	३२
६	भीलवाड़ा	१५	१७	२४	५६
७	वीरियाखेड़ी	१३	१६	२६	५५
८	मोहतभीमगंज	६	५	१६	३०
९	गंगपुरा	१०	१३	२७	५०
१०	टोकड़ा	२०	१९	३५	७४
	योग:—	११३	११२	२१८	४४३

(२) सन् १९५५–५६ में माह फरवरी तक ३७१३३ रुपया इनकी आर्थिक व सामाजिक दशा सुधारने के लिए खर्च किये गये हैं।

प्रश्न

७०५ (१४६१ आर. एम.) श्री तेजमल बापना, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर १४६:—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१)क्या खैराबाद, तहसील भीलवाड़ा के कई काश्तकारों से जागीरदार ठिकाना ने बीड़ की काश्त की जमीन के छुटे बांटे के स्थान पर जबरन आधा वसूल कर लिया है ?

(२) क्या इस संबंध में किसानों ने बटाई के पहले ही प्रार्थना पत्र तहसील में दे दिया था यदि हां, तो इस पर क्यों समय पर कार्यवाही नहीं की गई ?

(३)जबरन वसूल किये गये बटाई के अधिक अनाज को किसानों को वापिस दिलाने के संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है और कब तक दिला दिये जाने की संभावना है ?

उत्तर

(१)जी हां।

(२)काश्तकारान के नाम का प्रार्थना पत्र माननीय सदस्य (श्री तेजमल बापना)ने प्रस्तुत किया था जिस पर समय पर कार्यवाही की गई ।

(३)किसानों ने आगे कार्यवाही नहीं कराना चाहा, अतः अब कोई कार्यवाही नहीं हो रही है।

परिशिष्ट-२

(कृपया प्रश्न संख्या ७१२ का उत्तर देखिये)

सूची ग्राम तहसील नौहर व सूरतगढ़

तहसील नौहर	तहसील सूरतगढ़
१. अकसरी	१. लालपुरा
२. रुधली	२. रामपुरा नोला
३. खदोसरी	३. वहरोरा
४. खींढा	४. आयासकी

तहसील नौहर	तहसील सूरतगढ़
५. पन्नासर	५. भोजवाला
६. रेखचारनी कस्बा गुनियासर	६. कानौर
७. रेतवादेसर	७. सोमासर
८. रेखधनिगासर	८. रामपुरासिंधवाल
९. रैसलोलंसर	६. बडिसूरतगढ़
१०. कुलचासर	१०. जाखड़ावाली
११. किकरालिया	११. पंडितवाली
१२. नौलखी	१२. अमरपुरा नानन
१३. सुरजनसर	१३. भागरसर खुर्द
१४. रखकौलासर	१४. बालोचावाला
१५. भिनकदेसर	१५. ऐटा
१६. मनसरो	१६. खोतावाली
१७. कालासर	१७. सुवाली
१८. थणासर	१८. चकबराना करवीसर
१६. रेखचन्द्रासर	१६. रामपुरा
२०. रेखमालिया	२०. चकवोनी भगवतसर
२१. बालासर	२१. ठुकराना
२२. शोराजी	२२. लोगियालाल
२३. सीपड़ा	२३. गोविन्दगढ़
२४. महनुपुरा	२४. मिघवाला
२५ चेलोसरी	२५. करनासर
२६. दुरजाना	२६. चूकनालोकर नीसर
२७. मंगली	२७. श्योपुरा
२८. मंगवानसर	२८. अमरपुरा आरान-
२६. नीमला	२६. भगवानसर

तहसील नौहर	तहसील सूरतगढ़
३०. विरसासर	३०. साहुवाना
३१. रेसथोरलान	३१. फरीदसर
३२. कल्लसार	३२. मानेवाला
३३. चान्देही रोटी	३३. चकरतनसर
३४. मारिला	३४. मोहमावाद
३५. वांगासर	३५. कानपुर
३६. रेखराखसर	३६. भगवानवालाल
३७. हमीरदेसर	३७. मांगलिया
३८. जोगयासन नं० ३	३८. लीखावंगा
३९. रनियासर	३९. कालीवंगा
४०. पूर्वसर	४०. लठाना
४१. शेखरदिया	४१. निहालपुरा रोल
४२. केलनियां	४२. मानकथोडी
४३. देवासर	४३. सरामसर
४४. धांइसर	४४. लखवाली
४५. बीजासर	४५. दर्लेमाती
४६. रसचाहनी केला दनियासर	४६. डीवंवाला
४७. नईराना	४७. अहमदपुरा
४८. नखाऊ	४८. वीर देसर
४९. ननासर	४९. बुलमाना
५०. पेलनू	५०. मानकसर
५१. जोगासर	
५२. मावलदेसर	
५३. पांडूसर	
५४. गोगामंडी	

नोट—सूची अस्पष्ट होने के कारण गांवों के नामों में अशुद्धियां संभव हैं।

परिशिष्ट ३

(अतारांकित प्रश्न जो सदन की मेज पर रखे गये।)

१ (८। यू. एस.)श्री भोलानाथ, एम. एल. ए. (१६)—क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

प्रथम पंच वर्षीय योजना में शिक्षा पर निम्नलिखित शीर्षकों में जिले वार कितने रुपये खर्च हुए, पूर्ण विगत के साथ सूचना देने की कृपा करें:—

१	२	३	४	५
जिले का नाम	खर्च की रकम	आबादी	आबादी के हिसाब से खर्च का अनुपात	प्रतिशत आबादी के अनुपात से कम या ज्यादा खर्च

(उत्तर अनुपलब्ध)

२. (१४। एस) श्री भोलानाथ (१६)—क्या लोकल डेवलपमेंट मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

प्रथम पंच वर्षीय योजना में लोकल डेवलपमेंट कार्य में जिलेवार निम्नलिखित शीर्षकों में कितने रुपये खर्च हुए :—

१	२	३	४	५	६
जिले का नाम	खर्च की गई रकम	रुपये अलाटेड	आबादी	आबादी के अनुपात से क्या रकम खर्च होनी चाहि।	खर्च आबदी के अनुपात से प्रतिशत कम या अधिक हुआ

Page No 138

(प्रश्न संख्या २ का उत्तर)

अतारांकित प्रश्न संख्या १४। यू० एस० का उत्तर

क्रम संख्या	जिले का नाम	खर्च की गई रकम	रुपये एलोटेड	आबादी	आबादी के अनुपात से क्या रकम खर्च होनी चाहिये।	खर्च आबादी के अनुपात से प्र. श. कम या अधिक हुआ
१	अलवर	१,६७,४९१।२।	२,६२,४००	८,६१,९६३	कितनी आबादी पर कितना रु० दिया जाता है ऐसा कोई निश्चय नहीं किया गया है। न केवल आबादी पर ही एलाटमेंट किया जाता है, स्थानीय परिस्थिति तथा अन्य और बातों को ध्यान में रख कर रुपया एलाट किया जाता है।	प्रश्न नहीं उठता
२	बीकानेर	१,१८,६६८।३।	१,४७,४००	३,३०,३२६		
३	बांसवाडा	१,५३,३७९।१२।३	१,५५२००	३,५६,५५९		
४	भरतपुर	१,९२,१५८।१२।६	२,३२,४६६।८	९,०७,३६६		
५	बाड़मेर	३,२१,८५६।८।६	१,७२,१७५	४,४१,३६८		
६	भीलवाडा	१,३०,६०१।७	१,७४,८४१।१०	७,२७,३५६		
७	बूंदी	७८,६६४।८।३	८५,७६०	२,८०,५१८		
८	चूरू	१,९५,००३।६	२,९६,३००	५,२३,२७६		
९	चित्तौडगढ़	१,३१,५२६।८	१,५९,७५०	५,८७,७२४		
१०	डूंगरपुर	१,१७,५५०	१,१६,१००	३,०८,२४३		
११	गंगानगर	१,६०,५४८।१३।३	२,१७,७५४	६,३०,१३०		
१२	झुंझुनू	१,५६,८८४।७	२,६१,८१८।३।९	५,८८,६२१		
१३	जोधपुर	१,८८,५४८।२	२,६९,४५०	७,६४,५२६		
१४	जालोर	१,३६,०९०।५	२,२७,३५०	४,५६,४६७		

१५	जैसलमेर	४२,६६०	५५,३००	—
१६	झालावाड	१,०४,३१८।१२	१,०८,४००	३,७३,८१०
१७	जयपुर	५,१५,३९१।१०।३	७,७२,०२०	१६,५६,०६७
१८	कोटा	७८,०६४।८	१,९२,७००	७,६६,१६८
१९	नागौर	३,९३,७५०	४,१५,८५०	७,६३,८२६
२०	पाली	१,४६,६६४।५	२,०३,३००	६,६०,८५६
२१	सवाई माधोपुर	८९,१०१।११	१,६३,५००	७,६५,१७२
२२	सीकर	२,९४,८१८।८	३,४७,७००	६,७७,७८२
२३	सिरोही	६०,४९०।३।६	८०,०००	२,३७,३६२
२४	टोंक	७३,७५२।१०	१,३७२००	४,००,६४७
२५	उदयपुर	३,०६,९४६।४	३,७१,३६६।५	११,८१,२३२
२६	डाइरेक्टर डेवलपमेंट	२,००,०००	२,००,०००	

प्रश्न

१. (६१३। यू. एस.) श्री भोलानाथ (१६)—क्या उद्योग मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

प्रथम पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित शीर्षकों में कितने रुपये खर्च हुए हैं, पूरी विगत देने की कृपा करें।

(१) विभागीय

(२) फाईनेन्स कारपोरेशन द्वारा

१	२
जिले का नाम	खर्च की रकम

उत्तर

(१) राजस्थान में उद्योगों के विकास के लिये प्रथम पंचवर्षीय योजना में हरेक जिले के लिये अलग अलग रकम निर्धारित नहीं की गई थी। प्रत्येक योजनावार रकम निर्धारित की गई थी हर स्कीम का सालाना खर्च का विवरण संलग्न तालिका में दिया गया है

(२) जयपुर जिले में १,४५,०००) व कोटा जिले में ४०,०००) कुल १,६५०००) खर्च किये गये हैं।

STATEMENT SHOWING THE ACTUAL EXPENDITURE AND PROPOSED EXPENDITURE IN THE SCHEME UNDER THE FIVE YEAR PLAN.

Name of the Schems.	Provision in the plan.	Actuals 51.52	Actuals 52-53	Actuals 53-54	Actuals 54-55	Revised 55:56	Total
Cottage Industries.	8.73	1.45	1.55	1.67	1.94	2.17	8.79
Industrial Education.	1.80	0.03	0.22	0.35	0.92	0.52	2.04
Marketing Organisation	3.64	0.47	0.43	0.73	0.80	0.84	3.27
Research in Salt & Khus.	0.50	0.10	0.09	0.07	0.10	0.10	0.46
Grant in aid.	4.32	0.09	0.07	0.33	1.45	1.45	3..39
Palm Gur Industry.	4.51	0.89	0.95	0.75	0.98	1.04	4.51
Sheep & wool Improvement.	15.00	0.93	1 69	3.03	3.15	3.89	1.269
	38.50	3.97	5.00	6.93	9.34	10.01	35.25